खण्ड-06 सत्र - 02 (भाग-01) / अंक- 22

मंगलवार 01 दिसम्बर, 2015 / 10 मार्गशीर्ष 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ eaxyokj] 01 fnlEcj] 2015@10 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&22

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (**श्री राम निवास गोयल**) *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविंद्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान

21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
24. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. सुश्री भावना गौड़
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री विजेन्द्र गर्ग
35. श्री प्रवीण कुमार
36. श्री मदन लाल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्रीमती प्रमिला टोकस
39. श्री नरेश यादव
40. श्री करतार सिंह तंवर
41. श्री प्रकाश
42. श्री अजय दत्त
43. श्री दिनेश मोहनिया
44. श्री सौरभ भारद्वाज
45. सरदार अवतार सिंह कालका जी
46. श्री सही राम
47. श्री नारायण दत्त शर्मा
48. श्री अमानतुल्लाह खान
49. श्री राजू धिंगान
50. श्री मनोज कुमार
51. श्री नितिन त्यागी
52. श्री एस.के. बग्गा
53. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
54. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
55. मो. इशराक
56. श्री श्रीदत्त शर्मा
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

---

l=&2 Hkkx ¼1½ eaxyokj] 01 fnlEcj] 2015@10 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&22

---

lnu vijkg.u 2-00 cts leosr gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

v/;{k egksn; % सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नियम–280 में श्री राजू धिंगान जी। अनुपस्थित हैं। श्री जगदीश प्रधान जी। आपका नियम 280 पर।

fo'ks"k mYys[k ¼fu;e&280½

Jh txnh'k iz/kku % अध्यक्ष जी, कल जो घटना घटी, उस घटना से मैं बहुत आहत हूं, बहुत ही दुखी हूं कि केवल विजेन्द्र गुप्ता जी ने सिर्फ इतना कहा था कि जो 24 तारीख को जो भी घटना सदन के अंदर घटी, उसकी पूरी जांच करा ली जाये। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही आपसे आग्रह करता हूं कि हम सदन का समय बर्बाद करने के लिये नहीं आते हैं क्योंकि मैं कभी भी फालतू बोलने की कोशिश नहीं करता और मैं केवल आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सदन अच्छी तरह से चले और दिल्ली

के लोगों की जो समस्यायें हैं, उनको हम अच्छी तरह से उठायें और उनका कुछ निराकरण कर सकें।

v/;{k egkn; % चलिये धन्यवाद। जगदीश जी।

Jh txnh'k i/kku % अध्यक्ष जी, दूसरा मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहले भी मैं कई बार उठा चुका हूं किन्तु आज नौ महीने बीतने के बाद भी मेरी विधानसभा के अंदर अनओथराईज कालोनियों में एक भी विकास के कार्य के ना कोई टेन्डर लगे हैं, ना कोई कार्य शुरू हुआ है, केवल एक काम हुआ है तो एक करोड़ रुपया एम.एल.ए. फंड का अलाट किया गया उसके भी जो टेण्डर लगे हैं, वह काम भी आज तक पूरा नहीं हो पाया है। जो ठेकेदार वहां काम कर रहा है, दो दिन काम कर देता है, एक हफ्ते के लिये फिर बंद कर देता है यानि उसने इतना दुखी किया हुआ है कि घटिया से घटिया क्वालिटी का काम कर रहा है और कोई भी उस पर ध्यान न देकर जो हमारे अधिकारी हैं, आज पांच छह महीने से वह काम चल रहा है। वह छह महीने के अंदर एक छोटा सा काम पूरा नहीं हो पाया है।

v/;{k egkn; % वह पी.डब्ल्यू.डी. का है या एम.सी.डी. का किसका है?

Jh txnh'k i/kku % ये फ्लड डिपार्टमैन्ट करा रहा है।

v/;{k egkn; % Flood department.

Jh txnh'k i/kku % जितने भी टेन्डर मेरे यहां लगने थे, मेरी जानकारी के अनुसार नौ महीने बीतने के बाद अनओथराईज कालोनियों में एक भी टेन्डर नहीं लगा है और शायद हो सकता है कि जो मेरे आसपास विधानसभा हैं, उनमें भी शायद किसी में न लगा हो। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्योंकि मेरे यहां, जिन गलियों की मैं बात कर रहा हूं अनओथराईज कालोनी है, उनमें पानी भरे हुआ है, गंदगी फैली हुई है और पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। बार–बार कहने के बाद अधिकारी लोग ये कह देते हैं कि हमें जो सरकार ने आदेश दिये हैं, वो ये है कि दस साल तक कोई रोड नहीं बनाई जायेगी, कोई नाली नहीं बनाई जायेगी और क्या ऐसा है? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। पहले कहते हैं कि आप पांच साल के होने वाले हैं तो अध्यक्ष जी ऐसा तो कोई दिल्ली में क्या कहीं भी ऐसा भी रूल नहीं है जो दस साल तक चल पाये। आपके माध्यम से मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनको हटाया जाये ताकि वहां अनओथराईज बस्तियों में विकास कार्य शुरू हो सकें।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान women help line 181 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2012 में 16 दिसंबर को वसंत विहार में निर्भया के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के पश्चात दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा women help line 181 प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2014 में नवंबर तक इस नंबर पर लगभग छह लाख शिकायतें दर्ज की गई थी परंतु इस वर्ष नवंबर 2015 तक मात्र चार लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रारंभ में इस हेल्प लाईन पर 20 लोगों की ड्यूटी थी परंतु अब इस नंबर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है। वहीं उन कर्मचारियों

को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं में कटौती कर दी गई है। इससे इन शिकायतों पर कार्रवाई में निरंतर देरी होती जा रही है, फलस्वरूप इस नवंबर से लोगों में निराशा की भावना पैदा हुई है और अब इस शिकायतें कम पंजीकृत कराई जा रही हैं।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें खाली लोकप्रियता पाने के लिये नहीं, भ्रामक विज्ञापन जारी करने की राजनीति को छोड़कर वूमेन हेल्प लाइन 181 को पूरी तरह से सक्रिय करें इसके लिये इस नंबर पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करें और उन्हें सभी तरह की आवश्यक सुविधायें दें। इस नंबर पर प्राप्त शिकायतों पर संतुलित कार्रवाई हो, ऐसी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % राजू धिंगान जी।

Jh jktw f/kaxku % अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका। मैं सदन का ध्यान एम.सी.डी. के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो पानी की पाईप लाईन डलवाते हैं, सीवर की पाईप लाईन डलवाते हैं, चेंज कराते हैं, एम.सी.डी. अधिकारी आजकल हमें एन.ओ.सी. के नाम पर बहुत परेशान करने लगे हैं। उन पाईप लाइनों को सीवर की लाइनों को रोका जाता है जो हम नई सेटलमेंट लाइनें डलवाते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है जो कि आम जनता के काम हैं, ये बड़ा दुखद विषय है इस संबंध में मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इस पर कोई उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक को ले के बहुत परेशानी पैदा हो गई है। काफी ऐसे रोड है जहां बहुत एनक्रोचमेंट हो गया है और स्मूथ ट्रैफिक चले ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसको ले के मैंने अपने यहां के क्षेत्र के एस.डी.एम. जो हमारे अंतर्गत आते हैं एक्स.ई.एन. पी.डब्ल्यू.डी. एम.सी.डी. के अधिकारियों को ले के दौरा किया। उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि जब तक हमें पुलिस प्रोवाइड नहीं होगी, तब तक हम इस कार्रवाई नहीं करेंगे। तकरीबन चार महीने से मैं इस काम को लेकर इनसे बोल रहा हूं लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस पर कोई तुरंत कार्रवाई हो ट्रैफिक के लिये जगह हो, पूरे आराम से लोग स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले और एम.सी.डी. के जो अधिकारी हैं जो एन.ओ.सी. के नाम पर जो हमारे इन कामों को जो जनहित के हैं जन कल्याण के कार्य हैं, उनको रोका जा रहा है। उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % राजेन्द्र पाल गौतम जी।

Jh jktsUnz iky xkSre % पिछले इलाकों में जैसे नई सीमापुरी, सुन्दर नगर, नन्द नगरी आदि। ऐसी जगह पर खुलेआम नशा बिकता हुआ मिलता है। चरस–गांजा आपको खुलेआम लोग पीते हुए, खरीदते हुए मिल जायेंगे और यह इस कद्र बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि पंजाब के बाद दिल्ली दूसरा ऐसा राज्य बनने वाला है जहां नशे से परिवार उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अवैध तरीके से बिक रहे नशे के खिलाफ में नार्थ डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली पुलिस के डी.सी.पी. साहब से मिला तो उन्होंने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने उनसे कहा कि आपके जो बीट आफिसर हैं, वो क्षेत्रों में जाते हैं और जो

इस नशे के व्यापार को करते हैं, आपके पुलिस अधिकारी उनके घर जाते हैं और वहां आधा–एक घण्टा बैठ कर चले आते हैं। लेकिन नशे को रुकवाने के लिए दिल्ली पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। मैंने उनको सजेशन दिया कि अगर आप ऐसे पुलिस अधिकारियों को रिवार्ड देने का सिस्टम ले आयें, जो नशा बेचने वालों को पकड़वा सकें, नशे के कारोबारियों को पकड़वा सके तो उनको रिवार्ड दिया जाये तो आसानी से नशा बेचने वालों को पकड़ा जा सकता है और नशे को रोका जा सकता है। तो माननीय डी.सी.पी. जी ने मुझे कहा कि मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार डी.सी.पी. का यह दर्शाता है कि मानो दिल्ली पुलिस इस अवैध नशे के व्यापार को चलाने में सहयोग प्रदान कर रही है। जबकि उनको नशे के व्यापार को रोकना चाहिए और इस नशे के व्यापार की वजह से पिछले दिनों अगर देखें, तो कहीं न कहीं अपराध भी बढ़ा है। जिस तरह से स्नैचिंग की घटनायें पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं। वो पहले से लगभग दुगुना हो गई हैं।

अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से यह चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के कमीश्नर को भी लिखा जाये और केन्द्रीय गृह मंत्री जी को भी लिखा जाये कि वो दिल्ली पुलिस को निर्देश दें कि वो इस तरह अवैध नशे के व्यापार को रोकें। चूंकि यह केवल कुछ लोगों को नहीं, बल्कि परिवारों को उजाड़ता है। अपराध को जन्म देता है। यहां तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली में कशमीरी गेट से थोड़ा आगे यमुना बाजार की तरफ जाते हैं तो वहां खुले में कम से कम चार पांच सौ नशेडी, नशैड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो दिन में भी नशे में रहते हैं। पूरे दिन कम से कम चार–पांच सौ लोग नशे में धुत्त रहते हैं और परमानैन्ट वहीं रहते हैं और जितनी भी लोहे

की रेलिंग लगी हुई हैं, उन सबको वो काट कर बेच खा चुके हैं। वहां नशा कौन सप्लाई करता है, इसको पकड़ने में मुझे लगता है कि पुलिस को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं पर नशा सप्लाई होता है, वह वहीं पीते हैं और वहीं रहते हैं और नजदीक ही मंदिर है, वहां उनको आसानी से भोजन मिल जाता है। तो पुलिस को लिखा जाये कि इसकी थोड़ी सी जांच करे कि आखिर यह नशा कहां से आता है। कितनी ही मांओ के बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी इसको रोकने के लिये मैं चाहूंगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के कमिश्नर को लिखें और साथ ही गृह मंत्री जी से भी निवेदन करें और इस तरफ ध्यान दें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % नरेश बाल्यान जी।

Jh ujs'k ckY;ku % धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान दिल्ली में उच्च शिक्षा स्थानों की भारी कमी की ओर दिलाना चाहता हूं।

दिल्ली जैसे क्षेत्र में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की भारी कमी है और यहां इसी वजह से छात्रों को जैसे कि जे.बी.टी. और बी.एड. पढ़ने के लिये एन.सी.आर. और दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। दिल्ली में जमीन की भारी कमी है जिसकी पूर्ति हम लालडोरा जैसे क्षेत्रों से कर सकते हैं। क्योंकि लालडोरा क्षेत्र में कोई बिल्डिंग लाइलाज लागू नहीं होता। और कई साल पहले भी इस तरह की परिमशन कुछ कॉलेजों को मिली थी। लेकिन बाद में पुरानी सरकारों ने उसको बन्द कर दिया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। यह दिल्ली सरकार

की तरफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये बहुत बड़ा तोहफा होगा और दिल्ली के लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % मोहिन्दर गोयल जी।

Jh eksfgUnj xks;y % अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है। इसके अन्दर अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं और राजनेता भी रहते हैं, इण्डस्ट्रियलिस्ट भी रहते हैं, रेहड़ी–पटरी वाले लोग भी रहते हैं, और मजदूर लोग भी रहते हैं। जहां पर अमीर लोग रहते हैं, वहां की जमीनों के भाव कुछ और होते हैं और जहां पर गरीब व्यक्ति रहता है या नौकरीपेशे वाला रहता है, वहां पर जमीनों के भाव कुछ और होते हैं। दिल्ली के अंदर जो हम देख रहे हैं कि सर्कल रेट के अनुसार जहां पर अमीरों के रेट हैं, वहीं पर गरीब बस्तियों के अन्दर जो रहने वाले लोग हैं, वहां पर भी वही रेट हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रोहिणी का क्षेत्र है जो चार भागों के अन्दर बना है। लेकिन सर्कल रेट के नाम पर जो हमारी विकसित कालोनी है, उनका भी वही रेट है, जो अविकसित कालोनी है, जो अभी कटी है, उनका भी वही रेट है। जिससे कि हमारे पास रेवेन्यू के नाम पर बहुत कुछ कम राजस्व आता है। जहां पर अमीर लोग रहते हैं और जो कालोनियां विकसित हो चुकी हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उनके कुछ सर्कल रेट बढ़ा लें। लेकिन जो अविकसित कालोनी है कृपया आप उनके सर्कल रेट को कम कर दें जिससे कि वो लोग जिन लोगों को अविकसित कालोनियों के अन्दर प्लाट खरीदने हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं,

नौकरीपेशे वाले व्यक्ति हैं, ताकि वो वहां पर जाकर अपने प्लाट ले सकें। अपना गुजारा कर सकें जिससे कि उनको स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़े, रेट कम देने पड़े। आज ऐसी–ऐसी कालोनी हैं, जिनके बाहर सर्कल रेट तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन एक्चुअल में कीमत उसकी बहुत कम है। इस ओर आप ध्यान दें और इस रेट को ठीक करने का आप प्रयत्न करें। आपके माध्यम से यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी विनती है। जय हिन्द।

v/;{k egkn; % जरनैल सिंह जी।

Jh tjuSy flag (राजौरी गार्डन) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे 280 के तहत यह मामला उठाने का अवसर दिया। दिल्ली के जो अपने सिक्ख समुदाय के लोग हैं, वे बहुत लम्बे समय से एक मांग करते आ रहे हैं। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और डिप्टी सी.एम. साहब बैठे हैं, आशा करता हूं कि वह गम्भीरता से विचार करेंगे। सिक्खों के जो नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली उनका शहीदी स्थल है। अलका लाम्बा जी के एरिया में आता है गुरुद्वारा शीश गंज साहिब और गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब जहां उनका संस्कार हुआ। दिल्ली के सिक्ख बड़े लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी शहीदी दिवस के अवसर पर छुट्टी का ऐलान किया जाये। मदन लाल खुराना जी जब सी.एम. थे, तब उन्होंने कुछ कोशिश की थी। शीला दीक्षित जी ने भी रिस्ट्रिक्टेड होली डे की भी बात की। लेकिन पक्के तौर पर इसको एक राजकीय अवकाश बनाया जाये, इसकी मांग लम्बे समय से चलती आ रही है। गुरु तेग बहादुर हिन्द की चादर, धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुता की एक मूर्ति जिन्होंने एक कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाई तो डिप्टी सी.एम. साहब आश्वासन दें। मुझे

लगता है कि इस पर क्योंकि अकाली दल वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ने एक राजनीति शुरू कर दी है। यहां पर भी आकर घेराव करके गये। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उस दिन एक ड्राइ डे की घोषणा कर दी है, शराबबन्दी होगी और साथ में रिस्ट्रिक्टेड होली डे किया है लेकिन यह हर साल बात आयेगी, फिर सवाल होगा। तो इस मांग को आप पक्के तौर पर पूरा कर दें। इस तरह छट्ठ पर भी आपने बहुत बड़ी खुशी दी है। अगर इस मांग को भी आप स्वीकार करेंगे तो बहुत लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

Jh fotUn xx % माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने लोक महत्व के इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, राजधानीवासियों की एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो विकराल रूप धारण करती जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ रही संख्या और उनके द्वारा लोगों को काटने के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन आवारा कुत्तों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह देखने में आया है कि इन आवारा कुत्तों का sterilization करने तथा इन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त गाड़ियों का इंतजाम करने आदि उपायों में दिल्ली की तीनों नगर निगम असफल रही हैं। साधारणतः दिल्ली नगर निगम इसको बहुत हल्के में लेता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जिसके परिणामस्वरूप दिल्लीवासियों में इन आवारा कुत्तों का भय बढ़ रहा है। रात्रि के समय अपने घर लौटने वाले व्यक्ति

इनसे अक्सर भयभीत रहते हैं। क्योंकि गली–मौहल्लों में ये कुत्ते बड़ी संख्या में रहते हैं और मौका मिलते ही ये कुत्ते व्यक्तियों को अपना शिकार बना लेते हैं तथा कभी–कभी ये कुत्ते स्वयं भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा का परिसर भी इन आवारा कुत्तों की समस्या से अछूता नहीं है बल्कि एक माननीय सदस्य के कमरे में तो एक कुत्तिया ने बच्चों को जन्म दिया है। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली नगर निगम को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं अथवा कोई योजना बनाकर यथाशीघ्र क्रियान्वित करवाने की कृपा करें, जिससे राजधानीवासी इन आवारा कुत्तों के भय से निजात पा सकें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

...(व्यवधान)...

dqy noUn flg lgjkor % मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये बार–बार हम जो है कुत्ता जाति के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं तो हाल ही में वे सब एकजुट हुए थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल आया था तो उनमें से जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा था कि हम आपने हमें जो सम्मान पत्र वगैरह दिए हैं वो सब लौटाएंगे क्योंकि हमें बार–बार आवारा कहा जा रहा है तो एक प्राणी जीव के पीछे इस प्रकार से कटाक्ष को लेकर उनके बीच में बहुत रोष है ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सहरावत जी, इस विषय को छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़िए इसको। मेरी बात को समझिए, अब बैठिए...(व्यवधान)...

duy noUn flg lgjkor % और ये बड़ा गंभीर मामला है, एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी इनका इस्तेमाल किया था, उनको बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सहरावत जी बैठिए प्लीज। सदन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, unnecessary controversy खड़ी होगी, बैठिए प्लीज। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की भारी कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस संदर्भ में हमने आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया था और हमें उम्मीद थी कि उस पर यहां निश्चित रूप से चर्चा होगी और मंत्री जी उस पर जरूर संज्ञान लेकर सदन को सूचित करेंगे। लेकिन क्या कारण रहे, इतने महत्वपूर्ण मामले पर ध्यानाकर्षण आज यहां पर चर्चा में नहीं लाया गया। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा, मैं तथ्य पेश कर रहा हूं क्योंकि मामला गंभीर है इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी सदन को अवगत कराएं और ऐश्योर करें, जो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है, उसकी कमी के कारण जान जा रही है, मरीजों की जान जा रही है और चूंकि वेंटिलेटर की एक ऐसी स्टेज पर पेंशट को आवश्यकता पड़ती है, जब वो कौमा में है, या लास्ट एक ऐसी स्टेज आ गई है कि या तो उसकी जान चली जाएगी या फिर वेंटिलेटर से उसको बचाया

जा सकता है और कई बार ये देखा गया है कि अगर थोड़े समय के लिए वेंटिलेटर मिल जाता है तो पेंशट जो है वो बिल्कुल ठीक होकर घर चले जाते हैं और ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। वेंटिलेटर के बाद ठीक होकर जाने वाले मरीजों की एक बहुत बड़ी संख्या हैं, प्रतिशत में भी अगर मैं कहूं तो 40% से 45% मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर जैसी स्थिति में आने के बाद भी वापस गए हैं, ठीक होकर 40% से 45%, जो मेरी जानकारी में है, जो मेरे पास आंकड़े हैं। लेकिन वेंटिलेटर की कमी से मरने वालों की संख्या इस प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पीटल में 300 बैड हैं और मात्र 8 वेंटिलेटर हैं। मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़ें बता रहा हूं जो, ये तो आपको कम लगेगा, ये तो लगेगा कि फिर भी ठीक है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोक नायक हॉस्पीटल में लगभग 1,800 बैड हैं और जिनमें 17 या 16 वेंटिलेटर हैं सिर्फ 1,800 बैड के हॉस्पीटल में 16 या 17 वेंटिलेटर हैं। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पीटल में 600 बैड हैं, 600 बेडेड हॉस्पीटल है, बड़ा हॉस्पीटल है और पूरे नार्थवेस्ट एरिया को, लगभग 20 से 30 लाख पोपुलेशन को प्रत्यक्ष रूप से वो अस्पताल कैटर करता है वो अस्पताल उनके लिए एक लाईफ–लाइन है और वहां पर सिर्फ 5 वेंटिलेटर हैं। कहने का अर्थ ये है कि सरकार का जो कुल बजट है उसमें आपने डेढ़ गुणा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का बजट में प्रावधान किया है लेकिन पिछले दस महीनों में एक भी वेंटिलेटर की संख्या सरकार ने इन अस्पतालों में नहीं बढ़ाई है अर्थात् सबसे जरूरी या इमरजेंसी सर्विस अगर किसी को कहें तो वो वेंटिलेटर है और डेढ़ गुणा बजट हुआ है, 150% बजट हो गया है, 50% बजट में वृद्धि की गई है। जो लगभग जाकर छह हजार करोड़ अगर मैं सही हूं अपनी जगह पर, लगभग पांच से छह हजार करोड़ रुपया सरकार खर्च कर

रही है और एक वेंटिलेटर सरकार ने नहीं बढ़ाया। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और मंत्री जी से मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी, आप इस अति महत्वपूर्ण मामले पर मंत्री जी से जरूर बयान दिलवाएं, जिससे कि दिल्ली के लोगों में उम्मीद जगे, एक आस जगे कि सरकार इसका संज्ञान ले रही है। क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे और अगर करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार रचनात्मक तरीके से सोचने की कोशिश कर रही है।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी उत्तर दे रहे हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं। विजेन्द्र जी स्वयं उत्तर दे रहे हैं।

LokLF; e=h % अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं फिर से विजेन्द्र जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मैं बार–बार कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं। हमें याद दिलाते रहिए, हम सारे काम करेंगे। दो महीने हो गए हैं दिल्ली सरकार ने सौ वेंटिलेटर्स की परचेज की प्रक्रिया स्टार्ट की हुई है। जल्द ही वो आ जाएंगे। अभी आपने जैसा बताया तीन हॉस्पीटल्स में तीन हजार बैड हैं और 30 वेंटिलेटर्स हैं। अभी तो ये फर्स्ट फेज के आधार पर, मैं सौ के ऊपर रुक नहीं रहा हूं। अभी सौ वेंटिलेटर्स का आर्डर दिया गया है, जल्द ही उनको दिल्ली के अस्पतालों में लगा दिया जाएगा। उसके बाद देखो हो क्या रहा है? दिल्ली के अस्पताल काफी हद तक खुद बीमार हैं। पूरे हैल्थ सिस्टम को, कभी ये सोचा ही नहीं गया कि किस चीज के लिए बनाना है। दिल्ली सरकार के पास लगभग दस हजार बैड हैं। हमारे जितने भी

पेराफेरियल हॉस्पीटल बनाए गए, आप वहां पर जाइएगा तो वहां पर रैफरल के अलावा कुछ नहीं होगा आपका। जो सुविधाएं होनी चाहिए, आपने कहा वेंटिलेटर लगा दीजिएगा, वेंटिलेटर लगाना एकदम से इतना आसान भी नहीं है कि आप कहे कि मैं राजा हरिश्चंद्र हॉस्पीटल के अंदर 50 वेंटिलेटर लगा दूं, पॉसिबिल ही नहीं है। मैं तो वेंटिलेटर खरीदकर लगाना चाहता हूं। मैं सौ के ऊपर नहीं रुकने वाला। मैंने अपने सारे स्टॉफ को बुलाया था, डिपार्टमेंट को बुलाया था। तो मेरा मानना था कि एक हजार वेंटिलेटर आप लगा दीजिएगा। उन्होंने कहा सर, एक हजार वेंटिलेटर तो लगा देंगे, खाली वेंटिलेटर से काम चले तो, क्योंकि सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है, उसके लिए एन्सथीसिया के डॉक्टर्स चाहिए। एनस्थिस्टिस हमारे पास नहीं है। उसके अलावा जो पैराफेरियल है हॉस्पीटल्स में, वो जाने को तैयार भी नहीं है। तो हमने ये निश्चय किया है कि जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे इन्होंने जिक्र किया, तीनों अस्पताल बड़े अस्पतालों में आते हैं कि बड़े अस्पतालों के अंदर आप बढ़ाने स्टार्ट कीजिएगा, फिर छोटे में भी जाएंगे। तो फर्स्ट फेज के अंदर हम सौ वेंटिलेटर बढ़ा रहे हैं और जल्दी ही धीरे–धीरे इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और कभी आप मुझसे मिल सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं बता दूंगा।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % वर्तमान में जैन साहब अपने यहां कितने वेंटिलेटर हैं कुल।

LokLF; ea=h % सौ से कम हैं पूरी दिल्ली में।

v/;{k egkn; % 51 हैं।

LokLF; e=h % सौ से नीचे हैं।...(व्यवधान)...एक बार डबल कर लीजिएगा और फिर उसको फिर से डबल करेंगे।

Jh fotUn xIrk % माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % बस इतना बता दीजिए आप। जैसा आपने आर्डर किया हुआ है, उसको आप एक्सपीडाइट कराए और जैसे बाकी सर्विसिस भी उसके साथ चाहिए तो हम क्या उम्मीद करें कि कितना...(व्यवधान)...

LokLF; e=h % इस प्रोसेस को स्टार्ट किए हुए दो महीने हो गए हैं। अगले तीन या चार महीन में इंस्टाल हो जाएंगे।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं, ये विषय नहीं।

Jh jkt'k xIrk % ये बहुत जरूरी है ये एक ऐसा विषय है अगर मुझे 30 सैकेंड मिले। आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का और विजेन्द्र जी का बहुत धन्यवाद और मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं इन्होंने इस पर रोशनी रखी। क्योंकि दिल्ली का सचिव, स्वास्थ्य होने के नाते में इनमें रोज दो चार होता हूं। सर, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि केसेज रेफर होते हैं। इसकी बहुत समस्या हमें एम.सी.डी. के हॉस्पिटल्स से आती है। आप देखिए टी.बी. के जो हॉस्पिटल्स है।

v/;{k egkn; % एक सैकेंड। 280 में, मैं इस तरह बोलने देने लगा तो सदन की परम्परा बन जाएगी।

Jh jkts'k xqIrk % ठीक है सर। मैं आपकी बात मानते हुए बात खत्म कर देता हूं। मैं यह चाहूंगा कि क्योंकि ये दिल्ली के लोग ये नहीं देखते कि ये एम.सी.डी. का हॉस्पिटल है या भारत सरकार का या दिल्ली सरकार का। तो कोशिश हो कि इन सबके लिए एक नोडल ऑफिसर दे दिया जाए ताकि हम फोलोअप ले पाएं एम.सी.डी. के हॉस्पिटल से भी, जा हम ले नहीं पाते हैं। तो बहुत दिक्कत आती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % भई सोमनाथ जी ऐसे नहीं प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh % 280 में जो मुद्दे उठाए जाते थे उसका जवाब यहां से मिलता था, जो भी मंत्री महोदय एवेलेबल हों। अब आजकल नहीं होता ये। that's why I hurt...सर इसको जारी किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा।

v/;{k egkn; % नहीं, 280 में ऐसा कभी नहीं था।

Jh lkseukFk Hkkjrh % मैंने अभी कल भी बातचीत की और इसके पहले भी पता किया था।

v/;{k egkn; % नहीं, 280 में कभी जवाब का नहीं।

Jh lkseukFk Hkkjrh % 280 के मुद्दों का जवाब कभी आ ही नहीं रहा है।

v/;{k egkn; % कोई विशेष नहीं है अभी। इस बार दोबारा से सख्ती से आदेश दिया है और within 30 days जिस डिपार्टमेंट से नहीं आया है, मैं उसका पूरा संज्ञान लूंगा।

श्री एस.के. बग्गा जी।

Jh ,l-d- cXxk % अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान वैट डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिनांक 18.06.2012 को सरकार ने amendment section 28 DVAT Act 2004 में की। DVAT returns को quarterly, monthly revised करने का समय चार वर्ष से कम करके एक वर्ष कर दिया था। इससे दिल्ली के सभी व्यापारियों को बहुत मुश्किलों का सामना उठना पड़ रहा है। रिटर्न भरते समय किसी व्यापारी का टिन नम्बर गलत डाल दिया या नाम लिखने में कोई छोटी सी गलती हो गई या पता लिखने में छोटी सी गलती हो गई तो व्यापारी उसे एक वर्ष के अन्दर ही रिवाईज कर सकता है। पहले ये समय सीमा चार वर्ष थी इसका परिणाम ये है कि व्यापारी को ओब्जेक्शन फाइल करने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई हजारों ओब्जेक्शन व्यापारियों ने फाईल कर रखे हैं। उनकी सुनवाई तीन चार सालों से पेंडिंग पड़ी है। इससे व्यापारी न तो सी फार्म निकाल सकता है, न कोई कार्रवाई कर सकता है। इस ओब्जेक्शन में कोई टैक्स का इन्वावमैन्ट नहीं है न ही किसी किस्म का रेवेन्यू लॉस है। आपसे प्रार्थना है कि इस समय सीमा को पुनः चार वर्ष कर दें जिससे व्यापारी खुद रिटर्न को रिवाईज करके गलती को दूर कर सकेगा तथा व्यापारियों को वैट डिपार्टमेंट में बार–बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई हजारों ओब्जेक्शन अपने आप ही decide हो जाएंगे। इसमें सरकार को कोई वैट का नुकसान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सैक्शन 28 में अमैन्डमैंट करके इसकी समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर एक वर्ष की जाए। धन्यवाद।

v/;{k egkn; ½ आदर्श शास्त्री जी उपस्थित नहीं है। अब इसमें 11 नवम्बर जो बैलेटिंग हुआ है, करतार सिंह तंवर उनके स्थान पर मैं ले रहा हूं। श्री करतार सिंह जी तंवर।

Jh djrkj flag roj ½ अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली में बन्दरों की बढ़ती हुई संख्या और उनके द्वारा उत्पन्न आतंक की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली से जो बंदर पकड़े जाते हैं नगर निगम द्वारा उनको पकड़ कर छत्तरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत असौला वाईल्ड लाईफ सेनेचूरी में छोड़ा जाता है और वहां पर बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां पर वो बंदर रुकते नहीं हैं और पूरी विधान सभा के अंदर फैले हुए हैं। संजय कालोनी, भाटी माईन्स, डेरा गांव, फतेहपुर बेरी, असौला इन सभी क्षेत्रों में बंदरों की भरमार है। अध्यक्ष जी दिल्ली सरकार इनका रखरखाव करके रोकना चाहती है लेकिन क्योंकि वहां पर हालात बंदरों के रुकने लायक नहीं है। पूरे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि बंदरों को दिल्ली में न रखकर किसी अन्य राज्य जहां पर रखने लायक हालात हों। जहां पर ऐसे जंगल हो कि वहां पर ये रह सकें इसलिए ऐसी व्यवस्था करके दिल्ली को इनके आतंक से छुट्टी दिलाई जाए।

ekuuh; v/;{k }kjk O;oLFkk

v/;{k egkn; ½ मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसका जो उनका विषय था वो 280 में आ चुका। मंत्री जी ने

स्वयं उत्तर भी दे दिया है। दूसरा विशेषाधिकार हनन की सूचना पंकज पुष्कर जी से प्राप्त हुई थी। इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य से नियम 66 के तहत विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आपने मुझे लिखित में एक पत्र भी दिया है। जो कुछ उसमें आपने लिखा है, जिक्र किया है, वो विधान सभा के इस प्रांगण के अंदर नहीं है, जहां हम बैठे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आपने जिक्र किया है मैम्बर्स लॉज का या कहीं और बाहर का। मैं इस पर अभी व्यवस्था ये दे रहा हूं कि मैं इस पर सारी जानकारी लेकर फिर आपसे बात करूंगा, इस विषय पर व्यवस्था दूंगा।...

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % हां वो मैंने पढ़ लिया। आपने अभी दिया है मुझे। आपने लिखकर दिया है और उसको मैं पूरा संज्ञान में ले रहा हूं। अभी दिया है आपने मुझे सेशन शुरू होने से पांच मिनट पहले। मैं उसको ले रहा हूं। चिन्ता न करें। आपको पूरी जानकारी दूंगा। कॉलिंग अटेंशन।

Jh iadt iq"dj % ...मेरी जान को संकट हो रहा है। धमकी दी जा रही है, सदन के अंदर दी जा रही है। सदन के बाहर दी जा रही है।

v/;{k egksn; % मैंने आपका पूरा लैटर पढ़ा है। word by words पढ़ा है। विचाराधीन है। मैंने कहा आपकी बात को स्वीकार किया। मैं उस पर विचार कर रहा हूं। अगर सदन के भीतर होता मैं अभी निर्णय ले लेता।

v/;{k egkn; % नहीं, कोई रिकार्डिड नहीं है। अगर आपने लिखा है तो मैं देख लूंगा चैक करवा लूंगा।

Jh iqdt iq"dj % आप मुझे मरवाना चाहते हैं। धमकी सदन के अन्दर दी जा रही है। सदन के बाहर दी जा रही है। आप एक विधायक को सदन के अंदर मरवाना चाहते हैं।

v/;{k egkn; % unnecessary। फिर आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं, आप यह कह रहे हैं कि मरवाना चाहते हैं।

Jh iqdt iq"dj % मेरी जान को संकट है।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अब मेरी बात सुनेंगे। पुष्कर जी मेरी प्रार्थना एक बार सुन लीजिए।

Jh iqdt iq"dj % मुझे धमकी दी जा रही है। सदन के अंदर दी जा रही है। आपसे नहीं कहूंगा तो किस से कहूंगा?

v/;{k egkn; % आपने अपनी बात कह ली। अब बैठिए जरा प्लीज। मैं इस पर अपनी व्यवस्था पहले दे चुका हूं फिर मैं आपकी बात दोहरा देता हूं। दोबारा से दोहरा देता हूं। अगर कुछ ऐसी बात आपके साथ यहां हुई थी सदन में तो उसी वक्त खड़े होकर संज्ञान में लाना चाहिए था। नहीं, बैठ जाइए, पुष्कर जी।

Jh iqdt iq"dj % ...मैं संज्ञान में लाया था। मुझे धमकी दी जा रही है।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, मुझे व्यवस्था दे लेने दीजिए। पुष्कर जी प्लीज।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आपने जो लिखकर दिया है, मैंने कहा है, मैं उसको संज्ञान में ले रहा हूं। जो आपने कल मुझे लिखकर दिया है।

Jh iqdt iq"dj % अध्यक्ष जी मैंने यह 27 को दिया है।

v/;{k egkn; % 27 को दिया है मेरी टेबल पर कल आया है। मैंने उसको पढ़ा है पूरा, नहीं, वो देख लूंगा बाद में। 27 को दिया है 28 29 की छुट्टी थी।

v/;{k egkn; % आप बार–बार इसको जीवन के संकट का इतना मामला बना रहे हैं। आप बैठिए प्लीज।

v/;{k egkn; % आपने एक बात कही है कि उन्होंने सदन के अंदर कहा है। सदन के अंदर अगर कहा है तो मैं रिकार्डिंग चैक कर लूंगा। मैं कह रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। उस वक्त तुरन्त ये बात आती तो मैं संज्ञान में लेता, आज भी तो आप कह रहे हैं ना। आज भी तो आप इस विषय को उठा रहे हैं।

Jh iqdt iq"dj % ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, दोनों हाथ

जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं।...आपने मुझे लिखित में...नहीं ऐसे नहीं चल पायेगा। मैंने आपसे कह दिया है, मैं संज्ञान में ले रहा हूं मैंने रिजेक्ट नहीं किया है आपकी एप्लीकेशन को। मुझे समय तो चाहिए। नहीं ऐसे नहीं चल पायेगा।.. नहीं ऐसे नहीं। बीच में नहीं बोलेंगे कोई...अब बैठ जाइये।...मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।...मैं तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं...बैठ जाइये।...मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।...आपका मेरे पास कल टैबल पर आया है।...मैंने पूरा लैटर पढ़ा है।...एक एक शब्द बिना लैटर के दोहरा सकता हूं और मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं। इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं।...अब बैठ जाइये। अब रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते आप।...आपने कह दिया।...नियम 54 के अन्तर्गत मुझे श्री गुलाब सिंह जी से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिला है। गुलाब सिंह जी।

/;kukd"k.k çLrko ¼fu;e&54½

Jh xqykc flag ¼ धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी 20 अक्तूबर को नगर निगम साउथ दिल्ली ने एक स्टैण्डिंग कमेटी में फैसला लिया है और राधेश्याम शर्मा जी जो स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में लिया गया है। फैसला यह लिया गया है कि साउथ एम.सी.डी. के कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी विधायकों के साथ क्षेत्र में कहीं पर भी विजिट पर नहीं जायेंगे और उनके बुलाने पर किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे विधायकों के साथ नहीं जायेंगे। बहुत बड़ी तानाशाही इस फैसले के अंदर लग रही है कि राजनीति से प्रेरित होकर यह फैसला लिया गया है। ये ऑर्डर की कॉपी है, जो उन्होंने पास किया और दूसरा दैनिक जागरण

25 नवम्बर में ये आया हुआ है 'मंत्री और विधायकों के दरबार में नहीं जायेंगे निगम अधिकारी।' और ईवन यहां तक लिख भी दिया है कि निगम आयुक्त श्री पी.के. गोयल ने इस संबंध में सभी विभागों को और अधिकारियों को सरकुलर जारी कर दिया है। यानी कि अगर विधायक अपने क्षेत्र में कोई और कार्य हो या सफाई का मामला हो, मैं इस बात पर माननीय विपक्ष के नेता का भी ध्यान चाहूंगा। अभी मेरे क्षेत्र में हमारे सांसद घूम रहे थे। दिल्ली सरकार के सारे के सारे ऑफीसर्स हमारे उनके साथ थे। मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है और ईवन सांसद ही क्यों, काउन्सलर के साथ भी जायें। ''हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो'' पूरी दिल्ली की जनता के लिए चुनकर हम यहां आये हैं। अगर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक दूसरे के काम को रोकने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए हम 70 लोग या दिल्ली के चार सांसद या दिल्ली के जो चुने हुए काउन्सलर हैं, अगर ये साढ़े तीन चार सौ लोगों में आपस के एक दूसरे पर रोकथाम और बाधा डालने में अपनी राजनीति चमकाते रहे, तो दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तम नगर विधान सभा, नजफगढ़ विधान सभा और दिल्ली की ओर बहुत सारी विधान सभाएं, अभी तो केवल साउथ एम.सी.डी. में हुआ है, मुझे डर है, इस तरह के जो आदेश हैं, ये फैसले कहीं तीनों एम.सी.डी. में न आ जायें। तो हमारी ये जिन विधान सभाओं के मैंने नाम बताये, इन विधान सभाओं में तो आलरेडी सारी की सारी कालोनियां भी काम करने के लिए यू.डी. डिपार्टमैन्ट ने साउथ एम.सी.डी. को दे दी है। यानी कि अगर ये रहा तो फिर ये सारे विधायक काम कैसे

कर पायेंगे? आज एक इन्सपेक्टर जो सफाई करवाता है, उनको भी फोन करते हैं, तो फोन करने के बाद भी वो आते नहीं हैं, गंभीरता से मेरी बात सुनते नहीं हैं। मेरा वार्ड नं. 136 जो दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड होगा, वहां पर काउन्सलर नहीं है, सफाई व्यवस्था की बुरी हालत है। फोन करते हैं तो कोई संज्ञान लेता नहीं है, वहां पर चाहे वहां की निगमायुक्त हो...डी.सी. हैं गरिमा जी, वह नहीं आती हैं। आपके इन्सपेक्टर नहीं हैं। ये हालात वहां पर बने हुए हैं। अभी मेरे खुद के एरिया में अभी रूरल डेवलपमैन्ट बोर्ड ने एस्टिमेट बनवाये तो 45 करोड़ रु. के एस्टिमेट साउथ एम.सी.डी. ने मेरे जो रूरल डवलपमैन्ट एरिया में जो एस्टिमेट लगे हैं, गांव के, वह वहां पर भी हैं। यानी की अगर ये हालात होंगे, तो गांव कब जमीन पर आयेंगे, अगर इस तरह के फरमान सुनाये गये हैं, मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे दिल्ली के सांसद हों, चाहे काउन्सलर या चाहे हम सारे विधायक हों, हम सब को सारे के सारे अधिकारियों को जनता की समस्या सुनने के लिए ले जाने का अधिकार होना चाहिए। इसमें कहीं भी द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि इस विषय में संज्ञान लेते हुए ये सदन कोई ऐसा फैसला करे, माननीय उप मुख्य मंत्री साहब यहां पर बैठे हैं, वो इस विषय में संज्ञान लें कि इस तरह के तानाशाही भरे और एक हीन भावना से लिया गया ये फैसला कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, इसके ऊपर ये सदन बहुत गंभीरता से चर्चा करे, इस तरह का एक सरकुलर यहां से भी जारी हो कि सारे के सारे हमारे साथ काम करने के लिए आयें। आज सच्चाई यह है कि वे आना भी चाहें तो डरते हैं कि कहीं हमारा काउन्सलर हमारी शिकायत न कर दे,

कहीं नौकरी न चली जाये। हालात ये पैदा हो गये हैं। इसलिए गंभीरता से इसको लेते हुए इस पर कोई सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egksn; % इस विषय पर मुझे नरेश बाल्यान जी का भी नोटिस प्राप्त हुआ था। नरेश बाल्यान जी। ये जो कमिश्नर का नोटिफिकेशन है, इसकी कापी जरा मेरे पास भिजवा दें।

Jh ujs'k ckY;ku % अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है कि आज विधायक के बुलाने से न एम.सी.डी. का कोई डी.सी., न एम.सी.डी. का कोई अधिकारी, यदि हम किसी कार्य को लेकर उन्हें अपने क्षेत्र में बुलाना चाहें, तो कोई आ नहीं रहा है। क्योंकि 20 अक्तूबर को जो इन्होंने सरकुलर निकाला है। विजेन्द्र गुप्ता जी स्वयं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जो इन्होंने रेजुलेशन पास किया है, वह सरासर गलत है। आज अगर हम दिल्ली सरकार के अधिकारियों को मना करें कि सांसदों के दौरे पर न जायें, तो यह टकराव की स्थिति हो जायेगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि एम.सी.डी. के कमिश्नर को आप बुलायें और एम.सी.डी. कमिश्नर सारे अधिकारियों को ये सरकुलर भेजे कि जितने भी विधायक, अगर किसी एम.सी.डी. के अधिकारी या डी.सी. को बुलाना चाहते हैं, तो डी.सी. और एम.सी.डी. के अधिकारी उस दौरे में मौजूद रहेंगे। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egksn; % दो मिनट सहरावत जी, मैं आपको समय दे रहा हूं।

duZy nsosUnz lgjkor % अध्यक्ष महोदय, बिजवासन विधान सभा क्षेत्र

में पिछले 6 साल से एक फ्लाईओवर बन रहा है, और वह न केवल बिजवासन विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्रामीण नजफगढ़ तक की बेल्ट के गले में एक कांटा फंसा हुआ है।

v/;{k egkn; % सहरावत जी, जो प्रस्ताव चल रहा है न...मुझे बात समझ में नहीं आती। जो प्रस्ताव चल रहा है, उस पर बात करें।

duy noUn lgjkor % अध्यक्ष महोदय, साउथ दिल्ली के एम.सी.डी. कमिश्नर मीटिंग करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं उनको 6 महीने पहले लिख चुका हूं। वे खुलेआम हर रिक्वेस्ट को दरकिनार कर रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र को दिक्कत है। एम.सी.डी. कमिश्नर के संज्ञान में यह बात लाई जाये और उनको नसीहत दी जाये कि अगर चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह के बर्ताव किए जायेंगे तो विधान सभा में उनको बुलाया जाये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप बैठिए। भावना गौड़ जी।...आप बैठिए प्लीज। आज का समय जितना है, उसके हिसाब से...सोमनाथ जी, नरेश जी बैठिए प्लीज। ...सोमनाथ जी, मैंने अभी इजाजत नहीं दी। एक सेकेण्ड रुक जाइये। मैं अपनी बात कह लूं।

lJh Hkkouk xkM % अध्यक्ष महोदय, इस पर हम भी बोलना चाहेंगे।

v/;{k egkn; % भावना जी, एक सेकेण्ड रुक जाइये। देखिये, साउथ दिल्ली, एम.सी.डी. एरिया के सभी विधायक...सहरावत जी एक बार बात सुन

लीजिए, एक बार। दिक्कत ये है कि आप सुन नहीं रहे हैं। साउथ दिल्ली के सभी विधायक इस समस्या से पीड़ित हैं। मुझसे कई विधायक मिले भी थे और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ये अनकांस्ट्यिशूनल है सारा। भावनाएं सभी की एक हैं उसको चाहे हम दस व्यक्ति बोलकर बोलकर व्यक्त कर लें या दो विधायक व्यक्त कर लें। भावना यह आ गयी है कि पूरे विषय की। मैं केवल दो विधायकों को इस विषय पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं। एक भावना गौड़ को महिला होने के कारण और दूसरे सोमनाथ भारती जी को।...प्लीज अब और नहीं, सोमनाथ भारती जी।...अजय जी आपका आया हुआ है मेरे पास, प्लीज।

Jh IkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।...

v/;{k egkn; % गहलोत जी, दो मिनट बैठिए। अभी मैंने जिसको समय दिया है, उसको बोलने दीजिए।

v/;{k egkn; % सोमनाथ भारती जी।

Jh IkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ साल से साउथ एम.सी.डी. से काम कराना इतना मुश्किल हो गया था और अभी तक रिटन में नहीं आया था। इस नोटिफिकेशन के जरिये इन्होंने पहली बार अपने आपको एक्सपोज किया है in writing we have proof now कि ये लोग जान–बूझकर के राजनीतिक वैमनस्य के कारण, ये अधिकारियों को हमारे काम करने नहीं दे रहे। एम.सी.डी. के सारे एम्लायीज सैंण्डविच हो रखे हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, डी.सी. को रिक्वेस्ट करते हैं, उस तरफ से काउंसलर का डिक्टेट आ जाता

है कि आप उनका काम नहीं करेंगे। आज अखबार में भी आया है कि हमारी सरकार ने जो 'स्वच्छ दिल्ली' चलाया, 14000 कम्पलैंटस एस.डी.एम.सी. से आया है। सबसे अधिक कंप्लेंट एस.डी.एम.सी. से आया है। एस.डी.एम.सी. में कोई काम नहीं हो रहा। काउंसलर अपने वसूली में लगे हुए हैं और जो विधायक काम करना चाहता है, जो हमारे साथी यहां अपनी पीड़ा बता रहे हैं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। हम सब बहुत पीड़ित हैं। एम.सी.डी. कर्मचारी काम करके राजी नहीं है और वो इसलिए राजी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर काउंसलर्स का बहुत वर्चस्व है, उनको धमकी दी जा रही है, कि अगर एम.एल.ए. का काम करोगे, तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे।

v/;{k egksn; % आप लिखकर मुझे दे दीजिए प्लीज। जिनको जो बोलना है, लिखकर दे दीजिए। भावना गौड़ जी।

lqJh Hkkouk xkM+ % शुक्रिया अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

duZy noUnz lgjkor % अध्यक्ष जी, डिप्टी कमिश्नर से जवाब नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % सहरावत जी, बात आ गई आपकी। उस बात को चार बार कह लीजिए। अभी निर्णय करते हैं ना। गुलाब जी, अभी निर्णय करते हैं। सहरावत जी, प्लीज बैठिये। माननीय सदस्यों की भावना सदन में प्रकट हो चुकी है। बाल्यान जी बैठिये। मैं बात करता हूं, मैं इसको देखता हूं जैसे भी करना है। भावना जी, बहुत संक्षेप में, दो लाइनों में बोलिये।

lqJh Hkkouk xkM+ % शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, गत 20 तारीख को दिल्ली

नगर निगम की एक सर्वोच्च कमेटी जिसे स्टेंडिंग कमेटी कहते हैं, उसके अंदर राधेश्याम शर्मा जी की अध्यक्षता में विपक्ष, प्रतिपक्ष के नेता फरहाद सूरी ने एक प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। उसके बाद में निगम आयुक्त पी.के. गोयल द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया और उस सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर निगम के अधिकारियों को, उनके विभाग के अभियंताओं को एक निर्देश दिया गया कि जब तक पार्षद की अनुमति नहीं होगी विधायकों के साथ में वे एरिया में कहीं भी निरीक्षण में नहीं जायेंगे, इस तरह का आदेश राधेश्याम जी की तरफ से भी दिया गया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निगम का चुनाव जब पार्षदों ने लड़ा तो एरिया में जाकर के बहुत हाथ जोड़ कर के वोट मांगे कि दिल्ली का विकास करेंगे, इस तरह की कसमें उन लोगों ने खाई। मैं स्वयं भी दिल्ली नगर निगम के अंदर पार्षद रह चुकी हूं। विजेन्द्र गुप्ता जी मेरे साथी होते थे, लेकिन इस तरह की विडम्बनायें तो कभी भी हम लोगों ने नहीं झेली। लेकिन आज इस तरह का प्रस्ताव क्यों पास होता है। अध्यक्ष महोदय, यह पूरा का पूरा सदन इस प्रस्ताव की निंदा करता है और जो मेरे साथी बैठे हैं, अगर सच में इस प्रस्ताव के निंदक हैं, तो कृपया करके सदन में हाथ उठा कर के इस बात का प्रमाण आप लोग जाहिर करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास, दिल्ली सरकार के कामों और नगर निगम के कामों से सम्भव है।

v/;{k egkn; % भावना जी, कनक्लूड कीजिए प्लीज। इस विषय पर इतना समय नहीं था।

lqJh Hkkouk xkSM+ % अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रही हूं, आठ महीने हो गये हमारी सरकार को चुन कर आये हुए। पार्षदों ने काम करने छोड़ दिये, अधिकारी डर के मारे हमारी बात सुनते नहीं हैं और यह जनता से लम्बा–चौड़ा वायदा जो हम लोगों ने भी किया था, वो विकास के कार्य कैसे सम्भव हो पायेंगे, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से कि यह सर्कुलर जो निगम आयुक्त ने निकलवाया है, उसको तुरंत कैंसल किया जाये, विकास के कार्य हों, पार्षदों की सहमति से हों, विधायकों की सहमति से हों और अधिकारियों के हस्तक्षेप से हों ऐसा मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय एक और संदेशा मैं पार्षदों को देना चाहूंगी कि आठ महीने से, अध्यक्ष महोदय, सब के साथ हो रहा है। आठ महीने से सारे पार्षदों ने केवल एक लाइन को रट लिया है जो भी व्यक्ति उनके पास में सफाई के लिए जाता है, क्षेत्र के विकास के लिए जाता है, ठेकेदारों ने काम लेने छोड़ दिये हैं, उनको केवल एक शब्द सुनाई देता है झाड़ू वालों को जिताया है, उनके पास जाओ। जब वो लोग हमारे पास आयेंगे तो उनके अधिकारियों से संपर्क किए बिना सम्भव नहीं हो पाएगा।

v/;{k egksn; % भावना जी, कनक्लूड कीजिए।

lqJh Hkkouk xkSM+ % अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से इस सर्कुलर*[1] को तुरंत कैंसल करवाया जाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

v/;{k egksn; % पहले तो आप, एक सैकेंड, पहले जो आपने बोला है उसको दुरूस्त करिये। आपने बोला है प्रस्ताव को रद्द करवाया जाये।

---

*[1] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार यह शब्द ठीक किया गया।

lqJh Hkkouk xkM+ % जी।

v/;{k egksn; % कौन से प्रस्ताव को रद्द करवाया जाये।

lqJh Hkkouk xkM+ % इन्होंने जो सर्कुलर निकाल कर नोटिस जारी किया है अध्यक्ष जी।

v/;{k egksn; % सर्कुलर को रद्द करवाया जाये।

lqJh Hkkouk xkM+ % सर, सर्कुलर को रद्द किया जाये।

v/;{k egksn; % यह बोलिये।

lqJh Hkkouk xkM+ % जी सर।

v/;{k egksn; % यह ठीक कर लीजिए।

Jh ujs'k ckY;ku % अध्यक्ष जी, मेरे यहां मंत्री जी का दौरा था, मंत्री जी के दौरे के ऊपर निगम का कोई अधिकारी साफ–सफाई करने तक नहीं आया। मना कर दिया कि ऊपर से ऑर्डर है और कोई अधिकारी सफाई करने के लिए भी नहीं आयेगा। इमरान हुसैन जी का दौरा था मेरे यहां पर।

v/;{k egksn; % महेन्द्र जी। सहरावत जी, आप दो बार बोल चुके। मेरी प्रार्थना है, ऐसे नहीं चल पायेगा। सहरावत जी, आप दो बार बोल चुके हैं।

Jh egsUnz ;kno % अध्यक्ष जी, सबसे पहले...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % सहरावत जी, यह विषय की बहुत बड़ी गरिमा है। आप दो बार उठ चुके हैं। दोनों बार मैंने सुना है।

हां, बताइये। संक्षेप में करिये। महेन्द्र यादव जी

Jh egUn ;kno % अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। दीवाली से पहले अक्टूबर के महीने में जो सर्कुलर इन्होंने पास किया कि एम.सी.डी. का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी विधायक के कहने से काम नहीं करेगा। अभी पीछे डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा जारी था। मेरे यहां वार्ड 122 पड़ता है। वार्ड 122 के एरिया इंचार्ज को मैंने कहा कि आप फॉगिंग के लिए उस जगह पर जाइये। वो वहां पर फॉगिंग करके आ गया, करने के बाद उसके वहां का जो निगम पार्षद है, उसको बोलता है, ''एम.सी.डी. की नौकरी कर रहा है या विधायक की नौकरी कर रहा है?'' यह बहुत शर्म की बात है। क्योंकि उस समय एक जान बचाना सबसे बड़ा एक मकसद था लोगों का कि डेंगू से जितनी भी जान बचाई जा सके, उतनी जान बचें। तो इस तरह की जो हरकतें, छोटी–छोटी बातें, इस तरह के जो विचार है एम.सी.डी. में और दिल्ली नगर निगम के जो ऐसे अधिकारी है और हम काम के लिए जो ऐस्टिमेट बनाते हैं, हमने ऐस्टिमेट काफी टाइम से बनवा रखे हैं लेकिन उनको कोई लगाता नहीं है तो यह जो सर्कुलर इन्होंने जारी किया है मैं कहना चाहता हूं इसको वापस लिया जाये और हम यहां दिल्ली में विकास करने के लिए आये हैं, क्षेत्र की जनता के काम करने के लिए आये हैं। हिस्सों में बंटने के लिए नहीं आये कि यह एम.सी.डी. का कर्मचारी है, यह दिल्ली सरकार का है, यह सांसद के हिस्से का है, यहां हिस्सों में बांटने के लिए नहीं आये। विजेन्द्र गुप्ता जी, चेयरमैन भी रहे हैं और मैं भी निगम पार्षद रहा हूं लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा

अब की बार हो रहा है। विजेन्द्र जी से भी कहना चाहूंगा कि मेयर के साथ मिलकर, इसको वापस लिया जाये। अगर ऐसी सोच रही तो आने वाले निगम के चुनाव में विजेन्द्र जी को कहना चाह रहा हूं कि ऐसे साफ हो जायेंगे जैसे दिल्ली में अब की बार साफ हो गये। अगर ऐसी सोच रखी है, अगर सोच बदल जाएगी तो आगे बढ़ जायेंगे। धन्यवाद।

v/;{k egk¨n; % कैलाश गहलोत जी। देखिये, पूरा सदन बोलना चाहता है, इस विषय पर।

...(व्यवधान)...

v/;{k egk¨n; % तंवर जी, प्लीज बैठिये। गहलोत जी।

Jh dSyk'k xgyk¨r % अध्यक्ष जी, सदन की जो भावनाएं हैं और सभी विधायक इस सर्कुलर और नोटिफिकेशन से पीड़ित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग कमेटी ने डिसिजन लिया और उसके उपरांत जो कमिश्नर ने सर्कुलर इशु किया कि विधायक के साथ कोई भी एम. सी.डी. का अधिकारी नहीं जायेगा। मैं आपको अपनी विधान सभा का एग्जाम्पल देता हूं। मेरी विधान सभा में 194 कालोनियां हैं। सारी अनअथोराइज्ड है। सारी एम.सी.डी. के पास है और जितना भरोसा एम.सी.डी. में दिल्ली सरकार ने जताया, सारी की सारी कालोनी अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एम.सी.डी. के हवाले की है, मतलब की सभी कालोनियों का जो डेवलपमेंट वर्क है, वो एम.सी.डी. के द्वारा किया जायेगा। अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो फंड देगा, वो भी एम.सी.डी. के द्वारा लगाया जायेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या कारण

हैं कि इतने ऑनकस्टिट्यूशनल डिसिजन लिए जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या कारण हैं कि इतने unconstitutional decisions लिये जा रहे हैं and, I think बिल्कुल they are striking at the root of democracy. एक विधायक जो है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है। am really surprised कि एम.सी.डी. कैसे ऐसे डिसीजन ले सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे कमीश्नर को समन किया जाए। लेकिन इसको आप जल्द से जल्द कैंसिल कराइये और विड्रा कराइये। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % देखिये, अभी दो और प्रस्ताव आ रहे हैं। उन पर समय दे दूंगा। चलिए तंवर जी, तंवर जी के बाद आपका। भई ये ऐसी नहीं, प्लीज। ऐसे ही तीन–तीन सदस्य एक साथ खड़े होंगे तो कैसे बात बनेगी

Jh djrkj flag roj % माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एम.एल.ए. हैड से छत्तरपुर में रोड के निर्माण के लिए एक टैण्डर की प्रक्रिया चालू की गई और एम.एल.ए. हैड से 24.09.2015 को बजट दिया गया। फाइल साउथ जोन चेयरमैन के पास आती है एंटीसिपेशन के लिए। सिर्फ एक साइन करना होता है। मैं भी दो साल जोन का चेयरमैन रहा हूं। 24.9.15 को फाइल पर डिस्कस करके छोड़ दिया जाता है 24.9.15 से। दसवें महीने में फिर मीटिंग होकर वह निकलती है। उसके बाद मिनट्स क्लीयर नहीं होती। दो महीने सब कुछ होने के बाद डी.सी. के साइन होने के बाद सब कुछ टैण्डर होने के बाद निगम की कार्यप्रणाली की वजह से जानबूझकर। टैण्डरिंग में फाइल नहीं जा पा रही है। इसी बीच में जो वहां

से पूर्व विधायक हैं वो पोस्टर्स निकालते हैं, होर्डिंस लगाते हैं कि विधायक छतरपुर के नाले का काम कर रहा।

अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। यह पहले से ही हो रहा है। टैण्डर्स जो हम बजट दे रहे हैं। निगम द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की गई और दो महीने तक टैण्डर नहीं लगा। आज भी वो उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है।

v/;{k egkn; % आपका विषय आ गया अब प्लीज बैठिये। अभी दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हैं, उन पर भी चर्चा होगी।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हैं, उस पर समय दूंगा। भई सभी बोलेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। आप व्यवस्था को समझिये। अब बैठ जाइये, प्लीज। मैं अगले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दूंगा आपको समय। वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं भी सदन के सामने एक बात रखना चाह रहा हूं विशेषरूप से। मेरे अपने क्षेत्र में एक कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास हुआ था। एम.सी.डी. का कम्युनिटी हॉल और उस पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जहां मेरा नाम उचित ढंग से लिखा जाना चाहिए था, प्रपोजल पी.डी.एम.सी. को भेजा और वो कापी मेरे पास आ गई। मैं सदन को जानकारी देना चाह रहा हूं। मेयर ने अपने हस्ताक्षर से मेरा नाम काट दिया। मैं कापी दूंगा विजेन्द्र जी आपको। मैं बोला नहीं कभी। मैं इतना पीड़ित हुआ। मैंने लैटर कमीश्नर को लिखा ई.डी.एम.सी. आज तक कोई उत्तर नहीं आया। एल.जी. को with copy

लैटर लिखा। Till now, no reply ये एम.सी.डी. की कार्यप्रणाली है, जिसकी मैं स्वयं भी पीड़ित हूं, टिप्पणी कर रहा हूं। अब मैं विजेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे और फिर उसके बाद माननीय उप–मुख्यमंत्री।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं, अब नहीं। भई, अब नहीं। देखिये ऐसे नहीं। मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी न। सबकी वही चीज है। सब सदस्यों की वो ही चीज है। देखिये टोका–टिप्पणी नहीं। मैं विजेन्द्र जी से यह प्रार्थना करूंगा कि किसी भी...

Jh fotsUnz xqIrk % हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, एक सेकेण्ड। मैं प्रार्थना ये करूंगा। सदन के सदस्यों की भावना को समझते हुए नोटीफिकेशन हमारे पास है। उस आधार पर हम अननैसेसरी माहौल न खराब हो। मैं आज आपके लिए धन्यवाद देता हूं और उसी ढंग से आप चर्चा को आगे बढ़ाइये और सभी साथियों से प्रार्थना है कि ध्यानपूर्वक समझेंगे।

Jh fotsUnz xqIrk % हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इस सदन को ये समझ लेना चाहिए कि नगर निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है। क्या कारण है कि इस तरह के आदेश आये हैं किन परिस्थितियों में ये आदेश जारी किये गये हैं क्यों दक्षिण दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में सर्वसम्मति से पूरे सदन की भावना को ध्यान में रखकर यह निर्णय हुआ है, इसके क्या कारण हैं? ये हमारे सामने आना बहुत जरूरी

है। लेकिन जो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं वो ये है कि दिल्ली सरकार के छोटे या बड़े किसी भी कार्यक्रम में किसी भी नगर निगम पार्षद को नहीं बुलाया जाता है, न ही कोई सम्मान दिया जाता है, न ही कोई उसको साथ जोड़ा जाता है और न ही कहीं उसको बैठाया जाता है। उप–मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। अगर ऐसा कोई डेडलॉक है तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक पहल करें और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए वो अपनी तरफ से कोई निर्णय करें। दूसरा मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के तत्वाधान में आने वाले विभाग निगम पार्षदों को किसी भी रूप में, किसी भी समस्या पर संज्ञान लें। क्योंकि दोनों संस्थायें चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो या चाहे वो दिल्ली सरकार हो, दोनों संस्थाओं का अगर मूल कोई उद्देश्य है तो वो है दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह होना।

अध्यक्ष जी, आपने भी एक भावना व्यक्त की, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप सोचिये कि सीवेज और ड्रेनेज, क्या इनको हम अलग करके देख सकते हैं दिल्ली की परिस्थितियों में लेकिन सीवेज की अगर समस्या होती है तो कोई पार्षद की नहीं सुनेगा और ड्रेनेज की समस्या आती है तो कोई विधायक की नहीं सुनेगा। ये जो विरोधाभाषी स्थिति है, ये समाप्त होनी चाहिए और एक उच्च–स्तरीय बैठक उप–मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और अगर संभव हो तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आयुक्तों की, मेयर की और उप–मुख्यमंत्री जी रहें। मुख्यमंत्री जी भी रहें तो बहुत अच्छा नहीं तो उप–मुख्यमंत्री जी अपने लेवल पर करें और क्यों इस तरह के डिफ्रेन्सेज बढ़ रहे हैं, क्यों इस तरह की स्थिति आ रही है? मूल

में मैं समझता हूं कि हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। उनकी समस्याओं का समाधान करें और अगर इस डेडलॉक को हटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है तो जो लोग खुश होंगे, उनमें सबसे पहला शायद मैं होऊंगा। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % माननीय उप–मुख्यमंत्री जी।

mi eq[;ea=h dk oDrO;

mi&eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे पर यहां चर्चा हो रही है और विजेन्द्र गुप्ता जी ने भी अभी कहा। इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूं कि देश का संविधान three tier governance की बात करता है और तीनों के बीच तालमेल की बहुत जरूरत है। तीनों टीयर्स को एक–दूसरे की स्वायत्तता का भी ध्यान रखना है लेकिन साथ–साथ एक–दूसरे के साथ सहयोग भी करना है और हमारी सरकार इसमें पूरा यकीन रखती है। तमाम सदस्यों को याद होगा, विजेन्द्र गुप्ता जी भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। शायद इस तरह के बहुत विरले ही कार्यक्रम होते हैं जब तीनों टीयर ऑफ गवर्ननेन्स इकट्ठा होकर इस तरह इकट्ठा होकर आती है और बहुत शुद्ध भाव से काम के लिए आगे आती हैं। दिल्ली स्वच्छता मिशन जो है, वो इसी का एक नमूना था। जहां तक प्लानिंग से लेकर उसकी कल्पना जब आई मन में वहां से लेकर उसको डिजाइन करने से लेकर उसकी इम्पलीमेन्टेशन तक में दिल्ली सरकार ने नगर निगम और केन्द्र सरकार, दोनों अलग टीयर्स को साथ लेकर दोनों दूसरी टीयर्स के साथ लेकर तीनों टीयर्स के साथ में मिलकर कार्यक्रम चलाया है और काफी सफल भी रहा

है। उसके जिस तरह के काफी वीडियोज और जिस तरह के फोटोग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं। तो बिना एक–दूसरे के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता और दिल्ली जैसी जगह पर जहां layers of governance बहुत ज्यादा है। multiplicity of governance बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो मैं माननीय सदस्यों के सामने ये स्पष्ट कर दूं कि ये नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव है जो एक कमेटी ने दिया है। कमेटी के प्रस्ताव के बाद ये नोटिफिकेशन के लिए गया होगा। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैंने अभी यहां सदन में आने से पहले कमिश्नर साहब से बात की थी और जो मेयर साहब है, उनसे भी पूछा था कि भई, सदन में इस पर चर्चा होनी है और अनावश्यक रूप से एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में इनक्रोचमेन्ट नहीं करते हुए हमें एक दूसरे की गरिमा भी बना के रखनी है। तो कमिश्नर साहब का भी कहना था कि उन्होंने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है। अभी तो इसकी हैसियत सिर्फ प्रस्ताव भर की है और राजनीति इसमें ये हुई है कि प्रस्ताव की कापी कर्मचारियों को बांट दी गयी है। हालांकि कर्मचारियों को आदेश की कापी जानी चाहिए पर जैसे भी हुआ होगा। जो भी राजनीति हुई होगी, वो ठीक नहीं है। हां, इसका पालन भी होने लगा जैसाकि लोग बता रहे हैं। ये ठीक नहीं है। चुनी हुई इस सरकार का मानना है कि...नहीं सर्कुलर नहीं है। अखबार से तय नहीं होगा न कि सर्कुलर आया कि नहीं आया।

v/;{k egkn; % भावना जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

mi e[;e=h ½ सर्कुलर आया कि नहीं आया ये अखबार में किसी नासमझ पत्रकार की नासमझी से तय नहीं होगा। ये तय इस बात से होगा कि सर्कुलर, कमिश्नर ने जारी किया है कि नहीं किया है। जहां तक मेरी सूचना है, अभी कमिश्नर साहब ने सर्कुलर जारी नहीं किया है तो इसलिए, एक मिनट, तो ये मैं यहां पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये प्रस्ताव बहुत असंवैधानिक है और मैं स्वयं मेयर साहब से बात करके इस इश्यू को सॉल्व करवाऊंगा और जहां तक अधिकारियों के जाने का सवाल है, मुझे लगता है कि हम बात करके, चाहे वो केन्द्र सरकार के अधिकारी हों और चाहे वो दिल्ली सरकार के अधिकारी हों या नगर निगम के अधिकारी हों, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जाना, क्योंकि पब्लिक ये लाईन्स नहीं देखती है, पब्लिक कहती है कि हमने तो चुना हुआ है, आप हमारा काम करवाओ। आप हमारा साल्यूशन दो। हम भी इस बात में यकीन रखते हैं कि ये लाईनें न खींची जायें। हालांकि विजेन्द्र जी की पार्टी जब केन्द्र में सत्ता में बैठी हुई है तो इस पर सहमत होती नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही के खिलाफ भी हम करप्शन की एफ. आई.आर. कराने जाते हैं तो ये पूरे के पूरे लॉ डिपार्टमेन्ट को, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इन्फोर्स कर देते हैं कि खबरदार! अगर दिल्ली सरकार के कहने पर एफ. आई.आर. हो गयी तो.... नहीं, डाईवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि (व्यवधान)...मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के फेडरलिज्म में यकीन करती है, उसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी दिल्ली की मौजूदा सरकार है। केन्द्र सरकार के तरफ से जिस तरह का असहयोग बार–बार, अलग–अलग जगहों पर मिलता रहा है लेकिन उसके बीच से भी मैं कह रहा

हूं कि वेंकया नायडू जी ने हमारी इस बात को सराहा कि आप नगर निगम को और उसको साथ ले के चलें। तो मैं डाईवर्ट नहीं करते हुए सिर्फ इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर मेरी मेयर साहब से भी बात हुई है, कमिश्नर साहब से भी मैंने पूछा। नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है और इसके बारे में जो भी जरूरी दिशानिर्देश होंगे, सरकार भी जारी करेगी और कोशिश करेगी कि बातचीत के जरिये आपस में एक सौहार्द का माहौल बने और तीनों टियर ऑफ गवनेन्स मिलकर काम करें। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % बहुत–बहुत धन्यवाद।

Jh lkseukFk Hkkjrh % पिछले दस महीने से थाना लेवल कमेटी नहीं बना है। कोई एम.एल.ए. अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है। क्योंकि ये। अध्यक्ष महोदय अरजेन्ट पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का मामला है आल राइट।

v/;{k egkn; % सोमनाथ जी इस विषय को किसी नियम के अन्तर्गत। देखिये सोमनाथ जी मेरी प्रार्थना है ऐसे किसी नियम के तहत, कोई तो नियम के अन्तर्गत आप लिखकर भेजिये न जी। आप सीनियर मोस्ट हैं। आपको लिखके. ..आप आज चार बजे तक इसको नोटिस दे दीजिए। कल इसको समय दे देंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर दिया है। मैं उसमें कुछ चीजें और जोड़ रहा हूं। शायद आपके ध्यान में भी होगी विजेन्द्र जी। मेरे यहां एक शिलान्यास होना था डी.यू.एस.आई.बी. की ओर से। अपना ये जो झुग्गी–बस्तियों

में बस्ती विकास केन्द्र बनाते हैं। मैंने उससे पीड़ित होकर वो बात शुरू की है। चौथे महीने की बात है। सरकार आयी थी। मैंने उनको लिखकर के दिया। प्रपोजल दिया कि सांसद महोदय नेम प्लेट में नहीं रखा जाए। उन्होंने वो प्रपोजल एज इट इज वहां भेजा और मनीष जी ने वो टर्न डाउन कर दिया कि रखा जायेगा। मैंने फोन पर बात की। मैंने कहा कि मेरा ऐसा मामला हुआ। मनीष जी ने उत्तर दिया, रामनिवास जी बड़ा दिल करिए। लेकिन मैं बड़ा दिल नहीं कर पाया हूं। मैंने बिना पत्थर के काम चालू करवा दिया। मैं एक्सपेट कर रहा हूं। ये मनीष जी को ध्यान होगा। राइटिंग में है सब कुछ। राइटिंग में है सारा रिकार्ड। वहां से मनीष जी की नोटिंग है नहीं, सांसद को रखा जाये। पत्र में नाम लिखा है। फिर मैंने ये निर्णय लिया अन्त में। मैं यह सब सदन के बीच में रख रहा हूं कि नेम प्लेट नहीं रखी जाए। विदाउट नेम प्लेट शिलान्यास करवा दिया जाए और अन्ततोगत्वा अभी चार दिन पहले उस बस्ती विकास केन्द्र का शिलान्यास करवा दिया।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, इसमें जोड़ दूं कि सरकार कोशिश करती है कि जितने भी कार्यक्रम हों, उसमें सभी को बुलाया जाए नेता प्रतिपक्ष से भी हम बार–बार, गोपाल भाई ने भी कहा है कि हमारा जो कार फ्री साईकिल, कार फ्री–डे रहता है, जिसमें साईकिल चलाते हैं। जगदीश जी भी आयें, आप भी आयें, हम तीनों मेयर्स को भी बुलायेंगे। मैं आमंत्रित भी करूंगा। ऑफिसियली भी हम आमंत्रित करेंगे। क्योंकि आपने जिक्र किया। इसलिए मुझे लगा कि सदन का एक मिनट का समय, तीस सेकेण्ड का ले लूं उस पर। नेम प्लेट लगाने की जो राजनीति है न सर, ये थोड़ी सी हमें बदलने की जरूरत है। एम.एल.

ए. ने मेहनत नहीं की। ठीक है, जनप्रतिनिधि है। मेरा तो मानना है कि एकाउन्टिबिल्टी और क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने वहां काम किया है। इसका मैंने प्रयोग अपनी विधान सभा में किया है। हमारे यहां अभी जितने कार्यक्रम शुरू हुए हैं, पिछली बार जब एम.एल.ए. रहे हैं, सरकार में रहे, एम. एल.ए. रहे तो उस दौरान कुछ चीजों को पुश किया था तो उनके अब परिणाम आने लगे हैं। तो वहां वो चीजें शुरू हो रही हैं। परम्परा के अनुसार नेम प्लेट, स्टोन भी लग रहे हैं। तो हमने अपने यहां परम्परा बदल दी है। हमने एक फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन कराया तो उसमें मैंने पहले तो वो फाईलें देखीं और उसमें पांच–छह मजदूरों को जिनको भुगतान हुआ था जिन्होंने काम किया पूरे पुल के बनवाने में। हमने उसकी भाषा बदल दी, स्टोन की। हमने लिखा इस पुल का निर्माण इन पांच मजदूरों की दिन–रात की मेहनत से फलाने इन्जीनियर के प्रावधान में किया गया। उससे दोनों चीजें हुईं। एक तो जिन मजदूरों ने चलती गाड़ियों के बीच से, ऊपर से कड़के तान के, जान पर खेलके वो पुल बनाया, उनको भी सम्मान मिला और साथ–साथ जिस अधिकारी ने बताया। कई बार हम पूछते हैं जी पुल कमजोर बना, अच्छा बना, उस अधिकारी का नाम रहेगा, जी अच्छा बना। खराब बना, जल्दी टूटा, लोग पढ़–पढ़ के बतायेंगे देखो इस ऑफिसर ने बनाया है। तो ये परम्परा थोड़ी सी... बदले में मैं सुझाव के रूप में दे रहा हूं। मुझे लगता है ऐसा हम सब साथी कर सकते हैं।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। दूसरा ध्यानकर्षण प्रस्ताव श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

Jh vfuy dqekj ckti;h % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली के अन्दर हर, यहां पर सभी विधायक लोग भी बैठे हैं और मैं समझता हूं कि जितने लोग यहां पर हैं, उन सब लोगों के मन में कहीं–न–कहीं ये धारणा है कि जो डिस्काम के द्वारा बिजली के मीटर लगाये गये हैं, वो मीटर काफी हद तक तेज चलते हैं। जब कि डी.ई.आर.सी. की गाईडलाइन है, उसके पेपर भी मेरे पास हैं। अब सन् 2012 में मैंने डी.ई.आर.सी. के समक्ष आर.डब्लू. ए. के माध्यम से मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हर कंज्यूमर को अधिकार है कि वो अपना मीटर स्वयं खरीद कर लगा सकता है लेकिन इस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हैं और ये हमारा अधिकार है। मैं आज, आप हमारे अध्यक्ष भी हैं और हम जितने भी सदस्य हैं और डी.ई.आर.सी. की जो गाईडलाइन है, मैं उसके बारे में जरूर उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि :

"the consumer if so desired may procure a meter confirming to the regression issued by the authority under section 55 of the act and the license shall test, install and shield the meter provided that if any consumer alleged to provide his own meter at any stage the same shall be procured by license at the consumer cost or the consumer may purchase on his own, meter purchased by the consumer own or consumer behalf shall be tested, install the sealed by the license, the said meter will however had to be consistent with the CA regression published under section 55 of the act and should have all additional features approved by the Commission. The features approved by the Commission shall be posted on the website of the License Consumer Cell claim the meter purchased by him and paid by him as the assist only after it is

permanently removed from the system of the License"

यहां पर जितने भी हम सब सदस्य बैठे हैं, माननीय सदस्य बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि जिनके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो मीडियम क्लास के लोग हों, हर दिन हमारी विधानसभा में लोग आते हैं और वो कहते हैं हमारा मीटर फास्ट चल रहा है। कई बार इस मामले में हम लोगों ने संघर्ष किया है लेकिन आज तक पिछली सरकारों ने, उस समय भी हम लोगों ने डी.आर.सी. का भी पुतला जलाया था, विजेन्द्र गुप्ता जी भी उस दिन डी.आर.सी. की मीटिंग में भी आये थे और याद होगा कि हमने वहां पर शीला दीक्षित के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और डी.आर.सी. के चैयरमैन ने खुले रूप में, जब हमने ये बात उनके सामने रखी तो विजेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है लेकिन मुझे अफसोस है आज तक कि इस बात का जो ये अधिकार कन्ज्यूमर को मिला हुआ है, यह अधिकार कन्ज्यूमर को आज तक नहीं दिया गया है। माननीय सतेन्द्र जैन साहब यहां बैठे हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया है इनसे। मैं चाहूंगा इस पर वह अपना वक्तव्य जरूर दें। दिल्ली सरकार ने बड़े सराहनीय काम किये हैं। मैं समझता हूं उन कामों में ये भी एक बड़ा काम है कि अगर दिल्ली के लोग स्वयं अपना मीटर खरीद कर लगा सकें तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी एक क्रांति की शुरुआत इस तरीके से हो जायेगी। मेरा अनुरोध है ऊर्जा मंत्री साहब से जैन साहब से कि इस बारे में वक्तव्य दें।

एक दूसरी बात भी मैं और आपके समक्ष कह देना चाहता हूं जिसको हम कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं। एक बड़ा कड़वा सच मैं कह रहा हूं

कि जितनी भी झुग्गियों में चले जाइये, जिस भी क्षेत्र में चले जाइये जितनी पुलिस की चौकियां हैं उनमें सब लोग डायरेक्ट मीटर का तार लेकर बिजली की चोरी करते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जायेंगे तो इस देश का कौन सुधार कर सकता है। मैं जैन साहब से कहना चाहता हूं कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाये क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कंपनियां अगर ये कहती हैं कि हम घाटे में हैं तो हम भी उनके साथ हैं लेकिन जो इस तरीके की सीधी चोरी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच की जाये और अगर ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये और भी एक बात मैं कहना चाहता हूं।

v/;{k egkn; % देखिये, बाजपेयी जी जो प्रस्ताव है उस तक सीमित रखिये। प्रस्ताव की भावना खत्म हो जायेगी।

Jh vfuy dqekj cktis;h % चलिये ठीक है सर मैं उसी पर आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि डी.आर.सी. एप्रूव्ड करती है, यह ऑर्डर है उसका। डी.आर.सी. एप्रूव्ड करती है कि कौन सी कंपनी के मीटर लगाने चाहिये लेकिन डी.आर.सी. ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। यह इन्होंने केवल चार कंपनियों को ठेका दिया है कि इन चार कंपनी के लोग मीटर लगा सकते हैं। यह सरासर गलत है, ये अधिकार बी.एस.ई.एस. को नहीं है। ये अधिकार एन.डी.पी.एल. को नहीं है। ये अधिकार केवल डी.आर.सी. को है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो इस पर ध्यान दें और अपना वक्तव्य दें। ये एक गंभीर विषय है और मैं सदन के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस गंभीर मुद्दे पर हम लोग

साथ दें चाहे वो सदन के हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की सदस्य हों या हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य हैं। वो भी इस समस्या से कहीं ना कहीं जूझते रहेंगे और मैं समझता हूं कि ये गंभीर विषय है और माननीय मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अखिलेश त्रिपाठी जी।

Jh vf[kys'k f=ikBh % अध्यक्ष महोदय, अनिल बाजपेयी जी द्वारा जो मुद्दा आज उठाया गया है, मैं अपनी बात उसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ाता हूं कि बिजली के मीटर तो लगाने का अधिकार कुछ कुछ लोगों को दे दिया गया वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। अभी एक और कुचक्र चल रहा है जो मीटर चार साल पहले बदल दिये थे, अभी एक मोहित गोयल हैं, कल शाम को इत्तेफाक की बात है मेरे पास आये थे, बहुत इत्तेफाक की बात है और उन्होंने कहा कि वे लोग आये थे और कह रहे थे कि मीटर आपका बदला जायेगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं है मीटर बदलने का आप किस रूल के तहत मीटर हमारा बदलना चाहते हैं। हमारा इलेक्ट्रोनिक मीटर है। चार साल पहले आपने लगाया था। अगर कोई फाल्ट है उसमें तो आप मुझे बताइये, आप लिखकर दीजिये। मैं आपको बिल्कुल रोकूंगा नहीं मीटर बदलने से लेकिन गैरकानूनी तरीके से बिना नोटिस दिये आप कैसे बदल रहे हैं? उन्हें धमकी दी जाती है कि आपकी लाईट काट दिया जायेगा। आप अगर मीटर नहीं बदलवाते हैं। मैं समझ नहीं पाता इतना गुंडागर्दी कैसे चल रही है? ये मीटर क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि सामान्यतः चार सौ, पांच सौ, छह सौ रुपए तक का ऐसे ही बिल आ रहा है। कम बिल आने के कारण उनको कह रहे हैं मीटर बदल

देंगे, बिना नोटिस दिये। ये बहुत गंभीर विषय है। दूसरा ये पूरे दिल्ली में भी चल रहा है ये तो मैं एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कहेंगे तो मीटर के साथ दे दूंगा कि उनका जो बिल आ रहा है तीन सौ, चार सौ, साढ़े चार सौ, पांच सौ, ऐसे ही आ रहा है। दूसरा अभी बाजपेयी जी जैसा कह रहे थे कि आज बिजली के जो कर्मचारी हैं वो मीटर में ये चोरी करवाने में शामिल हो गये हैं। हमने पकड़ा भी, हमने शिकायत भी करी।

v/;{k egkn; % त्रिपाठी जी, प्रस्ताव के मूल विषय पर रहिये। चोरी का विषय इसमें नहीं हैं इसको मीटर तक जोड़िये। आपने पहले जो विषय रखा है, ठीक है।

Jh vf[ky'k f=ikBh % ठीक है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये इससे संबंधित है क्योंकि मीटर में जैसे घाटा दिखा रहा है। घाटा दिखाकर के आठ परसेंट खर्च घाटा का जो चार्ज आ रहा है वो हर बिल पर लिया जा रहा है। कहते हैं घाटा हो रहा है, और घाटे का जो पैसा है वो भी बिजली के बिल के साथ 8 परसैंट जोड़ कर लिया जा रहा है फिर आप बताइये किस गणित के साथ वो कहते हैं कि घाटा हो गया? जब घाटा हुआ तो...

v/;{k egkn; % अखिलेश जी कन्कलूड करिये प्लीज।

Jh vf[ky'k f=ikBh % सर, मैं चाहता हूं कि इन विषयों पर बहुत गंभीरता से सदन विचार करे और इस पर तुरंत माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी बोलना चाहेंगे क्या? हां माननीय मंत्री जी।

LokLF; ea=h % अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो मुद्दा उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अंदर सभी कन्ज्यूमरस को अपनी मर्जी से मीटर खरीद कर लगाने की इजाजत है, जैसा कि इन्होंने खुद भी बताया कि बी.एस. ई.एस. चार कंपनियों के मीटर लगा सकते हैं इस मुद्दे को डी.आर.सी. के साथ उठाया जायेगा बाकी सारे जितने भी कर सकते हैं, जल्द से जल्द एप्रूव कराके पब्लिक के साथ इनकी वाईड पब्लिसिटी की जायेगी ताकि खुद लोग अपने मीटर लगवा सकें क्योंकि ये अलाउड तो है परंतु किसी को अभी पता नहीं है। बाजपेयी जी मुझसे मिले थे कुछ दिन पहले उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया तब मैंने पता किया कि उन्होंने चार कंपनियों के मीटरस अलाउ किये हैं परंतु उसके अलावा भी अलाउड होने चाहिये और जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि डी.आर.सी. बताये कि कौन कौन से अलाउड हैं। हम डी.आर.सी. के मुद्दे को उठा के जल्द ही इनको कराया जायेगा और जनता को बताया जायेगा कौन–कौन से अलाउड हैं।...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % मैंने जब पूछा था कोई सदस्य सोमनाथ जी के और अखिलेश जी के अलावा...(व्यवधान)...मंत्री जी के जवाब देने के बाद उचित नहीं रहता। जैन साहब, बैठिये प्लीज। बैठिये प्लीज। हां बोलिये, आप पहले। सोमनाथ जी दो मिनट।

Jh vt; nÙk % अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कुछ दिन पहले मेरे क्षेत्र में वहां के निवासियों के एक दिन में बिजली सात मीटर उतारे गये। वह लोग

मेरे पास आये। उन्होंने बताया कि हमारे सात मीटर उतार दिये गये हैं। तो मैंने पूछा क्यों, तो बताया कि हमने दो तीन लोगों ने दो महीने का बिल नहीं दिया तो वह करीबन आठ सौ नौ सौ रुपये था। उनको कोई नोटिस नहीं दिया। मीटर उतार कर ले गये। एक घर पर वह अवेलेबल नहीं थे। बच्चे थे अवेलेबल। आ के उनका मीटर उतारा ले गये। जब मैंने इसकी कम्पलेंट वहां के जैड. आर.ओ. से की उसने मुझे कहा, जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटिड जो लोग हैं, उनसे बात की।

v/;{k egkn; % आपके एरिये में बिजली कंपनी कौन सी है, वो भी नाम बोल दीजिये।

Jh vt; nÙk % राजधानी। बी.एस.ई.एस. राजधानी। तो उन्होंने मुझे गुमराह करने की कोशिश की और उसी समय मुझे पता चला कि एक जगह उन्होंने पुलिस भी बुला ली कि भई, ये लोग मुझे मीटर नहीं उतारने दे रहे हैं और पुलिस वहां पर आकर जबर्दस्ती उनके मीटर उतार रही है। मैंने उनके सीनियर आफिसर से बात करने की कोशिश की। उनसे मैंने कहा कि आप मेरे क्षेत्र के सात लोगों की रिपोर्ट लेकर मुझ से मिलें और मुझसे बात करें तो उन्होंने कहा आप मुझे धमका रहे हो। मैंने कहा धमका नहीं रहा, आपको बोला गया है कि यहां लोग बैठे हैं मेरे सिर पर और आज यहां आओ मिलो तो ये पूरी बिजली कंपनी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि आज हम दिल्ली में पहली बात तो हर चीज का चार्ज लेंगे ऊपर से मीटर उतार सकते हैं किसी का भी। किसी के साथ भी जबर्दस्ती कर सकते हैं किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इन कंपनियों को

क्यों सम्मन नहीं कर रही है। यह इनकी क्यूं जांच नहीं करवा रही है और क्यूं इन लोगों को मौका दिया जा रहा है अगर जनता हम से क्वेश्चन पूछती है कि आपने कहा था कि बिजली के बिल कम कर दिये, 'कहां हो गये जी? हमारे यहां तो फिर दोबारा मीटर उखाड़कर ले जा रहे हैं। नये मीटर लगा रहे हैं। हमारे बिजली के बिल फिर ज्यादा हो गये हैं' हम किसको क्या कहें क्या मुंह दिखायें? एक नोडेल आफिसर गवर्नमैन्ट की तरफ से एप्वाइंट किया जाये जो उनका संज्ञान ले और रिपोर्ट करे और उनके जो ऑफिसर हैं, अगर उनके आफीसर्स कोई बदतमीजी कर रहे हैं, हेरासमैन्ट कर रहे हैं या पुलिस का यूज कर रहे हैं उनका तुरन्त टर्मिनेशन करने का क्लाज हमारे दिल्ली सरकार से हुए कान्ट्रैक्ट से जोड़ा जाये।

v/;{k egkn; % अमानतुल्लाह जी।

Jh vekurqYykg [kku % अध्यक्ष महोदय, मीटर वाला केस जो है, यह सब जगह हो रहा है। जैसे मेरी विधानसभा ओखला है। इन लोगों ने प्राईवेट ठेकेदारों को मेन्टेनेन्स जिम्मेदारी दे रखी है। अब यह प्राईवेट ठेकेदार लोगों के मीटर उतारने और मीटर उतारने के बाद दूसरा लगा देते हैं। अब जैसे पहले चक्रीवाला था, उसके बाद इन लोगों ने ऑरेन्ज मीटर लगाना शुरू किया और अब यह ब्लू पर आ गये। यह बताने को कोई तैयार नहीं होता कि जो पहले मीटर लगा हुआ है, वो खराब है कि नहीं है और यह नया मीटर बदल देते हैं। अब उसमें दो चीज होती हैं। एक तो मीटर उतारकर यह लोग ले जाते

हैं, तेज मीटर लगा देते हैं और दूसरा जो मीटर ले कर जाते हैं उसमें यह टैम्परिंग में डाल देते हैं। और टैम्परिंग की वजह से उस पर लाखों का बिल आ जाता है जो वह बेचारा भुगतान नहीं कर पाता। तो ऐसा कोई आर्डर है जिसकी बुनियाद पर बगैर किसी कम्पलैण्ट के, अगर यह किसी का मीटर बदल सकते हैं तो वो आर्डर जरूर दिखाये नहीं तो सरकार की तरफ से मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ है जिसमें यह बिना किसी आर्डर के मीटर बदल सकते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मीटर खराब चल रहा हो या कम्पलैण्ट हो। अब दूसरी बात यह है कि हम खुद लगाना चाहते हैं दूसरा मीटर, जो हमारा लगा हुआ है न हमने उसमें कोई टैम्परिंग की, न उसमें कोई छेड़छाड़ की उसके बाद उस मीटर को यह क्यों बदलना चाहते हैं? अगर बिल कम आ रहा है या अगर वह ठीक चल रहा है तो मैं इसमें मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा।

v/;{k egkn; % श्री सोमनाथ भारती जी। आपने एक लाईन बोली है।

Jh lkeukFk Hkkjrh % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो साथियों ने बात उठाई है, यह पीड़ा सबकी है। कुछ समय पहले एक शख्स का नाम दिल्ली में आया था मीटरमैन के नाम से कि मीटर कुछ शख्स बना रहे हैं और इसमें अभी एक मीटिंग में बी.एस.ई.एस. ने बड़ा इन्टरेस्टिंग सा लॉजिक दिया बी.एस.ई.एस. के जो एम.डी. हैं उन्होंने कहा कि मीटर का एक पीरियड होता है, अगर वो तीन महीने पुराना घिस जाता है। चार महीने पुराना घिस जाता है उसको बदलना जरूरी है। यह पता नहीं कौन सा लॉजिक है कि पुराने मीटर को निकाल करके

नया मीटर लगाना जरूरी है। तो अपने मंत्री साहब से अनुरोध करें कि इस पर चर्चा करें और जो उस वक्त मीटरमैन के ऊपर लगा यह इल्जाम। उसका न तो इन्वेस्टिगेशन हुआ और न ही कुछ मालूम पड़ा कि जो इतने मीटर बने थे, उन मीटरस का कब खपत हो जायेगी और कब अच्छे वाले मीटर आने शुरू हो जायेंगे? धन्यवाद।

v/;{k egkn; % माननीय मंत्री जी। एक बार और उत्तर दे दीजिये।

Jh lR;sUnz tSu % सबसे पहले तो मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि अभी तक यह जो छापे मार रहे हैं चोरी के लिये, यह जो केसेज बना रहे हैं, सरकार ने डी.ई.आर.सी. को लिखा है कि इसकी एक डिटेल गाइडलाइन्स बनाई जाये अभी यह लोग अपनी मर्जी से जैसे कि सदस्य बार–बार शिकायत कर रहे हैं कि आर्वटरेरी लगता है कई बार ऐसा कि बिना किसी प्रक्रिया के यह लोग छापे मारते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि रात को भी छापे मार रहे हैं या early morning दिन निकलने से पहले छापे मार रहे हैं। तो यह सूर्यास्त से पहले यह छापे नहीं मार सकते हैं। तो पूरी गाइडलाइन्स बनाने के लिये इनको कहा गया है ताकि अगर कोई भी छापा मारेगा तो उसका पूरा सिस्टम होगा। ऐसा नहीं कि घर में बन्दे घुस गये तो पूरे सिस्टम को बनाया जा रहा है। इस पर प्रयोग किया जायेगा और जहां तक अखिलेशपति जी ने कहा कि धमकी दी जाती है तो मुझे लगता है कि धमकी तो किसी को नहीं दी जानी चाहिए और अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस है, पुलिस में आप कम्पलैण्ट कराइयेगा और जहां तक

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % देखिये आज एजुकेशन के बिलों पर चर्चा होनी है। अभी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाकी है। एक सैकिण्ड, जरनैल जी प्लीज। मंत्री जी बोल रहे हैं। कम से कम उनकी मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्लीज बैठिये। नहीं ऐसा नहीं चल पायेगा।

Jh lrUn tu % यह जरनैल सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं बिल्कुल उनका सिटीजन चार्टर बनाया जायेगा और Right to Service में अगर उनको लाया जा सकता है तो कोशिश की जाएगी। मैं अभी वादा नहीं कर रहा हूं। इसे पूरा देखा जाएगा कि अगर Right to service के अन्दर जो हमने डिलीवरी और सर्विस किट दिया है, उसको लागू कर सकते हैं तो जरूर लागू किया जायेगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जैसा अजय दत्त जी ने कहा कि आजकल जो माहौल बना है कि काफी सारे लोग एम.एल.ए. को धमकाने लगे हैं। प्राईवेट कम्पनी के अधिकारी भी और कुछ सरकारी लोग भी हैं अगर एम. एल.ए. उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप हमें धमका रहे हैं। फोन पर बात करना धमकाना थोड़े ही होता है और अगर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो हमारे प्रतिनिधियों के ऊपर, अगर वह किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें धमका रहे हैं तो उस बात का संज्ञान लिया जायेगा। आप हमें बताइये। ऐसी कोई भी शिकायत होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

v/;{k egkn; % श्री मोहिन्द्र गोयल जी। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है आज। मैं पढ़ कर सुना देता हूं। दालों की बढ़ती कीमतों के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण करेंगे।

Jh ekfgUnj xks;y % धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आज आपने मुझे नियम 54 के तहत बोलने का मौका दिया।

v/;{k egkn; % बहुत संक्षेप में।

Jh ekfgUnj xks;y % अध्यक्ष महोदय, आज मैं नेता प्रतिपक्ष का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज बहुत शालीन बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी और खाद्य आयुक्त का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी पिछले दिनों दिल्ली में ही नहीं, अन्य राज्यों के अन्दर भी दालों की कीमतें आसमान को छूती नजर आई हैं। यह आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। अभी तो आप देखो आगे–आगे होता है क्या। अभी तो दो सौ, सवा दो सौ रुपये तक मिल रही थी, आगे इससे बहुत ज्यादा कुछ हो जायेगा। यदि इस सदन ने ध्यान नहीं दिया तो। खासतौर पर दिल्ली के अन्दर। अध्यक्ष जी कुछ कम्पनी हैं जो मुम्बई महाराष्ट्र के अन्दर रजिस्टर्ड हैं जिनमें मुख्य कम्पनी ई.टी.जी., एडलवाईज, गलैकोरन अडानी ये सभी की सभी कम्पनियां मुम्बई के अन्दर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। इन सभी की सभी कम्पनियों ने दालों का इतना स्टॉक कर लिया कि अन्य राज्यों में भी वो दालें नहीं पहुंच पाईं, और दिल्ली के अन्दर भी वो दालें नहीं पहुंच पाईं। जिसके कारण उन

दालों की कीमत दो सौ–दो सौ, सवा दो सौ रुपये पहुंचने में इन कम्पनियों का प्रमुख हाथ रहा है। यह आम आदमी की थाली से दाल–रोटी छीनने का दुस्साहस किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़े बोलते हैं। यह काम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी किया है। ये तो मेरे साथी भी जानते हैं। यह आप ही लोग नहीं जानते जो मेरे साथी बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट किनकी है, किनकी नहीं। अध्यक्ष जी, ये खेल इतना बड़ा खेला गया है कि अप्रैल महीने के अन्दर एक ऐसा नियम लेकर आया गया कि यह कम्पनियां उस स्टॉक लिमिट से बाहर रखी गईं। जिसके अन्दर 10–10 लाख टन इन कम्पनियों ने माल रखा। 20–20 लाख टन का माल इन कम्पनियों ने रखा और आम आदमी, गरीब आदमी की थाली से दाल छीनने का दुस्साहस किया। यदि इसी हिसाब से होता रहेगा तो आम आदमी दाल कहां से खायेगा? कृपया इसकी जांच होनी चाहिए। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, उप–मुख्यमंत्री से और खाद्य मंत्री से ये विशेष प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर, इन कंपनियों की जांच करवाई जाए कि ये जमाखोरी कैसे हुई है। हमारे तो यहां पर आया ही कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आपस में नहीं बोलिए प्लीज। मोहिन्दर जी आप अपनी बात जारी रखिए।

Jh ekfgUnj xk;y % अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी और खाद्य मंत्री जी का भी और एक फूड कमिश्नर जो हमारे है खैरनाथ जी

का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों बाजारों के अंदर गए हमारे मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी, खाद्य मंत्री जी और जाकर व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि आप खुलकर व्यापार करें। जमाखोरी ना करें, खुलकर व्यापार करें। सरकार आपके साथ है, आप माल मंगाओ और यहां की जनता को मुहैया करवाओ तो उन लोगों ने वो कार्य किया। जितने भी इम्पोर्टर होते हैं, इनको एक परमिट मिलता है भारत सरकार से, यदि कोई इम्पोर्ट कर रहा है, उस फर्म का नाम भी जाता है, जिस देश से वो माल ले रहे हैं और उस फर्म का नाम भी होता है, जो फर्म माल बेच रही है जो फर्म माल लेकर आती है, उसको परमिट दिया जाता है।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मोहिन्दर जी कन्क्लूड करें प्लीज।

Jh ekfgUnj xk;y % ये कंकलूड ही कर रहा हूं, आम आदमी की थाली की बात है अध्यक्ष जी। ये बहुत गंभीर विषय है। यदि कोई छोटी–मोटी बात होती तो शायद मैं नहीं करता क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है और झेल रहा हूं क्योंकि मैं आम आदमी हूं, मेरी तनख्वाह इतनी भी नहीं कि मैं दूसरे व्यक्तियों की तरह बहुत महंगी–महंगी दालें खरीद कर खा लूं या चिकन खा लूं, मेरी ऐसी औकात नहीं है क्योंकि मुझे अपनी थाली की चिंता है। इसीलिए ये गंभीर विषय उठा रहा हूं मैं। तो अध्यक्ष जी, उस समय में क्या हुआ जब इन व्यापारियों ने माल मंगाना चालू किया और माल मुंबई पोर्ट के ऊपर आकर लग गया तो 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को एक आर्डर निकलता है सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ये माल आपका, ये स्टॉक लिमिटेड के अदंर ही रहेगा और वो

माल जब्त कर लिया गया। मुंबई पोर्ट पर ये माल वैसे जब्त नहीं किया गया। अध्यक्ष जी ये एक साजिश के तहत माल जब्त किया गया और वो साजिश क्या थी कि दिल्ली के अंदर वो माल ना पहुंचे। वहां पर जब्त कर लिया और उन पार्टियों के खिलाफ एफ.आई.आर. तक लॉज करवाने का काम नहीं किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इससे भी बढ़कर आगे काम क्या करती है, 18 तारीख को एक आर्डर पास होता है सैंट्रल गवर्नमैंट के द्वारा और 19 तारीख की सुबह उन गोदामों पर ताले लगा दिए जाते हैं जब कि जब भी कोई आर्डर निकलता है तो वो सबसे पहले पेपरों में दिया जाता है कि हम ये कानून लागू कर रहे हैं। वो कानून का तो पता ही नहीं किसी को ना किसी भी व्यापारी को। उन्होंने तो परमिट लेकर माल मंगवाया था। लेकिन उस परमिट की अवहेलना करते हुए, उन व्यापारियों के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि उनकी जान के ऊपर बन आई और यहां पर गरीब आदमी की थाली के ऊपर आई। बहुत गंभीर विषय है। मेरे साथियो, आज ये सुनने के लिए है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मोहिन्दर जी, अब इसको कन्क्लूड करिए, बहुत लंबा हो गया है, प्लीज।

Jh ekfgUnj xk;y % ये लंबा नहीं है।

v/;{k egkn; % नहीं आज देखिए, आज एजुकेशन पर, मोहिन्दर जी ऐसे नहीं, नहीं अब कंकलूड करिए, प्लीज।

Jh ekfgUnj xk;y % इसके बाद उन व्यापारियों को इतना हैरास किया जाता है तो उन व्यापारियों को लेकर कुछ साथी बैठे हैं यहां भी एसोसिएशन

के जो यहां के व्यापारी हैं उनको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से मिला, हमारे फूड कमिश्नर साहब से मिला। उन्होंने इस पर कार्रवाई की। हमारे कमिश्नर साहब का इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने वहां पर हस्तक्षेप किया। इन्होंने कहा कि आप दिल्ली के व्यापारियों का माल जब्त नहीं कर सकते। आप इस माल को रिलीज करें। इसके लिए धन्यवाद करता हूं कमिश्नर साहब का। एक आर्डर पास किया फिर कि इस माल को आप छोड़ दो। लेकिन उन व्यापारियों के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि आप ये माल महाराष्ट्र के अंदर ही बेचोगे, मुंबई के अंदर ही माल बेचोगे, आप ये माल दिल्ली नहीं ले जा सकते। ऐसा क्यों? दिल्ली राजधानी है देश की। दिल्ली के अंदर हर राज्य का व्यक्ति रहता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जितना भी माल मुंबई पोर्ट पर आता है यदि दिल्ली के व्यापारी का माल है तो डारेक्ट दिल्ली आना चाहिए ना कि वहां की गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करे।

v/;{k egkn; % मोहिन्दर जी अब कंकलूड करे, प्लीज।

Jh eksfgUnj xks;y % ये कंकलूड ही है। अध्यक्ष जी, मैं बहुत नम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ऐसा काम यदि आगे होगा, अभी तो दो सौ–सवा दो सौ रुपए तक दाल बिकी थी, आने वाले टाइम के अंदर ये पांच सौ रुपए किलो भी दाल मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं इस सदन के माध्यम से आपको आगाह करवा रहा हूं। इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये दिल्ली की सप्लाई को तोड़ने की बात होती है, इसको आप संज्ञान में जरूर लें।

मैं आगे और आगाह करना चाहता हूं आपको, आडानी कंपनी है जो सोया ऑयल के अंदर इस समय बिजनस कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी मेरे साथी नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आगाह करता हूं सोया ऑयल के अंदर इस समय में तेजी आनी चालू हो गई है और काफी रेटों तक ले जाएंगे क्योंकि एक ही कंपनी के पास सबसे ज्यादा स्टॉक है, आडानी के पास। तो मेरा सिर्फ यही आपसे निवेदन है कि इस चीज को आप ध्यान में दें और हमारे कुछ साथियों ने जो दूसरी पार्टियों से इतफाक रखते हैं लेकिन हम आम आदमी से इत्तेफाक रखते हैं। हम उनके हक की आवाज उठाएंगे, यदि हम उनके हक की आवाज उठाते हैं तो वो लोग बाजार में एक ही मैसेज चलाते हैं कि व्यापारियों के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आते हैं, उनके मुख्यमंत्री नजर आते हैं। क्या वो सट्टेबाजों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या सट्टेबाजी करवा रहे हैं? ये घोर अपमान हैं। हम व्यापारियों का साथ देंगे, बिल्कुल डट कर कहते हैं और मेरे साथियों से एक बात कहता हूं अभी तक आपके ऊपर था कि आप व्यापारियों का साथ दें, मैं डटकर कहता हूं कि हम लोग हर आदमी का साथ देंगे जो भी दिल्ली के अंदर रहता है, उसके हितों की रक्षा करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर सटोरिये दिल्ली की दाल का भाव दिन–प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं।

v/;{k egksn; % नहीं विजेन्द्र जी थोड़ा सा ठीक कर लें, दिल्ली की दाल नहीं है, पूरे भारत में ही दाल बढ़ी है।

Jh fotsUnz xqIrk % दिल्ली में दाल का, भाव तो दिल्ली से चल रहा है ना जी। सट्टोरिये, मैंने कहा दिल्ली में सटोरिये दाल का भाव बढ़ा रहे हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % देखिए, ऋतुराज जी बैठिए। अखिलेश जी आप बैठिए, अखिलेश जी आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % सरकार संरक्षण दे रही है, सटोरियों को ऐसा लग रहा है, सटोरियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % अखिलेश जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये तुरंत। आप बैठ जाइये तुरंत। ऐसे सदन नहीं चलेगा, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % दिल्ली में सटोरियों को ये सरकार संरक्षण दे रही है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ऋतु राज जी बैठिए। अखिलेश जी, मुझे आवाज नहीं चाहिए। अखिलेश जी, मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

...(व्यवधान)...

Jh fotsUnz xqIrk % मुझे ये समझ नहीं आ रहा।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ये सदन चलाने का तरीका नहीं है। उनको मैंने

...(व्यवधान)...

Jh vf[kys'k ifr f=ikBh % ××××××××

v/;{k egkn; % अखिलेश जी ये तरीका ठीक नहीं है, ये शब्द कार्यवाही से निकालिए। अखिलेश जी, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। नहीं आप हाथ नीचे करिए। नहीं आप बैठिए उनको बोलने दीजिए, जो बोलना है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ये कोई तरीका नहीं है। नहीं आप हाथ नीचे करिए। उनको बोलने दीजिए जो बोलना है। जगदीश जी आप बैठिए। जगदीश जी आप इधर देखकर बात करिए। बैठिए प्लीज।...(व्यवधान)...

(××××चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए)

Jh fotUn xIrk % आप खुद ही कहते हैं जगदीश जी कभी–कभी कहते हैं लेकिन जब कहते हैं सही कहते हैं। ये तो आप ही कह रहे हैं। उनको भी बुरा लग रहा है।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नितिन जी प्लीज। इतना बढ़िया सदन चल रहा है।

Jh fotUn xIrk % ये मेरी समझ के परे है कि यहां पर गरीब आम आदमी की बात हो रही है या स्टोरियों के बारे में यहां पर कोई उनको संरक्षण दिया जा रहा है। यह मेरी समझ के परे है। सटोरिये सटोरिये है और जो दालों की कालाबाजारी कर रहा है। भाव तय कर रहा है। कितना बड़ा एनेक्सेस है। आज फिर दिल्ली में अरहर की दाल जिसको तुर की दाल भी कहा जाता है। तुर दाल 170/– रुपये पहुंच गई है फिर से। लेकिन इस पर मुझे गहरा रोष है कि दिल्ली के सदन में उन तमाम भावनाओं को नजर अंदाज करके सिर्फ राजनीतिक प्रपंच किया जा रहा है। क्या दिल्ली की सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के कालेबाजार को रोकने के लिए कदम उठाए। मैं मंत्री जी से ये अपेक्षा करूंगा कि सदन को ये विश्वास दिलाएं कि दिल्ली के अंदर स्टोरियों की दाल की कालाबाजारी की और मैं कुछ तथ्य पेश करने वाला हूं यहां। जिस बात को सिद्ध करेंगे कि दिल्ली के अंदर यह व्यापार किस तरह से फल फूल रहा है। आरोप प्रत्यारोप में यह सरकार अपनी जिम्मेदारी ना भूले ये हम सरकार को बताने चाहते हैं। अध्यक्ष जी,....

v/;{k egkn; % कामांडो जी आप बहुत अनुशासित है। प्लीज।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, जो दाल की फसल स्टोरियों की जो

परिस्थिति है वो इस हद तक है कि वो दाल की फसल पर नजर रखते हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं। यही तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कौन हैं वो सटोरिए उनके नाम आएं। (व्यवधान)...यही तो हम कहते हैं फसल पर नजर रखते हैं। और ये देख कर कौन सी दाल की फसल कमजोर हो सकती है या हो रही है उसकी पहली फसल पर सटोरिए नजर रखकर दाल की कीमत तय करना शुरू करते हैं। हमारा साफ रूप से कहना है कि दिल्ली के अंदर ये व्यवसाय और व्यापार फल फूल रहा है इसका एक पूरा रैकेट चल रहा है। आज से चार महीने साढ़े तीन महीने पहले जब विजय कुमार, दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाई सैक्रेट्री थे तो मैंने खुद उनको इस संबंध में पूरी जानकारी दी। मैंने उनकी जानकारी में डाला था कि दिल्ली में क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां पर इस तरह का व्यवसाय फल फूल रहा है। उसके बाद विजय कुमार जी अब दिल्ली के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लिया था और उस पर कार्रवाई की थी। लेकिन अफसोस वो कार्रवाई अंत तक नहीं चली कुछ ही दिन में वो ठप्प हो गई। उसके पीछे की क्या साजिश है, उसके बारे में शायद महेन्द्र गोयल जी ज्यादा बता पाएंगे। क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के एक विधायक उनके साथ देखे गए और पाए जाते हैं। 6 नवम्बर को...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी आप कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh fotUn xIrk % 6 नवम्बर को मुख्य मंत्री जी नया बाजार जाते हैं। जन सभा होती है लेकिन एक शब्द भी दालों के बढ़ते भाव पर उनसे नहीं,

सहभागिता करके उनके चर्चा नहीं करते। दिल्ली के अंदर व्यापार फले फूले, व्यापारी को अच्छा वातावरण मिले, व्यापारी को किसी प्रकार की प्रताड़ना न हो। मैं खुद एक व्यापारी परिवार से आता हूं। खुद व्यापारी गतिविधियों में मेरा सम्पर्क रहा है। लेकिन व्यापारियों के हित का ध्यान रखा जाए लेकिन जो सटोरिये हैं, जो कालाबाजारी करने वाले हैं जो दिल्ली में दाम बढ़ा रहे हैं, जो पूरे देश की दालों को दिल्ली से चला रहे हैं उन पर हमारा सरकार से अनुरोध है, मंत्री जी से अनुरोध है कि उस कालाबाजारी को उस स्कैंडल को उस रैकेट को तोड़ा जाए। उनको गिरफ्तार किया जाए। कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और दालों की कीमतें नीचे आएं, इसके प्रबन्ध करें। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी नहीं प्लीज। नहीं मैं। मैंने समय दिया उस वक्त किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। महेन्द्र जी आप बैठिए प्लीज। महेन्द्र जी आप बैठ जाइए। मैं अलाउ नहीं करूंगा प्लीज। महेन्द्र जी मैं मना कर रहा हूं फिर आप बैठ नहीं रहे हैं। आप बैठिए दो मिनट। अलका जी प्लीज। ये विषय लम्बा हो जाएगा। अलका जी प्लीज। विजेन्द्र जी मैं दो शब्द इस पर कहना चाह रहा हूं। मैं भी दिल्ली की जनता के बीच में आता हूं,– रहता हूं। दाल से मेरी रसोई भी परेशान हुई है। जब दिल्ली में दाल के भाव बढ़े पूरे भारत में बढ़े। केन्द्रीय सरकार ने छापे मारे। लगभग तीन छापों में अलग–अलग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन दो प्रदेशों से 75 हजार टन दाल पकड़ी गई। लेकिन दिल्ली प्रांत में कोई एक किलो भी दाल इस ढंग से अनवान्टेड नहीं पकड़ी गई। that is a matter of record please। इसमें मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। देखिए आप भी पीड़ित हैं। दो मिनट... दो मिनट रुक जाइए। मैं एक बात

यह कह रहा हूं। दूसरी बात मैं विजेन्द्र जी को भी और इमरान जी को आगाह कर रहा हूं। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा खाद्य मंत्री जी। पिछले हफ्ते धान, धान 1500 रुपये से बढ़कर सीधा 3000 हजार रुपये हुई है। 3200 तक पहुंची। जब अखबारों में ये यह विषय छाया तो उसी दिन 300/– रु. क्विंटल गिर गई। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जबकि धान दिल्ली में पैदा नहीं होती। धान दिल्ली की मंडियों में नहीं आती है। धान बाहर के प्रदेशों में आती है। बाहर के प्रदेशों में हेाती है। मैं माननीय विजेन्द्र जी से और खाद्य मंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं कल को चावल भी जो निवाला है गरीब का, वो उसके मुंह से न छिने, इस पर तुरन्त केन्द्रीय खाद्य मंत्री से इस विषय पर बात करें।

v/;{k egksn; % खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी।

[kk| ,oa vkiwfrZ ea=h ¼Jh beju gqlSu½ % माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मोहेन्द्र गोयल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस विषय को यहां उठाया और इस सदन का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही विपक्ष का ध्यान भी आकर्षित किया। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र सरकार से अपने तौर पर बात करें और जो दूसरे राज्यों में भाजपा की सरकार है, उनमें जमाखोरी पर लगाम लगाने की गुजारिश करें।

अध्यक्ष महोदय, दाल केवल दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, पूरे देश के लोगों के लिए है। दाल एक ऐसोन्शियली कॉमोडिटी है जिसके कारण दिल्ली सरकार हमेशा इनके भाव के उतार चढ़ाव की निगरानी करती रहती है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य रहता है कि दाल सस्ते भाव में आम आदमी को मिल

सके। दिल्ली दालों का उत्पादन नहीं करती परन्तु उत्तरी भारत के लिए वितरण केन्द्र भी है। दिल्ली वासियों की दाल की मांग की पूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के द्वारा की जाती है। दिल्ली में दालों की कीमतों में वृद्धि का एक मुख्य कारण दाल उत्पादक राज्यों में दालों की जमाखोरी भी है। दालों की उपलब्धता तथा इनकी कीमतों की रोकथाम भारत सरकार द्वारा तय की गयी आयात पॉलिसी एवं दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की पॉलिसी पर भी निर्भर है।

हमारी सरकार दालों के मामले में संवेदनशील है। हमारी सरकार ने दिनांक 29.6.15 को भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार को पत्र भी लिखा था कि दिल्ली में कम माल की सप्लाई का मुख्य कारण दूसरे राज्यों में जमाखोरी भी है क्योंकि हमारी जानकारी में यह तथ्य सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार ने दालों के स्टॉक लिमिट को अप्रैल, 2015 के बाद नहीं बढ़ाया। हमने केन्द्र सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार से यह भी गुजारिश की थी कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायें।

भारत सरकार ने दिनांक 18.10.2015 की अधिसूचना द्वारा राज्य सरकारों को आयातकों को दालों की स्टॉक लिमिट में छूट वापिस लेने के बारे में एम्पावर किया था। इस प्रकार राज्य सरकारों को आयात की नई दालों का स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने आयात की हुई दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, पर उसे 2 नवम्बर, 2015 को वापिस ले लिया, जब यह स्पष्टीकरण दिया गया कि स्टॉक लिमिट प्रथम बिन्दु पर आयात की हुई दालों पर मान्य नहीं है।

दिल्ली में दालों को सही तरीके से स्टोर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेशानुसार वेयरहाउसिंग पॉलिसी बनायी जा रही है और हम उसे इम्पलीमेंट करने के लिए अग्रसर हैं और शीघ्र ही इसको दिल्ली में प्रॉपर तरीके से इम्पलीमेंट किया जायेगा। जिससे दिल्ली के व्यापारियों, दिल्ली के निवासियों को दिल्ली में दाल बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध करा सकेंगे। हमने दिल्ली में कई दाल डीलर्स एसोसिएशन से आग्रह किया कि हमें समय समय पर दालों के स्टॉक की डिटेल उपलब्ध करायें ताकि दिल्ली की सरकार दालों की कीमतों पर निगरानी रख सके। कई जगह से ये डाटा भी समय समय पर आना शुरू हो गया है। मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यह बताया कि हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिल्ली का माल मुम्बई से लाने के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई करवाई जिससे दिल्ली में दालों की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन चार कम्पनियों के नाम माननीय विधायक ने बताये हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस विषय में भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार से अपील करेगी कि ऐसे जमाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये और दिल्ली के इस सदन के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से क्योंकि इस सदन में इस समय दाल व्यापारी और चावल व्यापारी भी बैठे हैं मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली सरकार किसी भी तरीके का उन लोगों के साथ कोई भी गलत या दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें सहायता ही मिलेगी, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अब सदन की कार्यवाही चाय कल के लिए अपराह्न 4:30 बजे तक स्थगित की जाती है।

सदन की कार्यवाही चाय काल के लिए अपराह्न 4:30 बजे तक स्थगित की गई।

lnu vijkgu 4-35 cts leor gqvkA

अध्यक्ष महोदय ¼Jh jkefuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

f'k{kk lac/kh fo/ks;dksa ij ppkZ

v/;{k egksn;% अब शिक्षा विभाग से संबंधित विधेयकों पर आगे चर्चा होगी। श्री जरनैल सिंह जी, तिलक नगर।

Jh tjuSy flag (तिलक नगर) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं भाई जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) द्वारा जो गुरुतेग बहादुर साहब की शहीदी पर सिख समुदाय की छुट्टी की मांग है, उसका समर्थन करता हूं और Delhi School verification of Accounts and Refund of excess fee bill जो यहां पर प्रस्तुत हुआ है, उसके लिए उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। दो चीजें मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं एक तरफ तो जो स्कूलों के मिनिमम वेज देने की बात की गई है अध्यापकों से, ज्यादा पर साइन करवा लेते थे, चालीस–चालीस, पैंतालीस–पैंतालीस हजार पर साइन करा लेते थे, स्कूल ऐसे थे, जिनकी इनकम कम थी। बताया जा रहा है कि 70 परसेंट ऐसे स्कूल थे, जो जायज फीस ले रहे थे और उन्हें इतनी कमाई नहीं थी, जितना वो सरकारी स्कूलों के टीचर जितनी सैलरी देनी पड़ती थी, उस वजह से नुकसान होता था। एक तरफ तो ये स्कूल थे, जिनको इस बिल के अंदर राहत मिल गई कि मिनिमम वेजेज भी अगर अध्यापकों को दी जाएगी, तो वो भी ठीक है।

पर इसके विपरीत अध्यक्ष जी, इस टाइप के स्कूल भी हैं, जो आम तौर पर दस हजार, पंद्रह हजार तक फीस ले रहे हैं और एक बहुत मोटा एमाउंट हर महीने करोड़ों रुपये का इकट्ठा कर रहे हैं। उस हिसाब से इसके विपरीत हो रहा है कि मोटी तनख्वाह देकर खर्चे बढ़ाये जा रहे हैं, खर्चे दिखाये जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई caping लगनी चाहिए कि किसी अध्यापक की या किसी प्रिंसिपल की मैक्सिमम भी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए वो खर्चों को पूरा करने के लिए वो मोटी–मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई पैरामीटर, मापदंड यह भी होना चाहिए कि छात्र का और अध्यापक का, और किसी प्रिंसिपल की मैक्सिमम तनख्वाह कितनी हो, क्योंकि यह भी देखने में आया है कि संस्था के जो सदस्य हैं, उन्होने अपने परिवार के लोगों को उसके बीच में प्रिंसिपल रखा हुआ है, पांच–पांच, छह–छह, सात–सात लाख रुपये तनख्वाह उनकी निर्धारित कर रखी है, तो कोई मैक्सिमम सैलरी की भी caping होनी चाहिए ताकि वहां पर भी इस फर्जीवाड़े को रोका जा सके। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % भावना गौड़ जी।

lJh Hkkouk xkSM+ % शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के इस जगत् में, जिस तरह से इस प्रणाली में भारी भरकम संशोधन किए हैं, उसके लिए मैं तहेदिल से मनीष जी को बधाई देती हूँ और साथ ही साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए यह कहूंगी कि मनीष जी हमें आप पर गर्व है। इस तरह के डिसिजन स्वाभाविक तौर पर जो सच्ची नीयत से सरकार में लोग बैठे हैं, वही कर सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक वृक्ष होता है, एक वटवृक्ष होता है अपने आप में बहुत भारी भरकम होता है, उसकी बहुत सारी टहनियां, बहुत सारी हरी–हरी पत्तियां, उसके फल, उसके फूल लेकिन वो तभी सुरक्षित रहते हैं, तभी हरे–भरे और खिले हुए रहते हैं, जब उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। मुझे लगता है कि यह जितने भी विषयों पर इस सदन में चर्चा होती है, उसमें केवल और केवल शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो हमारी जड़ों के अंदर समाया हुआ है और स्वाभाविक तौर पर इन जड़ों का मजबूत होना, इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी और सच्ची नीयत से काम कर रही है। स्वाभाविक तौर पर बी.जे.पी. और कांग्रेस की जो सरकारें रही, उसमें शिक्षा प्रणाली बहुत दोषपूर्ण रही। बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास वो शिक्षा दे पाये, ऐसा सम्भव नहीं हो पाया और मुझे लगता है कि भारत की शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा रही है। बालकों के चरित्र का निर्माण, उनमें नैतिक बल का निर्माण, आध्यात्मिक तौर पर उनके भविष्य का निर्माण, यह सब अगर किसी पर निर्भर करता है तो केवल और केवल शिक्षा पर निर्भर करता है और व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए, ऐसा हम सभी विधायकों का मानना है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और बीजेपी के लंबे–चौड़े शासनकाल में अनुशासन खत्म हो गया, वेल्यूज खत्म हो गये, ऐथिक्स भी खत्म हो गये। बच्चे हिन्दी लिखना तक भी नहीं जानते। शिक्षक पूरी तरह से लाचार। अभिभावक लाचार। बालकों का भविष्य किस ओर जाएगा इसका कुछ अता–पता ठिकाना नहीं। सम्पूर्ण शिक्षा जगत में अगर हम देखें तो शिक्षा में हमारा स्थान 74वें नम्बर पर है।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मनीष जी ने 5 मार्च को हमारी मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये चिन्ता जाहिर की कि शिक्षा की गुणवत्ता जिस प्रकार से कम हो रही है, उसपर उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। आखिर वे केन्द्र में मंत्री हैं। लेकिन केन्द्र सरकार को पत्र लिखने के बावजूद जब उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए तो स्वाभाविक तौर पर दिल्ली सरकार में बैठे हमारे मंत्री जी को लगा कि ये निर्णय स्वयं हमें अपने हाथों में लेकर करने पड़ेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में शिक्षा एक समवर्ती मुद्दा है, चाहे वो केन्द्र की सरकार हो और चाहे वो राज्य की सरकारें हों। शिक्षा में या किसी भी संविधान के अंदर फेरबदल करना, संशोधन करना, नया कानून बनाना ये राज्य सरकारों को, उनके अपने अधिकारों में ये सब चीजें शामिल हैं। राज्य सरकार अपने बनाये हुए विषयों पर संशोधन कर सकती है। उस पर नया कानून ला सकती है। अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में ये जो तीनों संशोधन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से लाये गये हैं, वो वेल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉग करने में ये हमारे तीनों संशोधन उसका आधार बनेंगे; बुनियादी वेतन शिक्षकों को नहीं मिल रहा और वो परेशान हैं। लगातार हम विधायकों से संपर्क करते हैं। क्योंकि बालकों को अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी, जब हम शिक्षकों को इस प्रकार का वेतन दें कि वो अपने परिवार का पालन–पोषण कर सकें। जब हम शिक्षकों की मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देंगे तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षक अच्छी शिक्षा देने का काम जो उनका अपने कर्तव्य को निभाने का काम है, वो शिक्षक भलीभांति से कर पाएंगे। एक इस तरफ हमारी सरकार ने कदम बढ़ाया है और साथ–साथ

अपनी बात सरकार ने रखी है कि हम शिक्षकों का शोषण कतई नहीं होने देंगे, अपने आप में एक बहुत प्रभावी कदम है। मैं छोटा करने जा रही हूं सर, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेषत तौर पर हमारे जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनके खातों की निगरानी रखने का एक बहुत भारी–भरकम कदम आदरणीय मनीष जी की तरफ से उठाया गया है कि स्कूल के खातों को सत्यापित किया जाए, ये बहुत सराहनीय कदम है। बालकों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 साल से लेकर के 14 साल के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मैं इस सरकार की और आदरणीय मंत्री जी की तारीफ करूंगी।

अध्यक्ष महोदय, ई.डब्लू.एस. कोटे के तहत जो भी दाखिले होते रहे, उसमें किस तरह की गड़बड़ियां रहीं, मुझे सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है। ई.डब्लू.एस. के तहत कितने भी दाखिले होंगे, उसमें सरकार हस्तक्षेप रहेगा सीधा–सीधा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे वो बालक जो गरीब परिवारों से आते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पड़ने की लालसा रखते हैं, वे आपके सदैव आभारी रहेंगे। नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया में जो बालकों के इंटरव्यू और अभिभावकों के इंटरव्यू लिए जाते हैं उस प्रक्रिया पर हमारी सरकार द्वारा लगाम लगाई गई है। ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। वेतनवृद्धि, वेतन की रसीदें, पदोन्नति, स्थानांतरण, नियुक्तियां, सेवानिवृति आदि के लाभ ऑनलाइन होने से ये सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। आप बधाई के पात्र हैं। आंगनवाड़ियों में जो खाना अब तक परोसा जाता था, उसे हम सब कोई भी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अब डब्लू.एच.ओ. के निर्देशों के अनुसार बालकों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हम रोज ही इस बात को दोहराते हैं

कि ये दिन ऐतिहासिक है। मुझे तो लगता है कि 5 साल जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, प्रत्येक दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन घोषित होना वाला है।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, आप कन्क्लूड करें, प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : एक लाइन में सर। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। व्यवस्था को सुधारने के लिए संशोधन आवश्यक हैं। हमारी सरकार बालकों को अच्छा भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली का विकास तभी संभव है जब बालकों का भविष्य सुधरेगा। इसीलिए व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको जब भी ये लगे कि संविधान में संशोधन करना चाहिए। आप संशोधन करें। हम सभी विधायकों का, इस सदन का समर्थन पूर्णतः आपके साथ में रहेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभी सबसे पहले तो मैं जो निशुल्क शिक्षा और जो ये शिक्षा बिल में जोड़ा गया है, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली में दो तरह के स्कूल हैं। एक तो ब्रांडेड स्कूल हैं और एक मेरी जैसी विधानसभाओं पिछड़े हुए क्षेत्र जहां स्कूल क्या प्राइवेट स्कूल भी न के बराबर हैं और यदि हैं भी तो किसी के पास 500 गज जगह है। किसी के पास 800 गज जगह है। किसी के पास 1000 मीटर जगह है। और दिल्ली सरकार के जो मान्यता देने के नॉर्मस हैं, वे दसवीं तक शायद 2000 मीटर और दसवीं से ऊपर बारहवीं क्लास तक 4000 मीटर की अनिवार्यता स्कूल को रिकॉगनाइज कराने के लिए है। तो जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां तो

पांच हजार, दस हजार की फीस देकर अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं और जो गरीब क्षेत्र हैं, झुग्गी–बस्तियां हैं या अनॉथराइज कालोनियों में जो 25–25 गज के मकानों में जो लोग रहते हैं, वो दस हजार की या पांच हजार की फीस देकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे और ये मैं किसलिए कह रहा हूं। मैं अपनी विधानसभा और आसपास की विधानसभा भी जो हैं, वहां की स्थिति पहले भी कई बार सदन को अवगत करा चुका हूं कि जहां बच्चों के लिए, जहां 40 बच्चे एक क्लास में बैठने चाहिए, वहां डेढ़–डेढ़ सौ बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तो उनके लिए कुछ दिल्ली सरकार ये मेहरबानी करे कि कैसे भी जमीन खरीदकर वहां बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएं। तभी हम अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं।

दूसरा जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनके लिए हमने 2000 गज दसवीं तक की मान्यता के लिए अनिवार्य की हुई है तो मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी विधानसभा जहां जमीन की बहुतायत नहीं है या जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, वहां कुछ ऐसी रियायत दी जाए ताकि वहां जो दसवीं तक का स्कूल है, वो हजार मीटर में या पन्द्रह सौ मीटर में उसकी अनिवार्यता को खत्म करके दो हजार मीटर से कम पर लागू किया जाए ताकि वहां के बच्चे जो मान लीजिए एक विधानसभा के अंदर एक ही स्कूल है जिसके पास पर्याप्त जगह है, वो अपनी मनमानी फीस वसूलता है। डोनेशन भी लेता है। क्योंकि बच्चों के लिए कहीं दूर जाने के लिए साधन नहीं हैं और वो बच्चा और उसके अभिभावक मजबूर हो जाते हैं उसको डोनेशन देने और ज्यादा फीस देने के लिए। यदि वहां पांच–सात स्कूल उस विधानसभा के अंदर थोड़ी जगह में शुरू कर

दिये जाएं तो मैं समझता हूं कि उससे बच्चों और अभिभावकों को काफी सुविधा मिलेगी। जहां तक फीस बढ़ोत्तरी की बात कही है, उस फीस बढ़ोत्तरी पर कोई नई शिकायत नहीं कर पायेगा। तो इस पर मेरा अनुरोध है कि जो मनमानी फीस वसूलते हैं, जैसा अभी बिल में कहा गया है कि वो कहीं कोर्ट नहीं जा पाएंगे या कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे तो मेरा ये निवेदन है कि दस हजार की फीस या पन्द्रह हजार की फीस की अनिवार्यता ऐसी होनी चाहिए कि स्कूलों को ये इनस्ट्रक्शन हो कि इससे ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे आप। नहीं तो फिर मनमानी होगी स्कूल वालों की और वे जो चाहेंगे फीस लेंगे। मैं ज्यादा इस पर न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि दिल्ली की गरीब जनता को देखते हुए जहां स्कूलों की तादाद न के बराबर है। जैसे मैं पहले भी मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह कर चुका हूं और शिक्षा मंत्री से भी की मेरी विधानसभा और कपिल भाई साहब बाहर हैं उनकी विधानसभा चौधरी फतेह सिंह जी की विधानसभा। मैं तीन विधानसभाओं की बात करता हूं कि जहां स्कूलों की संख्या बिल्कुल नगण्य है और वहां बच्चों की क्या हालत होती है। न बस जाने के लिए है, न कोई ट्रैफिक जाने के लिए है, न कोई मेट्रो का साधन है। वहां की समस्याओं को देखते हुए इस पर कोई निर्णय सरकार ले। धन्यवाद। जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गर्ग।

श्री विजेन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली में शिक्षा के स्तर एवं इसके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक, 2015 के विषय में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता शिक्षा को नीलाम करने का कार्य करते रहे हें। इनके कई निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं और ये स्कूल अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शिक्षा को बेच रहे हैं। विद्यार्थियों से अधिक फीस लेते हैं। दाखिले के समय डोनेशन के नाम पर मोटी रिश्वत लेकर दाखिला देते हैं। इन स्कूलों में अध्यापकों का भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। चेक तो पचास हजार रुपये का दिया जाता है परन्तु अगले ही दिन उन से बीस हजार से तीस हजार कैश वापस ले लिये जाते हैं। इस तरह से ये स्कूल मोटी रकम कमा रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 में सिर्फ दो दण्डात्मक प्रावधान हैंः विद्यालय की मान्यता रद्द करना तथा विद्यालय के प्रबन्धन को सरकारी नियंत्रण में ले लेना। ये दोनों अत्यधिक कठोर कदम हैं जो प्रभावी दण्डात्मक कार्रवाई को बाधित करते हैं। अगर किसी प्राईवेट स्कूल में उपरोक्त अनियमितताएं पायी जाती हैं तो कारावास के दण्ड को तीन वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा कम–से–कम एक लाख रुपये के जुमाने से अधिकतम पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है। ऐसा इस विधेयक में प्रावधान किया जाता है जो अत्यन्त सराहनीय कदम है। जो स्कूल रूपी दुकानों की मनमानी पर लगाम लगाने में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, उस स्कूल में सुविधाओं एवं शिक्षा के स्तर के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा। ये दूरगामी एवं सकारात्मक सोच को दर्शाता है। सरकार

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय के लेखों की जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिन्हें कम–से–कम पांच वर्ष का अनुभव हो, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करेगी। शिक्षा सुधार के ये तीनों विधेयक ये दर्शाते हैं कि जो कहा सो किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो प्राईवेट स्कूल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके लाभ कमाने के लिए चल रहे हैं, उन स्कूलों की भूमि के रिकार्ड की जांच करवाकर सरकार उन पर अपना नियंत्रण करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिन प्राईवेट स्कूलों को सरकार द्वारा बड़े भूखण्ड अर्थात जमीनें स्कूल बनाने के लिए दी गयीं थीं और वो स्कूल दिल्ली सरकार से एड भी लेते हैं परन्तु उन स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तथा पूरे स्कूल में केवल चार सौ से पांच सौ विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का ग्राउण्ड इत्यादि किराये पर देकर मुनाफा भी कमा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डी.आई. खान स्कूल, राजेन्द्र नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे स्कूलों की भी सरकार द्वारा व्यापक जांच की जानी चाहिए तथा वहां और अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके पर्याप्त इन्तजाम करने चाहिए। प्राइवेट स्कूल को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा पद्धति में जो कानून अब तक बने हुए थे, वो कतई व्यावहारिक नहीं थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में इन प्राइवेट स्कूलों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है परन्तु कुछ स्कूल केवल लाभ कमाने की दुकानें बनकर रह गयी हैं। इन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिखा। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय केजरीवाल जी को कि उन्होंने अपने नेतृत्व में शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी के थ्रू तीन बिल जो एजूकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति लायेंगे और इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखायेंगे। ये तीनो बिल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनसे न केवल हमारे दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुधरेगा बल्कि उन सभी पैरेन्टस का, उन सभी अभिभावकों का, जो उनकी फीस या स्कूलों के प्रताड़ना से पीड़ित थे। ये बहुत बड़ा बिल है। हमारे यहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में बहुत विस्तार तरीके से हम सबको इसके बारे में जानकारी दी है और उसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों का जो इस विषय पर पूरी विस्तार के साथ चर्चा कर हमारा मार्गदर्शन कर चुके हैं। इस बिल को पढ़ने के बाद मुझे एक लाईन के बारे में सोच आती है कि जब हमने इतने अच्छे बिल का यहां हाउस में प्रजेन्टेशन किया है तो एक लाईन ऐसी है जिसकी वजह से मुझे लगता है वो डिटरेन्स उन प्राईवेट स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर पर कम होगा और हो सकता है वो उसका लाभ उठाते रहें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहली स्कूल एजूकेशन एमेन्डमेन्ट बिल 2015 के पैरा 4 में वर्णित जो वाक्य है उसको मैं पढ़ता हूं। इससे मैं अगली लाईन बताऊं।

"In the principle act of the section 16 the following section shall be inserted namely section 16(a) no capitation free and screening procedure for admission. No school or person shall while admitting a child in any class entry level collect any capitation fee and subject the child

or his/her parent or guardian to screening procedure" ये बहुत बढ़िया किया है। बहुत ही कारगर है स्कूल के एडमिशन के लेवल पर। परन्तु इसका जो (ए) है उसमें कह दिया है कि if any school receives capitation fee he shall be punished और डाइरेक्टर को वो पावर दी है कि वो स्कूल पर जो कैपिटेशन फीस ली है, उसके हिसाब से उस पर जुर्माना लगाने की पावर रखेंगे। परन्तु डिटरेन्स में कहीं–न–कहीं कमी रही। और उसी के एमेन्डमेन्ट में सेक्शन 27(ए) है जहां वर्णित है :

"Offences and penalties. Same as provided under this act whoever contravene the provisions of this act except Section 16(a) shall on conviction. He will be punished with imprisonment for a term which may extend to petiod of 3 years or fine or shall not be less than One lakh rupees but which may extend to Five lakh rupees or both".

यहां जब इस सेक्शन, जब इस बिल में एक्सप्ट सेक्शन 16ए कह दिया तो स्कूल के लिए जो स्कूल के एडमिनस्ट्रेशन के लिए एक डिटरेन्ट था। यहां कैपिटेशन फीस लेने पर जो जुर्माना वर्णित है, वो बहुत कम है। कई स्कूलों की जो इनकम महीने की है, वो करोड़ों में है। अब ऐसे में एक लाख और पांच लाख का जुर्माना अकेला न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो जो उन्होंने एक्सेप्ट सेक्शन 16(ए) जो ये चार वर्ड इस्तेमाल किये हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा स्कूल जिसने कैपीटेशन लेने के नाम पर लूट मचाई है, वो बच निकलेगा। अतः मेरा डिप्टी

चीफ मिनिस्टर सर से एक अनुरोध है कि वो अपने इस बिल में इस वर्ड को भी छपा रहने दें। इसको भी लागू कराएं। इसमें स्कूल और स्कूल का administrator इस बात से सावधान रहें कि अगर उसने कैपीटेशन फीस लेने की हिम्मत की तो वो सजा के प्रावधानों से नहीं बच पाएगा। इस लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर ध्यान दें और अगर आपको लगे तो कृपया इस एमेंडमेंड को ध्यान में रखकर एमेंडमेंट करवाएं।

सर, यहां एजूकेशन केवल किताबी एजूकेशन नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली कि जो सरकारी स्कूल है, वहां एजूकेशन के साथ–साथ जो फिजिकल एजूकेशन है जिसके लिए आज हम वल्ड में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। भले ही हमारे यहां मिल्खा सिंह जैसे वीर बहादुर रहे हों, जिन्होंने दुनिया में अपनी प्रदर्शन की धूम मचाई। चाहे बहुत सारे ऐसे other खिलाड़ी रहे हों, फिर भी हम स्कूलों में जो स्कूल में फैसिलिटी मिल सकती हैं, वहां हम वंचित हैं। सरकारी स्कूलों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बड़े–बड़े प्ले ग्राउंड हैं और उस बात को हम पीछे तक ले जाएं अपने इतिहास को महाभारत काल में गुरू द्रोणाचार्य ने न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्होंने मल्य युद्ध में भी पारंगत कराया, जहां भीम और दुर्योधन जैसे मल्य यौद्धा पैदा हुए। जहां उन्होंने अर्जुन और उन जैसे सभी के लोगों को एक ऐसी शिक्षा दी कि वो शिक्षा के साथ–साथ और अन्य हथियारों में भी शिक्षा प्राप्त करें और अपने प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करें। अपनी देश सेवा करें और अपने राज्य का नाम रखें। परन्तु कहीं–कहीं हम स्कूलों में जब देखते हैं, खास कर प्राईवेट स्कूलों में, जहां उन्होंने सरकार से जमीन

तो ली है। सरकार से जमीन ली कौड़ियों के भाव उसमें स्कूल भी बनाया, प्ले ग्राउंड भी रखा और कुछ ही दिनों बाद सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो एजूकेशन डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी मदद से जिन्होंने अनदेखी की कुछ स्कूलों में बड़े–बड़े भवन बना दिए गए। मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है ''बनियान ट्री''। अध्यक्ष महोदय, उस स्कूल में केवल 12वीं क्लास तक का स्कूल नहीं चल रहा, बल्कि उसमें चल रहा है एक एजूकेशनल इंस्टीच्यूट, प्राइवेट आई.आई.एल.एम. जिसमें सैकड़ों की grown up छात्र जो सिगरेट भी पीते हैं और नशा भी करते हैं। ऐसे लोग उसी स्कूल के कैम्पस में अपनी एक और क्लास चलाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भरपूर मोनेटरी लाभ ले रहा है। हमारा तंत्र कहीं न कहीं कष्ट क्रप्ट है। हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, जब हम ऐसी बातों को अनदेखा करते हैं। उस स्कूल का प्ले ग्राउंड, उस स्कूल ने दिल्ली सरकार से सस्ती दरों पर इस लिए लिया था कि वहां स्कूल के बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी। उन सुविधाओं के नाम पर आज वहां एक प्राइवेट इंस्टीच्यूट चला रखा है। हजारों स्टूडेंट वहां से पास होकर निकल रहे हैं जो grown up हैं। उनसे मोटी–मोटी फीस ली जाती है। परन्तु साथ–साथ वो बच्चे जो स्कूल के प्रांगण में खेल सकते थे, जो उस बात की फीस दे रहे थे कि वो एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, वो वंचित होते हैं। तब वो पहले वाला प्रावधान कि स्कूल के खातों की जांच की जाएगी और अगर ज्यादा फीस ली है तो वापिस की जाएगी। उस संदर्भ में वो फीस कौन से सैक्शन की मानी जाएगी। ये भी माननीय उप मुख्य मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखें कि वो स्कूल की फीस को देखेंगे

जो स्कूल के बच्चे से ली है, परन्तु उसके साथ उन बच्चों को खेल कूद के मैदान से वंचित रखा गया है। महोदय, उसी स्कूल में, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। वहां उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में से लगभग 100 कमरे बना रखे हैं। जिसके लिए वो वहां हैविटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां स्कूल के बच्चे नहीं रहते वो होस्टल नहीं है बल्कि या तो स्कूल के टीचर या स्टॉफ या उनके कोई और लोग वो वहां एजूकेशन इंस्टीच्यूट उन्होंने चला रखे हैं, उसके लोग रहते होंगे। उसकी वजह से वो स्कूल का जो एक मेजर पोर्शन है जो बच्चों को अपने काम में आने में मदद करता है जो उन्हें खेलने में खिलाड़ी अच्छा होने में जो मानसिक प्रगति करने में इस्तेमाल होता, उससे उनको वंचित रखा गया है। मैं आपको एक और बता दूं उसी स्कूल में एक सबसे ज्यादा अचरज की बात है। महोदय, उस स्कूल में कानूनी रिकार्ड के मुताबिक एक भी पानी का कनैक्शन नहीं है। सबसे बड़ी अचरज की बात है कि वो एजूकेशन डिपार्टमेंट के लोग कैसे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उसमें पानी पीने का नल सरकारी कनैक्शन से नहीं आता बल्कि नीचे से बोर वेल से आता है। सर, यहां बहुत बार हाई कोर्ट ने कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया है, कई बार गवर्नमैंट की तरफ से डायरेक्शन्स आती है कि सीवर आप सीधा नाले में नहीं डाल सकते। सीवर लाइन का इस्तेमाल करना है। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे भूल गया कि उस स्कूल में कोई सीवर का कनैक्शन ही नहीं है। ये ऑफिसियली डेटा है। आर.टी.आई. का जवाब है। यह बात सत्य है कि न उस स्कूल में पानी का कनैक्शन है और न ही सीवर की व्यवस्था है। ऐसे में हजार लोगों का जो इस्तेमाल किए जाने वाला जल

और मल वो खुले नाले की तरफ मुंह करता है जिसके लिए चाहे एन.जी.टी. हो चाहे हमारी कोर्ट हो, उनकी बार–बार डायरेक्शन आती है और ये कन्टैम्प्ट है। ऐसे स्कूलों के बारे में ये एक स्कूल है। ऐसे बहुत सारे स्कूलों का वर्णन कर सकता हूं पर चूंकि एक स्कूल का मामला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से और एजूकेशन मिनिस्टर साहब से कि वो एजूकेशन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाएं वो देखें कि ऐसे कौन–कौन से स्कूल हैं जहां बच्चों के खेलने की जगह को स्कूल के मैनेजमेंट ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो ऐसे कौन–कौन से स्कूल हैं, जहां मूल भूत सुविधाएं जैसे पीने का स्वच्छ पानी और जल मल का सीधा अच्छा डिस्पोजल नहीं है। ऐसे लोगों की न सिर्फ मान्यता रद्द की जाए बल्कि इनको उस स्कूल का पहला जो एक एमेंडमेंट आ रहा है स्कूल से फीस वापिस लेकर उसको वापिस किया जाए। ये वो हैं जिन लोगों ने स्टूडेंस से फीस तो ली हैं परन्तु फीस के साथ सुविधाओं के नाम पर उनको केवल क्लास रूम दिया है एक स्वच्छ हवा, एक अच्छा प्ले ग्राउंड, एक अच्छा माहौल जहां वो फिजिकल एजूकेशन ले सकते हैं, उससे वंचित रखा है।

मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल जिन में ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और ट्रांसपोर्ट उन्होंने सरकारी कालोनियों में जबरदस्ती बस अपनी घुमाकर वहां के लोगों का जीना दुभर कर रखा है। ऐसे लोगों को और ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई करवाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस दिशा में अपनी आंखें मूंदी है, उन्हें करप्शन के दायरे में लाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करते हुए आपको धन्यवाद करता हूं। Thank you.।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के समक्ष शिक्षा से जुड़े हुए विधेयकों पर चर्चा हो रही है। Bill no. 9, Delhi School Verificaion of Accounts and Refund of excess fee, Bill 2015. Bill no. 10, Delhi Education Amendment Bill, 2015 and Bill no. 15, the Right of children to free and Compulsory Education, Delhi amendment Bill, 2015। मैं सिलसिलेवार इन तीनों बिलों की खामियों को इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। और अगर मैं ये कहूं कि Bogus fee Regulation Act यहां पर तैयार किया जा रहा है तो अतिश्योक्ति नहीं होगा। और ये कहूं कि विद्यालयों के प्रबन्धकों से कहीं न कहीं सरकार ने उनको विश्वास में लेकर आम अभिभावक को और अध्यापक को और कर्मचारियों को प्रताड़ित और शोषित करने का एक शायद डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसकी जितनी कड़े भर्त्सना की जाए, वो कम है। मैजोरिटी है आपकी। मैजोरिटी भी कोई साधारण मैजोरिटी नहीं है एब्सोल्यूट मैजोरिटी भी नहीं, ब्रूट मैजोरिटी है। प्रचंड बहुमत इतना बहुमत की आप विपक्ष को पिटवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद है, मैं इतना कहूंगा कि मैजोरिटी से पास करने में एरोगेंस नजर आती है और कन्सेंसस से किसी काम को करने में सरलता और सहजता नजर आती है। हमें मालूम है कि इस सदन में किसी भी विषय पर मैजोरिटी और माइनोरिटी के आधार पर कुछ रुकने वाला नहीं है। सब कुछ होगा, जो आप चाहेंगे। लेकिन अगर आप होशोहवास में करेंगे तो कन्सेंसस बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी

कमी यहां पर नजर आ रही है। जो बिल नंबर 9 है, उसमें सरकार ने दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को जो सोसायटी एक्ट, 1861 में रजिस्टर्ड है, जो एक गैर सरकारी संस्थान है, उनको शिक्षा के व्यवसायीकरण की खुली छूट दी जा रही है अर्थात् यह स्कूल कितनी भी फीस बढ़ाये, इस पर कोई सवाल करने का किसी को अधिकार नहीं है। न तो सवाल करने का अधिकार है, न सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है और न ही अदालत में जाकर गुहार लगाने तक पर भी इन बदलावों से रोक लगेगी, ऐसा साफ रूप से प्रतीत होता है। और उप मुख्यमंत्री जी ने जब ये बिल पेश किए थे, तब इस बात को स्पष्ट रूप से अपने भाषण में भी कहा था कि फीस वृद्धि पर हमारी ओर से कोई रोक नहीं है। इसलिए हम यह बिल ला रहे हैं कि फीस बढ़ाते वक्त हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और इसमें जिन–जिन चीजों को डिलिट किया जा रहा है दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1973 में से, उसके आधार पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ये विद्यालय अभिभावकों से वसूल लेंगे, जो अभी तक सम्भव नहीं था। अभी कैपिटेशन फीस की बात हो रही थी। अब तो यहां पर एक प्रकार से कैपिटेशन फीस को भी मंजूरी दी जा रही है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1973 में एक व्यवस्था थी कि विद्यालय के अंदर सिर्फ recurring expenditure और उसका 75 प्रतिशत अंश अध्यापकों की सैलरी पर और 25 प्रतिशत अंश administrative expenditure पर खर्च होगा। स्कूल का पैसा सोसायटी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक स्कूल का पैसा दूसरे विद्यालय के बनाने में काम नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, अब तो हमारा यह नया मसौदा न तो पैसे के ट्रांसफर को रोकेगा, न ही capital expenditure को रोकेगा, न ही non-recurring expenditure को रोकेगा। इसके

बाद अभिभावकों का एक अधिकार था, जितना मासूम बच्चा होता है, उससे ज्यादा मासूम अभिभावक होता है। कोई अभिभावक एक नागरिक के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक नौकरशाह के रूप में क्या करता है या एक नेता के रूप में क्या करता है, वो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जब वो मां और बाप के रूप में अपने बच्चे के साथ खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक ममता की मूर्ति होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे सॉफ्ट कोई जगह है, तो वो है उसका बच्चा। जहां वो दण्डवत है, सरेंडर है और अपने बालक, अपने बच्चे, अपनी बच्चों के लिए, वो कहते हैं ना, राजा अकबर ने भी औलाद के लिए किस तरह पैदल जाकर मन्नत मांगी थी। आप सोच सकते हैं कि जिस विद्यालय के प्रांगण में उसका बच्चा सुबह 6 बजे, वो छोड़ कर आता है और दोपहर को 2 बजे लेकर आता है। दोपहर को दो बजे लेकर आता है। क्या वो इतनी हिम्मत जुटा सकता है कि उस विद्यालय के मैनेजमेंट के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। मुझे नहीं लगता कि अभिभावकों में इतनी हिम्मत कहीं से आती है। मैंने खुद इसको बड़े नजदीक से महसूस किया है कि मैंने वर्षों तक अभिभावकों के एक आंदोलन का नेतृत्व किया है। आपने इस विद्यालय की लड़ाई लड़ने के लिए कोई और संस्था या कोई सोसायटी या कोई एन.जी.ओ. उस पर आकर बात करना चाहे तो उस अधिकार को भी आपने छीन लिया है। क्योंकि आपने कहा है कि पहले उसी विद्यालय के बीस अभिभावकों को इकट्ठा होना पड़ेगा और वो भी फीस वृद्धि पर नहीं, एक्सपेंडीचर के खिलाफ। आप सोचिये विद्यालय आज पैसा वसूलेगा। उसका एक्सपेंडीचर अकाउंट कब बनेगा? कब वो ऑडिट होगा? कब उसमें आप, और आप जब इतनी छूट जब दे देंगे तो वो कितना भी पैसा वसूल लेगा, उस पैसे का हिसाब अध्यक्ष जी, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से

पेश कर देगा। उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो कमेटी आप बना रहे हैं, उसमें आपने अफसरशाही को भी जोड़ दिया है। यानी की जिस अफसरशाही के रहते हुए दिल्ली के अंदर शिक्षा का व्यावसायिकरण, शिक्षा का व्यवसाय, व्यापार फल फूल रहा है, उन्हीं अधिकारियों में से एक उस समिति का अध्यक्ष होगा। इसको आप जांच के लिए यहां पर स्थापित कर लें। आपने कहा कि डी–रिकॉग्नाइज करना, या उसका वो अफिलिएशन, कैंसिल करना वो एक विषय है। मैं भी मानता हूं वो एक विषय है। उस हद तक जाना इतना संभव है, उसकी बहुत सारी अपनी दिक्कतें हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो तो आप मैनेजमेंट पर फाइन नहीं कर रहे। आप तो अभिभावक पर कर रहे हैं। यानी के जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है। जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और अगर आप उस स्कूल के ऊपर फाइन लगाते हैं तो वे भी फीस में ही जुड़के आने वाला है, और ऑन–अकाउंट आने वाला है। आप लगाइये फाइन। विद्यालय को फाइन देने में दिक्कत क्या है। विद्यालय तो हंसी खुशी से फाइन देगा और फाइन देने के बाद जिस बात के खिलाफ आप फाइन लेने की बात कर रहे हैं, वो अभिभावक की जेब पर जाकर के उसका वजन पड़ेगा। ये कौन सा न्याय है। पिछली बार सदन में बदलाव का प्रस्ताव लाने की बात की थी। अमेंडमेंट मूव किये जा रहे थे। मैंने खुद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बात की। मैंने कहा कि ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी कि इस बिल को रोका जाए। इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। इस पर अगर कन्सेन्सेस बनाकर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम आएंगे।

हो सकता है उस समय क्या कारण रहे, मैं नहीं कहता लेकिन मैं कहीं न कहीं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। इन्होंने जरूर, मैं ये मानता हूं, हो सकता है वो खड़े होकर उसको गलत कह दें, मेरी बात पर भी गौर किया होगा और मेरी बात पर गौर करने के बाद शायद मेरा भी उसमें कुछ अंश रहा होगा, कुछ प्रतिशत, कि वो बिल नहीं आया। हमने सिर्फ कोई नगेटिविटी के लिए विरोध किया हो। विरोध के लिए विरोध किया हो, ऐसा नहीं था। हमने कुछ उदाहरण दिये थे, देश के अंदर उस पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। तमिलनाडु में एक मॉडल है। महाराष्ट्र में एक मॉडल है। ये मत समझियेगा, मैं महाराष्ट्र का नाम ले रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ले रहा हूं कि वो पहले से है। राजस्थान में एक मॉडल है। और भी कई प्रदेशों में मॉडल है। उनको हम स्टडी कर सकते हैं। उनको हम पढ़कर और उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। उनकी जो कमियां हैं, उनको दूर करके दिल्ली में हम उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मनीष जी के आगे शायद अरविन्द जी की कम चलती है। अब शिक्षा मंत्री ये हैं। अब मुख्यमंत्री जी भी मुख्यमंत्री है। वैसे तो लेकिन अब शिक्षा मंत्री है और वो भी मनीष सिसौदिया खुद है तो दोनों चीजें जो हैं कहीं–न–कहीं काम कर रही है। इसलिए हो सकता है मनीष जी के आगे अरविन्द जी की न चल पा रही हो या फिर अरविन्द जी भी सहमत हो गये हों मनीष जी से। जैसे बाकी की बातों में हो जाते हैं। ये तो मैं नहीं जानता कि अन्दर की क्या बात है लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मनीष जी को उस समय भी जब वो बिल रुका था तो मैंने खुद सदन में इनकी भाव–भंगिमा को नोटिस

किया। इनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया था, वो अच्छा नहीं लगा था। ये बिल रुका। बिल नं. 10, मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं कि बिल नं. 10 में आप शायद दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 को जब लाया गया था। 1973 में। उस समय के इतिहास से शायद आप वाकिफ नहीं है। ये एक्ट क्यों लाया गया था? दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्राईवेट स्कूल के अध्यापकों का, टीचर्स का, टीचिंग स्टॉफ का और नॉन टीचिंग स्टॉफ का एक आन्दोलन हुआ था और उस आन्दोलन का जो मूल मन्त्र था वो ये था कि हमारा शोषण हो रहा है। हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और समानता के अधिकार का मौलिक अधिकार का अर्थ है समानता का अधिकार। राइट टू इक्विलिटी। उसका हनन हो रहा है। ये जो पे पैरिटी है, ये हमारा अधिकार है और उस आन्दोलन के बाद उस समय की प्रधानमंत्री क्योंकि उस समय दिल्ली में एसेम्बली नहीं थी। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अध्यापकों के इस आन्दोलन के आगे एक प्रकार से अपनी जिद को छोड़ा था 1973 में और तब ये आया था और आप इतनी मेहनत से एक अधिकार जो मिला दिल्ली के पांच लाख टीचर्स एण्ड नॉन टीचिंग स्टॉफ को उसे आप एक ही झटके से 10(1) को डिलीट कर रहे हैं। 10(1) को डिलीट कर रहे हैं आप। मैं सदन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पांच लाख निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को शोषण की तरफ मत धकेलिए। उस शोषण के लिए, उस शोषण को कानूनी जामा मत पहनाइये। ये शोषण आपको बहुत भारी पड़ेगा। बहुत भारी पड़ेगा। मेरी बात आप लिख लेना। ये मत समझिये कि आप एक तरफ शोषण की इजाजत देंगे और दूसरी तरफ अभिभावकों का

शोषण रुक जायेगा। संभव ही नहीं है। इन लोगों के मुंह खून लग गया है न शिक्षा के व्यावसायीकरण का। इन्होंने शिक्षा को व्यापार बनाया है। ये शिक्षा का धन्धा करते हैं। शिक्षा को धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि वे अपने धंधे से बाज आ जायेंगे। उनको तो अपना मोटा मुनाफा चाहिए।...ये तो बहाने हैं।

v/;{k egkn; % थोड़ा कन्क्लूड कीजिए प्लीज। सभी को बोलना है, 20 मिनट का समय हो गया है आपको।

Jh fctUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, ये तो बहाने हैं कि 7वां वेतन आयोग आ रहा है। ये एरिअर देने पड़ते हैं। जनाब जितने लोग टैम्परेरी हैं, जितने लोग एडहॉक हैं, जितने लोग कांट्रेक्ट पर हैं। इस बिल के लागू होते ही... तीन महीने में मैं दिखा दूंगा। अगर एक भी टीचर कोई स्कूल में रह जाये।

v/;{k egkn; % थोड़ा कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

Jh fotUn xIrk % मैं कन्क्लूड नहीं करूंगा सर। मैं अपने तीन सदस्यों के विहाफ पर तीनों बिल पर एक बार बोलूंगा। मुझे आप 8 मिनट भी एक बिल पर देंगे, तो भी 24 मिनट होते हैं। मैं फिर भी 15 मिनट...

v/;{k egkn; % 20 मिनट हो चुके हैं।

Jh fotUn xIrk % आप तीन बिल पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। एक एक बिल पर करवा लीजिए। मेरी एक बिल पर बात खत्म हो गयी है, दूसरे बिल पर कर रहा हूं मैं।

v/;{k egkn; % मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकेण्ड। जो एक्ट है, उस पर भाषण न करें। टु दि प्वाइंट बात रखिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, मेरा एक भी सैन्टेस विषय से बाहर हो, तो आप मुझे टोक देना।

v/;{k egkn; % आप लम्बा मत करिए न।

Jh fotUn xIrk % बिल्कुल। मैं आपके समक्ष जो भी बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पूरे तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

v/;{k egkn; % मैं आपको एग्जेक्ट दस मिनट दे रहा हूं। आप समय देख लीजिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, वो मेरा काम है। मैं अपनी बात समेट लूंगा। ये बात ठीक है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप बैठिए। विशेष जी।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, आप क्या सोचते हैं कि जब मैनेजमैन्ट को यह अधिकार मिल जायेगा कि आपको पे कमीशन की पैरिटी पर नहीं जाना है, तो वह 40 हजार 35 हजार 30 हजार पर टीचर को क्यों अपने स्कूल में रखेगा, जब उसको 10 हजार में टीचर मिलेगा और कानूनी तौर पर मिलेगा, उसको कौन सा नियम कहेगा कि जो टीचर परमानैन्ट भी है, वह पढ़ाता रहे, हर टीचर को डिस्टर्ब किया जायेगा। हर टीचर को, हर स्टॉफ को डिस्टर्ब किया जायेगा।

v/;{k egkn; % ये विषय हो गया है।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय, हर नयी नियुक्ति पर शोषण होगा।

v/;{k egkn; % ये विषय हो गया है। अब इसे लम्बा करेंगे।

Jh fotUn xIrk % आपने 10 मिनट बोला है नं. 10 मिनट में तीनों बिल, केवल ये बिल नहीं, 10 मिनट में तीनों बिल पर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समय की सीमा भी और समय की कीमत भी जानता हूं। हां, यदि उसके पीछे कोई मालाफइड इन्टेन्शन है मुझे रोकने की तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बात दूसरे तरीके से कहना जानता हूं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मदन जी, बोलने दीजिए।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष महोदय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि साइन करा लेते हैं। कैश ले लेते हैं। शोषण हो रहा है टीचर का। अब हम शोषण रोक रहे हैं। मैं उस समय सोच रहा था कि आप शोषण को रोक रहे हैं या शोषण को लीगेलिटी प्रदान कर रहे हैं। आज की तारीख में शोषण करना इल्लीगल था आज तक। आज के बाद शोषण होगा लीगेलिटी के साथ, खुलेआम। किसी शोषण को लीगेलिटी प्रदान करके आप सदन के अंदर तो वाह वाही ले सकते हैं क्योंकि आपकी ब्रूट मैजोरिटी है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि दिल्ली की जनता आपको इस आधार पर फैसले लेने पर कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि आप शोषण पर मोहर लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारा साफ रूप से कहना है कि 10(1) को डिलीट करना ये फण्डामैन्टल राइट का वायलेशन है। इसको डिलीट न किया जाये।

इस बिल को वापस लिया जाये। इस पर पुनर्विचार करे मंत्रिमण्डल और इसे नये स्वरूप में लाया जाये। बिल नं. 15 राइट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन बिल 2015। सैक्शन 16 को आप डिलीट कर रहे हैं। नो डिटैन्शन पॉलिसी, ये नो डिटैन्शन पॉलिसी रातों रात नहीं आई थी। उस पर बहुत बड़े–बड़े अध्ययन हैं। इसमें बहुत...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अभी दो मिनट डिस्टर्ब न करें। 5 मिनट बाकी हैं। उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। आप बोलते रहे विजेन्द्र जी।

Jh fotUn xIrk % इसमें बहुत बड़े बड़े अध्ययन हैं। इसमें यशपाल कमेटी बैठी थी एक बार और नाइन्टीज में इतनी सारी रिसर्च और स्टडीज आई थी जिसमें कहा कि तीन साल के, चार साल के, पांच साल के बच्चे पर इन्फोर्मेशन लोडिंग की जाती है। अगर ढाई साल के बच्चे से वो सवाल, जिनका जवाब देना उसके नेचुरल प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वह जवाब हम उससे मांगते हैं तो हम उससे सर्कस करवा रहे हैं। विद्यालय में जाता था दाखिले के लिए छोटा सा बच्चा ढाई तीन साल का, मैनेजमैन्ट पेरेन्टस की जेब देखती थी और जेब देखकर बच्चे से सवाल करती थी और सवाल में बच्चे को भी हतोत्साहित होना पड़ता था और मां बाप भी कई दिन सोते नहीं थे। क्योंकि जैसी जेब वैसे बच्चे से सवाल। आप यशपाल कमेटी पढ़िए। बस्तों के बोझ को कम करना, ये सरकार का दायित्व है। किसलिए होते हैं अभी मुझे बाहर जाने का अवसर मिला। मैंने यू.एस.ए. में देखा, छोटे छोटे प्ले स्कूल, बच्चे बस्ता लेकर घर नहीं जाते। न

बस्ता लेकर घर से स्कूल आते हैं। विद्यालय का वातावरण ऐसा होता है कि बच्चे को खेलते खेलते सीखने का अवसर मिलता है। जब ये नो डिटेन्शन पॉलिसी लागू हुई थी, तब स्थिति ये थी कि बच्चा स्कूल जाने से डरता था। उसको भय उत्पन्न होता था। और विदेशों में बच्चा स्कूल के टाइम का इन्तजार करता है कि कब मेरा स्कूल खुलेगा और मैं स्कूल जाऊंगा। आज भी दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में ये दिक्कत नहीं है। अगर आप पब्लिक स्कूलों में देखेंगे तो जहां एगजामिनेशन नहीं हो रहा, वहां 8वीं कक्षा में नाम लिखना नहीं आता या 9वीं कक्षा में नाम लिखना नहीं आता, ये स्थिति वहां आज भी नहीं है और जब ये नो डिटेन्शन पॉलिसी नहीं आई थी, तो तब भी सरकारी स्कूलों में यही स्थिति थी कि आठवीं में पहुंच गया, नाम लिखना नहीं आता। ये कोई नई बात नहीं है। आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए, कहां कमी है, क्या कमी रह गयी कि ये पॉलिसी फेल हो गयी? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी को चाहे वह आपकी सरकार हो या आपसे पहले की सरकार हो...विफल हुई है, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि आठवीं के बच्चे को नाम लिखने की समस्या नहीं आ रही है, आ रही है। सभी को नहीं, जितनों को भी आ रही है, उसके बारे में उपमुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छा बता पायेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की है या फिर हमारे सिस्टम की है?

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, आप कनक्लूड कीजिए।

Jh fotsUnz xqIrk % इस पर हमको गौर करना चाहिए, इसलिए यह जो

अमेंडमेंट है सैक्शन 16 का, यह आपकी अचीवमेंट नहीं है, यह आपका फैलियर है, यह आपका mal-administration के सामने सरेंडर है। यह सरेंडर है, यह कहीं न कहीं आपकी राजनीतिक इच्छा–शक्ति कहीं क्षीण होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो आपने इसको चुनौती न मान कर, इसको ठीक करने की कोशिश करने की बजाय, उसको एक मैनेस मान लिया है, एक बुराई मान लिया है। यह बुराई नहीं है। वास्तविकता में यह बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको लागू करने में पूरी तरह विफल हैं और उस ओर ध्यान देने का भी आपका कोई मुझे इरादा नहीं लगता।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, अब कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk % इसलिए मैं इन तीनों बिलों पर अपना विरोध दर्ज करता हूं। मैं इन तीनों बिलों पर अपनी और अपने साथी जगदीश प्रधान जी की तरफ से असहमति प्रकट करता हूं और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि ये जितने अमेंडमेंट है, इन पर पुनर्विचार किया जाये और उसके बाद इनको सदन में लाया जाये। धन्यवाद।

eq[;ea=h dk oDrO;

v/;{k egkn; % माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी।

eq[;ea=h % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने आज मुझे इतने अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले दो शब्द हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन जी ने जो अभी बात कही, यह बात सही है कि इस सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हैं, अपोजिशन के केवल 3 विधायक हैं। एक तरफ वो सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों

हुआ? शायद दिल्ली की जनता को देश में, दिल्ली में आज तक जो राजनीति चल रही थी, उस किस्म की राजनीति से, अभी तक की पार्टियां जो राजनीति कर रही थीं, उस किस्म की राजनीति से शायद दिल्ली की जनता, देश की जनता इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने ब्रूट मैजोरिटी जिसे कहा, जनता ने वो ब्रूट मैजोरिटी इस सदन के अंदर चुनकर भेजी। लेकिन जैसा मैंने हमेशा कहा है, हमें कतई अहंकार नहीं करना, जिस दिन हम लोगों ने अहंकार किया, हमारे शब्दों में, हमारे आचरण में अगर किसी भी किस्म का अहंकार आया, तो जिस जनता ने एक पार्टी को जीरो और दूसरी पार्टी को तीन बना दिया, वही जनता हम लोगों को भी तीन बना सकती है, यह हम लोगों को हमेशा याद रखना है। इसलिए हमारा मकसद कतई यह नहीं है कि हम यहां पर अपनी ब्रूट मैजोरिटी के आधार पर अपने बिल पास करा लेंगे। हमारा मकसद हमेशा यह रहेगा कि हम कनसेंसस के बेसिस पर इस सदन के बैठे हुए हर सदस्य के व्यूज को, हर सदस्य के आइडियाज को, चाहे वो कितनी भी माइनोरिटी में क्यों न हो, अगर कोई इन्डिविजुअल सदस्य भी अपने व्यूज और अपने आइडियाज देगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ आइडियाज एक इन्डिविजुअल को ही आते हैं और सब लोगों को नहीं आते। हर इन्डिविजुअल के आइडियाज को और हर इन्डिविजुअल के व्यूज को सरकार और मुझे पूरा यकीन है कि यह विधान सभा पूरी तरह से तव्वजो देगी और बाहर दिल्ली के हर नागरिक के व्यूज को हम लोग तवज्जो देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है और पेट्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर जनता के लिए, अब चुनाव खत्म हो गये, जिसको जितनी सीटें मिलनी थीं, मिल गई, जिसको जितने

वोट मिलने थे, मिल गये, अब अपने को, सब को अगले पांच साल मिल कर काम करना चाहिए। उसके लिए मेरा नम्र निवेदन आप सब लोगों से है, खास तौर से विपक्ष के साथियों से है। पहले अपने साथियों से है कि जब हमारे विपक्ष के साथी कुछ भी बोले तो हमें इंटरफेयर नहीं करना, उन्हें बोलने दिया जाये। हमें सुनना चाहिए और पूरी इज्जत के साथ, मान के साथ और मर्यादा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बीच में टीका–टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और दूसरा आपसे भी, विपक्ष के साथियों से भी निवेदन है कि जितने आप कंस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे, आपने खुद माना कि पिछली बार आपने सुझाव दिया और हम लोगों ने एक बिल को रोका। आप जितने अच्छे सुझाव देंगे, उतना स्वागत है और कल आप शायद चले गये थे, लेकिन जब जनलोकपाल बिल प्रस्तुत हुआ, जो भी है, जनलोकपाल बिल जब प्रस्तुत हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार निवेदन किया था कि आप अगर सदन में रहें तो अच्छा रहेगा।

अब मैं कुछ मुद्दों पर आता हूं। ये जो तीनों विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं, कई मायनों में ये बहुत ऐतिहासिक हैं। एक तरफ ये सरकार की नीयत दिखाते हैं कि...दो चीजें दिखाते हैं सरकार की तरफ से। एक तो ये दिखाते हैं कि सरकार शिक्षा को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। शिक्षा हमारे लिए टॉपमोस्ट प्रायोरिटी है। करप्शन दूर करना, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हमारा सपना लेकिन करप्शन दूर करना तो एक मीन्स है लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारी दिल्ली का हर बच्चा, दिल्ली का हर नागरिक शिक्षित हो। दिल्ली का हर बच्चा, दिल्ली का हर नागरिक स्वस्थ हो। तो शिक्षा हमारे लिए टॉपमोस्ट प्रायोरिटी है। दूसरा ये तीनों विधेयक हमारी नीयत दिखाते हैं।

अभी तक जिस किस्म की पूरी शिक्षा प्रणाली दिल्ली के अंदर चल रही थी, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा, वो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली, उसकी नींव, उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसका तना, सब कुछ भ्रष्टाचार से ग्रसित था। सब कुछ फर्जीवाड़े से ग्रसित था और आज का जो सिस्टम था, पूरा का पूरा दिल्ली का शिक्षा प्रणाली का वो ईमानदारी से चल ही नहीं सकता था और मैं चैलेन्ज करता हूं कि यहां बैठा कोई भी आदमी ईमानदारी से दिल्ली के अंदर एक स्कूल चलाकर दिखा दे इस शिक्षा प्रणाली के तहत, मैं मान जाता उस आदमी को। आज की प्रणाली के अंदर ईमानदारी से स्कूल चल ही नहीं सकता था और जो मैनेजमेंट स्कूल ईमानदारी से नहीं चला रहे, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो उसी तरह की शिक्षा देंगे हमारे बच्चों को। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पहले हमें जो पूरे सिस्टम की विसंगतियां थीं। जो पूरी कानूनी प्रणाली की विसंगतियां थीं, उनको दूर करना है। इन तीनों विधेयकों के जरिए आज ऐसी शिक्षा प्रणाली की रचना करने की कोशिश की जा रही है कि आज अगर दिल्ली के अंदर जो ईमानदारी से स्कूल चलाना चाहे तो आज ईमानदारी के साथ स्कूल चला सकता है और जो ईमानदारी के साथ स्कूल को नहीं चलाएंगे, वे बख्शे नहीं जाएंगे। ये इन तीनों विधेयकों के अंदर साफ–साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले सरकार का शिक्षा प्रणाली के अंदर पहला मकसद है, हमें अपने सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। हमें अपने सरकारी स्कूल इतने अच्छे करने हैं और पांच साल के अंदर क्या पांच साल के काफी पहले हम लोग ये कर लेंगे कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को हम इतना अच्छा करेंगे। वहां पर अच्छी सुविधाएं देंगे। वहां पर अच्छे अध्यापक हैं, उनको

पूरी ट्रेनिंग देंगे और अच्छे अध्यापक लाए जाएंगे। अच्छी शिक्षा दी जाएगी। मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि चार साल के अंदर आप ये सिफारिश करवाने के लिए नहीं आओगे कि फलाने–फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमीशन करा दोगे। आप ये सिफारिश करोगे फलाने–फलाने सरकारी स्कूल के अंदर मेरा एडमीशन करा दो और अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने में फख्र महसूस करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी है जिसमें सरकारी स्कूलों को अपने को अच्छा बनाना है। लेकिन आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। प्राइवेट स्कूलों में हम ये नहीं कह सकते कि केवल अमीरों के बच्चे जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत सारे विधायकों ने कहा, अभी जगदीश प्रधान जी ने भी कहा, गोकुलपुरी के बारे में बताया। उन्होंने करावल नगर के बारे में बताया। ऐसी कई सारी कालोनियां हैं, जिनके अंदर छोटे–छोटे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। उनके अंदर लोअर–क्लास के लोग जाते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी भी ये चाहता है कि पेट काट के अगर किसी तरह से उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाए तो पहले वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। तो इन प्राइवेट स्कूलों को भी, इन प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा के नाम पर आज केवल और केवल ध ोखाधड़ी ठगी और लूट चल रही है और उसकी वजह से पूरी दिल्ली की जनता त्रसित है और इन तीनों विधेयकों के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक एक्चुअल जीते जागते स्कूल की कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। एक स्कूल है। उसमें साढ़े तीन सौ बच्चे पढ़ते हैं, एक्चुअल स्कूल है। मेरा जानकार है, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि सच–सच बताओ,

सारी फिगर सच–सच बता दो। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें ठीक–ठीक बताई हैं। साढ़े तीन सौ बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग एक बच्चे से लगभग हजार रुपये फीस लेते हैं। तो एक महीने के साढ़े तीन लाख रुपये की फीस इकट्ठी हुई। उस स्कूल में सत्रह टीचर हैं। एक टीचर को कानून के मुताबिक जिस धारा 10(1) का जिक्र किया जा रहा है उस धारा 10(1) में ये लिखा है कि प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को उतनी तनख्वाह देंगे, जितनी तनख्वाह एक सरकारी स्कूल देता है। सरकारी स्कूलों में ऑन एन एवरेज कम से कम पैतीस से चालीस हजार, पचास हजार रुपये तक की टीचर को तनख्वाह मिलती है। सत्रह टीचर हैं स्कूल में। चालीस–चालीस हजार रुपये अगर एक टीचर को तनख्वाह दी जाए तो छह लाख अस्सी हजार रुपये की केवल तनख्वाह ही तनख्वाह बनती है और फीस कितनी आती है, साढ़े तीन लाख रुपये। तो अगर ये ध ारा 10(1) स्कूल पर लागू कर दी जाए तो स्कूल के बन्द होने के सिवाय इसके पास, या तो स्कूल बन्द होगा या और स्कूल को अपनी फीस बढ़ाकर कम–से–कम तीन हजार रुपये महीना करनी पड़ेगी। वहां पर तीन हजार रुपये कोई दे नहीं सकता तो स्कूल को बन्द होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। नतीजा क्या आया? टीचर्स को चालीस हजार रुपये! मैंने उनसे पूछा, ''फिर क्या करते हो?'' बोले जी चालीस हजार रुपये पर दस्तखत कराते हैं। मैंने कहा, देते कितना हो? बोले जी, ''चार हजार रुपये से आठ हजार रुपये महीना देते हैं टीचर को और प्रिंसिपल को बीस हजार रुपये देते हैं।'' तो चार से आठ हजार रुपये महीना टीचर को देते हैं और प्रिंसिपल को बीस हजार रुपये देते हैं। अब दो तीन चीजें देखिए। ये टीचर जब दिल्ली सरकार में शिकायत ले के मान लीजिए कोई टीचर, वैसे तो कोई टीचर हिम्मत ही नहीं करेगा शिकायत करने की। उसको लगेगा

मुझे निकाल देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता एक टीचर हिम्मत करके दिल्ली सरकार में शिकायत करने आ गया कि जी मेरे से चालीस हजार रुपये पर साईन कराते हैं, चार हजार रुपये हाथ पर रखते हैं। कुछ करो। अब दिल्ली सरकार को पता है कि हमने अगर एक्शन लिया स्कूल के खिलाफ तो स्कूल बन्द है। उसके बाद आपको डि–रिकोगनाईज्ड करने की जरूरत नहीं है। वो स्कूल ही बन्द हो जायेगा। तो दिल्ली सरकार कुछ करती नहीं है। तो नतीजा क्या होता है कि उसकी शिकायत आती है तो शिकायत ले के एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से कोई अधिकारी जाता है, कोई कर्मचारी जाता है और उससे रिश्वत लेके आ जाता है। फिर फाईल बन्द कर दी जाती है। तो उस टीचर का एक्सप्लायटेशन हो गया। उसको तो चार हजार रुपये मिले इस व्यवस्था के तहत। सेक्शन 10(1) की व्यवस्था के तहत। उस टीचर को तो चार हजार रुपये मिले। अफसरों की चांदी हो गयी। उनको उनकी रिश्वतखोरी मिली। फिर मैंने उनसे पूछा, चार–चार हजार रुपये देते हो। साढ़े तीन लाख रुपये। बोला ''जी, एक से सवा लाख रुपये का खर्चा होता है महीने का हमारा और बाकी दो लाख रुपये करीब महीना बच जाता है।'' मैंने कहां ''बच जाता है मतलब?'' कहता है, ''वो फिर हमारा है।'' तो मैंने कहा, 'वो कैसे निकालते हो?' तो कहता है जी, देखो, ''छह लाख अस्सी हजार रुपये तो टीचर की सेलरी तो छह लाख अस्सी हजार रुपये तो रिसीट ही नहीं है।'' तो कहता है, कि हम फर्जी, फीस की बुक भी फर्जी बना रखी है। रिसीट बुक भी फर्जी बना रखी है उतनी फीस दिखानी है न। तो सारे बच्चों की फर्जी फीस दिखा रखी है। बच्चों को नहीं पता। बच्चा तो हजार

रुपये दे रहा है लेकिन उसी के नाम पर उन्होंने तीन–तीन हजार रुपये उसकी फीस दिखा रखे हैं। तो रिसीट भी बोगस, एक्सपेन्डीचर भी बोगस और बाकी जो आया जो असली फीस आ रही है साढ़े तीन लाख रुपये। उसमें लाख, सवा लाख रुपये खर्च होता है बाकी दो लाख रुपये जेब में लेके उनका प्राफिट होता है। शिक्षा तो सोसायटी चलाती है, ट्रस्ट चलाते हैं। शिक्षा में प्राफिट एलाउड ही नहीं है। कानून के अन्दर एलाउड नहीं है प्राफिट। तो इसको कैसे डील किया जायेगा? तो आज हमारी शिक्षा प्रणाली के अन्दर टीचर्स का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। स्कूलों को फर्जीवाड़ा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसकी आड़ में जो स्कूल हैं, अनाप–शनाप पैसा कमा रहे हैं। सरकारी अफसरों की चांदी हो रही है और जो साढ़े तीन लाख रुपये बच्चों ने फीस दी, उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं हो रही है। वो किसी न किसी की जेब में जा रही है। इन सारी चीजों को अपने को बदलना है। इसलिए ये तीन विधेयक लाये जा रहे हैं। मैंने फिर एक एक्टीविस्ट को बुलाया। जो बाहर आजकल जिनका सबसे ज्यादा नाम चल रहा है लोकपाल वाले नहीं दूसरे। उनको मैंने एक बार बुलाया। उनको मैंने कहा, ''जो, देखो ये स्कूल हैं।' ये स्कूल में अगर आपके मुताबिक धारा 10(1) लगनी चाहिए। अगर हमने कल को डंडा चला दिया और कहा कि भाई सारे टीचरों को चालीस–चालीस हजार रुपये दो तो ये तो स्कूल बन्द हो जायेगा। तो कहते हैं, 'कर दो बन्द'। तो फिर मैंने डाईरेक्टर एजूकेशन से पूछा–मैंने कहा, 'भई कितने स्कूल हैं इस किस्म के जो हजार या हजार से कम फीस दे रहे हैं'' तो बोले, ''जी लगभग हजार से ऊपर स्कूल ऐसे हैं।'' एक हजार स्कूल अगर हम बन्द कर देंगे तो सबसे पहले जगदीश प्रधान जी जूते मारने आएंगे। फिर मेरे पास कपिल मिश्रा आयेंगे। एक हजार स्कूल कैसे

बंद कर सकते हैं? भाई साहब, नहीं बंद कर सकते एक हजार। ये कहना बड़ा आसान है एक्टिविस्टों के लिए, ''बंद कर दो जी।'' ऐसे कैसे बंद कर दें। हमें ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी कि गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अमीरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। कुछ एक बातें आपने अभी कही जो मैं अभी ठीक कर देता हूं। आपने बताया कि कुछ 75 प्रतिशत 25 प्रतिशत ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। दूसरी चीज ऐसा कहा गया कि एक रूल है Delhi School Education Act के बाद एक रूल बना है उस रूल के अंदर ये लिखा है कि जितनी फीस ली जाएगी, वो फीस केवल और केवल उस स्कूल के लिए इस्तेमाल की जाएगी और किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। उसमें चार या पांच कैटेगरी दी हुई हैं। उसको नहीं हटाया जा रहा, वो रूल रहेगा। ये वाला जो कानून है, ये एमेंडमेंट बिल है ये रिप्लेसमेंट बिल नहीं है। मतलब वो कानून, जो रूल्स है, वो रहेंगे। मैं अभी इसकी और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो आज इस सदन के माध्यम से दिल्ली की सारे टीचर्स को मैं ये दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि आज तक आपको जितनी तनख्वाह मिल रही थी, उससे कम तनख्वाह नहीं मिलेगी ये हमारा वादा है। किसी को कम तनख्वाह नहीं मिलने देंगे, नंबर एक नंबर 2, जिन–जिन टीचरों को 4000–4000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी उनको तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही ये तो शर्म की बात है कि टीचर्स जो कि समाज का इतना रिस्पेक्टेबल सोसाइटी होती है। टीचर्स को अगर न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा तो ऐसे समाज के ऊपर लानत है। तो कम से कम ऐसे टीचर्स को 12000/– रु. 15000/– रु. मिलने चालू हो जाएंगे। ये टीचर्स भी खुश हो जाएंगे। जिन

टीचर्स को upper end के ऊपर अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, 6th Pay Commission मिल रहा था 7th Pay Commission मिलना चाहिए उन सबको 6th Pay Commission भी दिलवाएगें और 7th Pay Commission भी दिलवाएंगे जिनको अभी तक नहीं मिला है। कैसे करेंगे? धारा 10(1) यह कहती थी कि भई, जिस प्राईवेट स्कूल वाले अपने टीचरों को उतनी तनख्वाह देंगे जितनी की सरकारी टीचर को मिलती है। उसकी जगह हमने यह लिखा है कि हर प्राईवेट स्कूल जो है वो उतनी तनख्वाह देगा जितना सरकार prescrible करेगी। सरकार कितना prescribe करेगी यह आप सब लोगों से पूछा जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के तहत पूरी दिल्ली के लोगों के सुझाव मागेंगे और किस्म किस्म के सुझाव आ रहे हैं। अभी हमारे पास कई किस्म के सुझाव आ रहे हैं और उनको Basic principle दे देंगे। एक तो ये कि भई, जिस टीचर को अभी तक जितनी तनख्वाह मिल रही थी, उसको जितनी हाथ में मिल रही थी उससे कम उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये कमेटी इन्श्योर करेगी। उसके बाद ये कमेटी इन्श्योर कर सकती है जैसे स्कूल फंड होता है, जिसमें फीस जाती है और उसमें एनुअल चार्जेज जाते हैं। एक सुझाव यह आया कि स्कूल फंड का कम से कम इतना प्रतिशत हिस्सा टीचर की तनख्वाह पर जाना चाहिए। ये प्रेस्काइव किया जा सकता है। तो ऐसे केसेज में टीचरों को अपने आप तो जहां कम फीस है, वहां थोड़ी कम तनख्वाह मिलेगी, जहां ज्यादा फीस है, वहां थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इस किस्म के कई सारे सुझाव इस कमेटी के पास आ सकते हैं। ये कमेटी लोगों से सुझाव लेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अलग–अलग किस्म के स्लेब भी बनाए जा सकते हैं कि इस किस्म के

स्कूल कम से कम इतनी तनख्वाह देंगे। इस किस्म के स्कूल कम से कम इतनी तनख्वाह देंगे। दूसरी चीज प्राईवेट स्कूलों के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह लगता है, खासतौर से जो बड़े–बड़े स्कूल हैं कि वो अनाप–शनाप फीस लेते हैं जी। इस के ऊपर हम लोगों ने काफी गहन अध्ययन किया। हमारी टीम तमिलनाडु भी गई, हमारी टीम महाराष्ट्रा भी गई, हमारी टीम राजस्थान भी गई, हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने कई स्टेट्स का दौरा किया। फिजिकली मिलकर आए वहां के अधिकारियों से, वहां के स्कूल वालों से, वहां के पैरेंट्स से, वहां के स्टूडेंट्स से और उसके बाद ये verification of accounts वाला बिल बनाया है। पहली बार इस किस्म का बिल देश के अंदर आ रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा। अभी तक जितने स्कूल्स थे, जैसे मैंने कहा कि स्कूल्स जितने भी हैं, वह या तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है या चैरिटेबल सोसायटी हो सकता है। तीसरी चीज नहीं है। वह चैरिटेबल ही हो सकता है, वह मुनाफे के लिए नहीं हो सकता। तो ये जितने स्कूल्स थे, ये फर्जीवाड़ा कैसे करते थे? ये फर्जीवाड़ा दो तीन तरह से करते थे। फर्जी बिल लगा देंगे और पैसा विदड्रा कर लेंगे या आपके बच्चे ने फीस जमा कराई और ये उस फीस को किसी और सोसायटी में ट्रान्सफर कर देंगे, किसी और स्कूल में ट्रान्सफर कर देंगे आपका पैसा डाइवर्ट कर देंगे। अब ये कहा गया है कि हर साल, हर स्कूल के एकाउन्ट्स को कोई न कोई एक कमेटी बनाई गयी है, वह कमेटी कोई न कोई एक चार्टेड एकाउन्टेन्ट नियुक्त करेगी और वह चार्टेड एकाउन्टेन्ट उसके सारे एकाउन्ट्स को वेरिफाई करेगा। अब आप ये देखिये, जिस स्कूल का मैंने उदाहरण दिया, उसमें साढ़े

तीन सौ बच्चे हैं और साढ़े तीन लाख रु. फीस आती है। जब ये चार्टेड एकाउन्टेन्ट जायेगा तो उसके सामने आयेगा कि भई, ये लाख, सवा लाख रु. तो फी दे रहे हैं और बाकी सारा पैसा कमा लेते हैं। तो वह चार्टेड एकाउन्टेन्ट अपनी रिपोर्ट देगा। तो या तो स्कूल को अपनी फीस कम करनी पड़ेगी या इस स्कूल को अपनी टीचर्स की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। दोनों में एक काम करना पड़ेगा। लेकिन जो साढ़े तीन लाख रु. बच्चों से फीस ली गयी है, वह पूरा का पूरा पैसा बच्चों के ऊपर खर्च किया जायेगा, एक भी पैसा किसी के प्रॉफिट के लिए खर्च नहीं किया जायेगा। मुझे ये लगता है कि फीस वेरिफिकेशन एक बार शुरू हो गया तो अपने आप पूरी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सारे स्कूलों की फीस धड़ाधड़ नीचे आनी चालू हो जायेगी। क्योंकि जितना फर्जीवाड़ा है, जो पैसा निकाला जाता है...किसी कम्पनी से भी पैसा निकाला जाता है, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी चैरिटेबल सोसायटी से जो पैसा साइफन ऑफ किया जाता है, वह पैसा उसी स्कूल में लगना चालू हो गया, तो स्कूल फीस क्या कहकर बढ़ायेगा? उसके पास फीस बढ़ाने का कोई जरिया नहीं बचेगा और अपने आप देखेंगे कि फीस अपने आप कम होती जायेगी। एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे सारी दिल्ली के लोग दुखी थे कि नर्सरी के एडमिशन में डोनेशन चलता है। नर्सरी के एडमिशन में कैपिटेशन फीस चलती है। लोग तो सारे कहते थे लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको बंद कर दिया जाये। तो पहली बार इस कैपिटेशन फीस को न केवल खत्म किया जा रहा है, बल्कि इसको ऐसा अपराध बनाया जा रहा है कि अगर उन्होंने कैपिटेशन फीस ली, तो स्कूल को न केवल फाइनेन्शियली दंडित किया जायेगा।

मैं अभी मदन लाल जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा प्वाइंट उठाया। जैसे ही उन्होंने प्वाइंट उठाया...मैंने देखा तो शायद थोड़ी सी गलती हो गयी है, सैक्शन 24 है शायद जो आप बता रहे थे। सैक्शन 16(ए) लिख दिया उसको। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको अमेण्ड करें। तो ऐसा स्कूल अगर कोई होगा जो ऐसा करेगा, तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। उसके मैनेजमैन्ट को जेल जाना पड़ेगा। मैं केन्द्र सरकार से भी अपील करूंगा कि ये तीनों बिल बहुत ही अहम बिल हैं और इन पर जल्द से जल्द एप्रूवल दी जाए ताकि इसको दिल्ली के अंदर तुरन्त लागू किया जा सके। इन विधेयकों के आने से मुझे पूरा यकीन है कि जो शिक्षा का व्यावसायीकरण है, वह व्यावसायीकरण दूर होगा और दिल्ली के अंदर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, जो शायद पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में उठेगी। अब दिल्ली के अंदर नई सरकार आई है और इस नयी सरकार के आने के बाद शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग हैं, उनको थोड़ा अपना रवैया भी बदलना पड़ेगा। स्कूलों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा, इस माहौल में अगर उनको काम करना है तो। अब जो साढ़े तीन लाख रुपये फीस लेने वाले दो लाख रुपये अपनी जेब में डाल लिया करते थे, उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अब एक भी पैसा हम घर नहीं ले जाने देंगे, सारा का सारा पैसा हम स्कूल में लगवायेंगे। स्कूलों को रवैया बदलना पड़ेगा। मेनेजमेंटों को रवैया बदलना पड़ेगा, टीचरों को भी रवैया बदलना पड़ेगा और दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारियों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। शिक्षा को

सेवा के रूप में लेना है, उसी की वजह से शिक्षा को एक चेरिटेबल में डाला गया है। तो अध्यक्ष महोदय, जो तीनों बिल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किए, मैं उनका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो मदन लाल जी ने सुझाव दिया, उसको अमेंडमेंट के रूप में लाया जाये। बहुत–बहुत शुक्रिया।

v/;{k egkn; % मैं सदन के सामने समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। एक घटा बढ़ा लेते हैं, जो बचेगा देखा जायेगा। एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव है, अपनी सहमति प्रकट करें। एक घंटा समय बढ़ाया जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, चर्चा का उत्तर देंगे।

(सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया।)

mi e[;eU=h dk oDrO;

mi e[;eU=h % अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में शामिल तमाम बिंदुओं को जहां इन बिलों को बहुत बेहतरीन बताया गया, को दोहराया और साथ–साथ जो सवाल या सुझाव के रूप में चीजें आई, उन पर भी अपनी पूरी रोशनी डाली है और उसके बाद दोबारा उन्हीं बातों को दोहराने की, मैं जरूरत नहीं समझता। बस इतना कहना चाहता हूं कि ये तीनों बिल, इसमें से खास तौर से जो पहले दो बिल हैं, बहुत लम्बे समय से लोगों को इंतजार था और मैं विजेन्द्र गुप्ता जी की बात से सहमत हूं कि जो तीसरा बिल है, यह तो फौरी इंतजाम है। मैंने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए भी कहा था, यह जो राइट टू एजुकेशन बिल है, उसमें नो डिटेन्शन पॉलिसी एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन जिस तरह बिना तैयारी के और शिक्षा जगत में

जब आप करीब एक लाख अध्यापकों और 26 लाख बच्चों के बीच में तैयारी करें, तो ओवर नाइट नहीं हो सकता। उसमें नो डिटेन्शन पॉलिसी पर जब तक आप तैयारी पर काम करेंगे, तब तक एक पीढ़ी आपकी निकल जायेगी, कई पीढ़ियां निकल जायेंगी, उसकी बुनियाद तैयार किये बिना और मैं थोड़ा सा विजेन्द्र जी की बात पर एक टिप्पणी यह भी करना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि हम जहां–जहां अन्य सरकारों से सीखें, उसमें महाराष्ट्र की भी सरकार है, राजस्थान की भी सरकार है और मैं सहमत हूं कि कई राज्यों में सरकारों में बहुत बढ़िया मौलिक काम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब सीख कर उनके अनुभवों से कुछ लागू करते हैं तब भी इनको प्रॉब्लम है और जब हम उनके किए हुए को लागू करते हैं, तब भी इनको प्रॉब्लम है। मैं उनकी सूचना के लिए सिर्फ बताना चाहता हूं कि नो डिटेन्शन पॉलिसी के खिलाफ वर्तमान में इसके खिलाफ है, जो देश में माहौल बन रहा है कि इसको फिलहाल लागू न करके कन्टिन्युअस रेवोल्यूशन के कुछ और तरीके निकाले जाये और आने वाले वक्त में अगर जब माकूल माहौल बने, तो फिर से इसको लाने की बात की जाये। इसमें कई भाजपा शासित राज्यों की सरकारें भी हैं और उनकी सूचना के लिए कि राजस्थान सरकार ने इस बिल को अपनी विधान सभा से पास करा कर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अमेंडमेंट के लिए भी भेज रखा है। अगर विजेन्द्र जी की तीसरे बिल के बारे में कही गई तमाम बातें अक्षरशः उन्हीं की पार्टी की दूसरी सरकारों पर भी लागू होती हैं अगर वो उसकी भर्त्सना करें तो भर्त्सना और तारीफ करें तो तारीफ। जिन बिलों की यहां चर्चा हुई अध्यक्ष महोदय, अगर मैं टोटेलिटी में कहूं, तो मुख्यमंत्री जी की बात को सिर्फ कुछ हाईलाइट करते

हुए कि एक तो इससे मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। स्कूलों में जो मनमानी फीस लेने का जो चलन लगातार बढ़ रहा है और सारे पेरेंट्स दुखी हैं, किसी भी नाम पर, कैसे फीस ले रहे हैं वो, उनके एकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा, किस खर्चे के लिए फीस ले रहे हैं तो मनमानी फीस पर इससे एकदम लगाम लगेगी, जो एडमिशन पर धांधली हर साल हम देखते हैं और जिसकी चर्चा हर साल एडमिशन के समय में होती है, इंटरव्यू प्रोसस के नाम पर, कैपिटेशन फीस के नाम पर इसके खिलाफ यह कानून के अमेंडमेंट बहुत सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं और बहुत स्पष्टता से, बहुत माइन्यूट डिटेल में जाकर, बहुत वेग तरीके से नहीं। स्कूलों में जो पेरेंट्स फीस देते हैं, लोगों की मेहनत की कमाई का उसमें पैसा लगता है, पैसा शायद काफी न हो और नो–डिटेन्शन को हटाके कुछ क्वालिटी में भी बात हो। सिर्फ पास–फेल करना, सार्टीफिकेट देना, एजुकेशन का मकसद नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों चारों मकसद पर ये बिल बहुत मजबूती से दिल्ली की जनता के लिए, अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए बहुत मायने रखते हैं और मैंने एक और बिल के संदर्भ में एक उदाहरण दिया था कि किस तरह से कीलें बिछा दी जाती हैं, पंचर वाले कीलें बिछा देते हैं। मुझे तो लगता है कि इसी समय, समय–समय पे इस बिल के बहुत सारे प्रोवीजन, शिक्षा विभाग में जो लोग शिक्षा पर गंभीरता से सही से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके सामने कीलों की तरह से काम कर लेते हैं। तो हम तो उन कीलों को साफ कर रहे हैं, अध्यक्ष जी, जो कीलें शिक्षा विभाग के रास्ते में बिछी हुई थी, ये

बिल उनको साफ करने का एक बड़ा प्रयास है। मैं इतनी बातों के साथ प्रस्ताव करता हूं कि, बिल एक–एक करके ले लेते हैं। दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 9) को पारित किया जाए।

f'k{kk lac/kh fo/ks;dksa dk ikj.k

Jh fotsUnz xqIrk % हम इसके विरोध में सदन से वॉकआउट करते हैं।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, वोटिंग होगी, आप अपना विरोध दर्ज करिए। वॉक आउट समस्या का हल नहीं है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % माननीय सदस्यों के सामने पुष्कर जी की ओर से तीनों बिलों पर अमेंडमेंट आया है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % एक सेकेण्ड, दो मिनट में पढ़ दूं। तीनों बिलों पर उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है संशोधन का, वो लिखा है ये सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। प्रवर समिति को भेज दिया जाए। तीनों बिलों पर पुष्कर जी, पांच मिनट अपनी बात रख दें।

...(व्यवधान)...

श्री पंकज पुष्कर : अगर स्पीकर महोदय मुझे अनुमति दें तो मैं बोलूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब शांति से आपको पांच मिनट मैंने दिया है, आप बोलिये।

श्री पंकज पुष्कर : मैं धन्यवाद देता हूं नेता सदन और आदरणीय मनीष जी को कि उनके हस्तक्षेप की वजह से मुझे बोलने का आज अवसर मिल रहा है, नहीं तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है सदन में उग्रता और हिंसा का जो माहौल बन रहा है मैं दो पंक्ति में बात कहना चाहूंगा और ये बात लिटरली सही है।

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, अगर समय यही....टिप्पणियां करने के लिए लेना है, तो उचित नहीं है। आप बिल पर सीधी बात करिए। आज सुबह से आप माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। आप ये तय करके आये हैं कि माहौल खराब करना है यहां।

श्री पंकज पुष्कर : देखिये हिंसा का मतलब ये है कि सदन में...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने हिंसा पर चर्चा करनी है तो आप अलग से मोशन ले आइये।

श्री पंकज पुष्कर : तो सुन लीजिएगा।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भावना जी, दो मिनट, प्लीज।

Jh iadt i"dj % माननीय अध्यक्ष महोदय, चुप रहा तो मार देगा मेरा जमीर और गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। ये बात आज लगभग... सोच की है। जो मैंने अमेंडमेंट प्रस्ताव दिया था। क्योंकि मैं आंदोलन का जनहित का, दिल्ली की जनता का और पार्टी का एक सिपाही होने के नाते उस ह्विप का पालन करूंगा।

v/;{k egkn; % दो मिनट रुको न। आप अपना संशोधन रखिये न जी। प्रस्तुत करिए। आप अपने संशोधन जो है उसको प्रस्तुत करिए न फटाफट।

(व्यवधान)...

Jh iadt i"dj % अध्यक्ष महोदय, मुझे तय करके बता दिया जाए। मुझे आपके निर्देश का पालन करना है या सहरावत जी के।

v/;{k egkn; % भाई आप अगर इधर–उधर डाईवर्ट होंगे तो कमेन्टस होंगे। आप डाईवर्ट करेंगे चीजों को तो कमेन्टस होंगे।

Jh iadt i"dj % बिल्कुल सीधा। महोदय मैं केवल ये प्रार्थना। आपने पांच मिनट दिये न। इसमें सुन लीजिएगा मेरी बात। पांच मिनट सदन मेरी बात सुन ले।

v/;{k egkn; % आप अपना संशोधन सदन पटल पर रखिये न।

सीधी सी बात है। मैंने तीनों बिलों पर। एक सेकेण्ड भाई। राखी जी। मैं खुद दोहरा देता हूं। समय बर्बाद न करिए प्लीज। आपका तीनों संशोधन, तीनों बिलों पर सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। ये प्रस्ताव आया है संशोधन के लिए। आप इसको टेबल करिए। चर्चा है नहीं उस पर।

Jh iadt iq"dj % देखिए पार्टी की तरफ से व्हिप आने से पहले, चार दिन पहले, पांच दिन पहले सूचना हमने दे दिया था और उस समय मेरा पूरा आग्रह था कि ये सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी को भेजना सदन की गरिमा को कम करना या पार्टी विरोधी काम नहीं है। वो सदन में विश्वास व्यक्त करना है कि सदन के माननीय विधायक योग्य हैं कि विधेयकों पर गम्भीरता से विचार कर सकें। तो मैं ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करना चाहता था सदन से मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सदन को कि यहीं पर जो ओरियेन्टशन का दो दिन सत्र हुआ उसमें एक चर्चा हुई थी। प्रस्ताव आया था कि अलग–अलग विषयों पर विषयवार समिति होंगी।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भई देखिए, पुष्कर जी, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है बार–बार।

Jh iadt iq"dj % अध्यक्ष महोदय। ठीक पांच मिनट के लिए।

v/;{k egkn; % कोई भी अपना विषय देता है। आपने सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव।

Jh iadt iq"dj % सलेक्ट कमेटी को भेजने का मैंने प्रस्ताव रखा। क्यों रखा और क्यों उस पर व्हिप लाया गया।

v/;{k egksn; % ये तो बहस का मुद्दा हो जायेगा।

Jh iadt iq"dj % आपने पांच मिनट दिये न। अपनी बात कह देता हूं।...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % भई राखी जी, प्लीज। आप मत बोलिए। क्या बोल रही हैं बोलिए?

Jh iadt iq"dj % मेरी प्रार्थना ये है कि मेरी इस पूरे सदन में गहरी निष्ठा है। सरकार की मंशा में निष्ठा है। शिक्षा में सुधार के लिए ये जो बिल ला रहे हैं, उसमें गहरी निष्ठा है। क्योंकि वो जनता के हित में है। शिक्षा के आन्दोलनों की बात को सुनते हुए, जैसे स्वयं माननीय नेता, सदन ने कहा कि उन्होंने एक्टीविस्टों को बुलाया और उनसे बात की। उसमें पूरी निष्ठा के साथ उन विधेयकों की मूल भावना के साथ इस दृष्टिकोण से उन बिलों को और बेहतर किया जा सकता था प्रवर समिति में। प्रवर समिति कौन है यही माननीय सदस्य जो हैं, उसमें गहराई से विचार करके, मैं ऐसी बात क्यों कहना चाहता था। हमको ये जांच करना आवश्यक है कि कहीं कोई कन्फिल्क्ट ऑफ इण्टरेस्ट तो नहीं है। क्या हमारे सदन के अन्दर या हमारे नीति निर्माण की प्रक्रिया में किसी प्राईवेट लॉबी का हस्तक्षेप तो नहीं है। मेरा केवल ये जांचने का प्रावधान था।...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % चलिए, चलिए। आप बोल लीजिए।

Jh iadt iq"dj % पूरी निष्ठा। ये स्थापित संसदीय परम्परा है।

...(व्यवधान)...ये स्थापित संसदीय परम्परा है। देखिए, अगर मुझको हूट करके बैठाने की कोशिश की जाएगी। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी...

v/;{k egkn; % आप प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। देखिए, आप प्रस्ताव प्रस्तुत करिए प्लीज।

Jh iadt iq"dj % मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और चर्चा में मेरी केवल ये प्रार्थना है कि गहरी चर्चा हो। मेरी पूरी व्यक्तिगत निष्ठा मनीष भाई, अरविन्द भाई मेरे पुराने मित्र रहे हैं। आन्दोलन के नेता रहे हैं। उनकी नीयत में कोई सन्देह नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है। हम देश के, दिल्ली के भविष्य को तय कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी कानून चार साल के लिए, पांच साल के लिए नहीं लाया जाता तो उस पर और गहरी चर्चा हो सके। उसका एक संसदीय प्रावधान है। प्रतिष्ठित प्रावधान है कि सलेक्ट कमेटी में भेजें। शिक्षा पर एक समिति बने, भेजें। उस पर खूब चर्चा करके उसको हम पूरी निष्ठा के साथ और अच्छे तरीके से करें। मेरा प्रार्थना ये है कि। ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % चलिए, बोलिए–बोलिए।

Jh iadt iq"dj % कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। निवेदन कर रहा हूं।...(व्यवधान)...तू–तड़ाक की भाषा जो है।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दस मिनट जो हैं पूरे हो गये हैं बोलते–बोलते।

Jh iadt iq"dj % दस मिनट हो गये। चेक कर लीजिएगा। आपकी घड़ी।

v/;{k egkn; % आप विषय पर आ जाइये।

Jh idt i"dj % मैं केवल ये कहना चाहता हूं महोदय।...(व्यवधान)... कि उदाहरण के लिए। आदरणीय नेता सदन अरविन्द भाई ने कहा कि एक एक्टिविस्ट को उन्होंने बुलाया। उसने कहा स्कूल बन्द हो जायेंगे। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कैसे गहरी चर्चा इन बिलों को और बेहतर बना सकती है। एक ही को क्यों बुलाया? शिक्षा आन्दोलन की एक लम्बी है परम्परा अलग–अलग। मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं कि स्कूल बन्द नहीं हो जायेंगे। हमारे पास उपाय था कि ऐसे स्कूलों को वर्षवार एक्जम्पशन दे दें। उनको वर्षवार एक्जम्पशन दे दें। जो सैंकड़ों... उसकी बस एक ही वजह से शोषण...अन्य भी रुकेंगी क्या। हमने उनके लिए भी रास्ता खोल दिया। दूसरा उपाय संभवतः कुछ उनको एक्जम्पशन देते हुए कुछ उनको बदल देते। मैं केवल उदाहरण के लिए बात कह रहा हूं। मेरी सभी बिलों पर गहरा मत है, राय है। मैंने तो मनीष जी के सत्ता संभालते ही ये अनुरोध किया था कि मेरे अनुभव का लाभ लें। पुराने मित्र हैं वो। लेकिन उस चीज का लाभ नहीं किया गया।...(व्यवधान)...मेरा कहना है कि...

v/;{k egkn; % अब पुष्कर जी बैठिए प्लीज। सोमदत्त जी प्लीज। अब बैठिए प्लीज। आपके संशोधन पर। मैं तीनों बिलों पर।

Jh idt i"dj % ये सारे बिल आये ही हैं जनता के संघर्षों के बाद, हमारे संघर्ष के बाद। हम पूरी।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % पुष्कर जी। आपने विषय रख लिया।

Jh iadt iq"dj % सदन के नेता से, अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि सदन को अनुशासित करें कि मुझको बोलने की अनुमति दे दें। पांच मिनट बोलने की अनुमति देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे कोई लाभ नहीं होगा। (व्यवधान)...इससे दिल्ली में लोकतंत्र का लाभ नहीं हो रहा है। उस आन्दोलन का कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जायेगी। जान से मारने की धमकी दी जायेगी। आवाज को कुचलने की कोशिश की जायेगी लगातार...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय मुझको धमकी लगातार दी जा रही है। ...(व्यवधान)...कोई अपनी बात कर रहा है तो उस शिकायत करने को भी अपराध बनाया जा रहा है। मैं कहां किससे बात करूं? महोदय, इनका स्वर देखिये मुझे भरे सदन में डांट रहे हैं यह अपनी गुस्से भरी आवाज में मुझे दबाने चाहते हैं। मैं नोट कराना चाहता हूं इसकी पूरी रिकार्डिंग। पिछले आठ दिन की पूरी रिकार्डिंग।...(व्यवधान)...हमारे माननीय उपनेता बैठे हैं अरविंद भाई बैठे हैं। मैं उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान दिलाते हुए कहता हूं कि लोकतांत्रिक आंदोलन ...(व्यवधान)...मुझे इस सदन में गाली दी जा रही है।

v/;{k egksn; % आप विषय पर आ नहीं रहे हैं...(व्यवधान)...एक सैकिण्ड रुकिये ऋतु जी, ऋतुराज जी बैठिये प्लीज। पुष्कर जी आप अमेन्डमैन्ट मूव करिये। चर्चा बहुत हो गई।...(व्यवधान)...एक सैकिण्ड रुकिये, प्लीज पुष्कर जी, एक सैकिण्ड मेरी बात सुन लीजिये। पांच दिन पहले ये बिल डिस्ट्रिव्यूट हुए थे जिसको कोई संशोधन देना था, कोई बात कहनी थी, वो अपनी यहां कह सकता था और

आपने आज इन तीनों बिलों को सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया है। सालों पड़े रहते हैं सलेक्ट कमेटी में। सलेक्ट कमेटी में तो यही सदस्य हैं। कोई बाहर का तो आयेगा नहीं।

Jh i:dt i"dj % जी, जी, बिल्कुल नहीं।

v/;{k egkn; % कोई बाहर का तो आयेगा नहीं। जो कुछ चर्चा होनी थी इसी सदन में होनी है। सलेक्ट कमेटी में यही मेम्बर हैं। बाहर के मेम्बर नहीं हैं। यह अननैसेसरी पॉलिटिकल वे में मत लाइये आप अपने विषय को मूव करिये प्लीज।

Jh i:dt i"dj % माननीय महोदय, मेरा केवल निवेदन है...

v/;{k egkn; % मूव कर दीजिये इसको बस।

Jh i:dt i"dj % आप पॉलिटिकल मूव का आरोप नहीं लगायें। मैंने कहा मेरी सदन में निष्ठा है।

v/;{k egkn; % आप इसको मूव करिये।

Jh i:dt i"dj % मेरी केवल प्रार्थना ये है कि मैंने यह सवाल उठाना चाहा कि देखिये इतनी सशक्त सरकार को बात पर व्हिप लाने की जरूरत क्या है? आज मुझे सुबह कोड़ा मारा गया व्हिप का मतलब कोड़ा होता है। ये आवश्यकता इस बात की है, सुबह मुझको व्हिप प्रस्तुत की गई क्या आप

अमैन्डमेन्ट बिल को भी वापिस लेंगे ठीक है, मेरा सदन में विश्वास है, मेरी पूरी तरह से जन आंदोलनों में विश्वास है।

v/;{k egkn; % अमेन्डमैन्ट वापिस नहीं होता है।...(व्यवधान)...पुष्कर जी मेरी बात सुनिये प्लीज। आप बार–बार मिसगाइड मत करिये। मिसलीड मत करिये। ये कोई आज ही नहीं ह्विप जारी हुआ, उससे पहले भी ह्विप जारी हुआ है इसी सेशन के दौरान। अब ह्विप को इससे मत जोड़िये। ह्विप का अर्थ यह है कोई भी बिल पास होता है, बिल सदन में आता है। वो बिल पास होता है ह्विप सदस्य उपस्थित रहें। कोई नई परंपरा नहीं है। जिसको ट्विस्ट कर रहे हैं। फिर आप इसको पॉलिटिकल वे में ले रहे हैं। मैं वार्निंग दे रहा हूं इस पर प्लीज।

Jh iadt iq"dj % माननीय महोदय, मेरा अनुरोध ये है।...(व्यवधान)...मैं चार वाक्य में बात खत्म करके बैठ जाता हूं। मेरा मानना है सदन के अंदर विश्वास व्यक्त करते हुए कहना ये है कि इन बिलों को बेहतर करते हुए जो यहां पर चर्चा हुई उसको और गहरा करने के संदर्भ में मेरी प्रार्थना थी मैंने जो चार दिन पहले ह्विप आने से पहले आज जो ह्विप दिया गया है, उससे पहले मेरी प्रार्थना थी कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेजा जाये। उसको नहीं स्वीकार किया गया। इसलिये ह्विप लाई गई। मैं ह्विप का सम्मान करते हुए मेरा कहना यह है कि आगे इन बिलों को और बेहतर करने के लिये हमें चर्चा करनी पड़ेगी। उसके लिये मेरे दो...(व्यवधान)...मैं पूरी अपनी अंतर्रात्मा से बोल रहा हूं और उस अंतर्रात्मा पर जो हमला है, उसको भी यहां व्यक्त कर रहा हूं। मैं

केवल ये बात कह रहा हूं कि भविष्य में हमको शिक्षा की विशेष समिति इस सदन में बनानी चाहिये। इन्हीं माननीय सदस्यों के बीच में से बनानी चाहिये जिस पर यह गहन चर्चा कर सकें। हमें इन्हीं विधायकों पर गहरा विश्वास व्यक्त करना चाहिए और मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि हर बात पर ह्विप लाना कमजोर सदन और सदन पर अविश्वास और सरकार की कमजोरी दिखाता है। मैं यह केवल यह कहना चाहता हूं कि ह्विप...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % राखी जी, प्लीज, प्लीज। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि आप अपना संशोधन मूव कर रहे हैं कि नहीं।

...(व्यवधान)...

Jh i:dt i"dj % एक बात मैं यह कह रहा हूं कि ह्विप आने से पहले मेरा सलैक्ट कमेटी को रैफर करने का था।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी। ह्विप कब जारी होगा, सरकार निर्णय करती है। आप नहीं करते। किस दिन ह्विप जारी होगा यह सरकार निर्णय करती है।

Jh i:dt i"dj % मैं अपनी अन्तरआत्मा पर बोझ नहीं रखूंगा।

v/;{k egkn; % यह पार्टी का विषय है।

Jh i:dt i"dj % मैं अपने अमेन्डमैन्ट प्रस्ताव को विदड्रा करता हूं।

v/;{k egkn; % राखी जी प्लीज। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं कि आप अपना संशोधन मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अब विधेयक पर खण्डवार विचार। प्लीज साईलेंस।

अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। अब दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापिसी) विधेयक, 2015 वर्ष 2015 का (विधेयक संख्या–9) पर खण्डवार विचार होगा।

अब प्रश्न है कि खण्ड–2 से 17 तक विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें–

जो इसके विरोध में हैं वो न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % प्लीज साइलैन्स प्लीज हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। खण्ड–2 से 17 विधेयक का अंग बन गये। अब प्रश्न है कि खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

अब विधेयक को पारित करना। अब श्री मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापिसी) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–9) को पारित किया जाये।

mi&e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 20 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–9) को पारित किया जाए।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

Jh lksjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष जी, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर डिवीजन हो जाए। हां की और ना की, सदन के अंदर सब लोगों को, सदन के बाहर वाले लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि कौन लोग इस बिल के पक्ष में थे और कौन लोग आत्मा की आवाज सुन रहे थे।

v/;{k egksn; % सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ही रहें। जो भी सदस्य कोई इधर–उधर बैठा है, अपनी सीट पर चले जाये। जो सीट उनको एलाट है, मेरा तात्पर्य जो सीट उनको एलोटेड है, उस सीट पर कृपया बैठें। ये दोस्ती निभा रहे हैं। देखिए, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दोस्ती सदन के बाहर निभाएं। सदन में जो सीट एलॉट है, आगे से वही बैठें। मैंने एक दो बार टोका भी है लेकिन ज्यादा टोकना उचित नहीं समझा। काफी सदस्य अपने स्थान पर ही बैठते हैं। कुछ एक दो सदस्य हैं, वो अवहेलना कर लेते हैं। चलिए साइलैन्स। जब मैं कहूं तब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जब तक मैं बैठने के लिए ना कहूं तब तक ना बैठें।

अब उप–मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मत–विभाजन होगा।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है,
वे अपने स्थान पर खड़े हो जाये,
अभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, जब तक
कार्यवाही के रिकार्ड में पूरी गिनती की प्रविष्टि न हो जाए,
तब तक कृपया ना बैठें।

हां, करिए जल्दी करिए। हां, counting हो गई।

माननीय सदस्य बैठ जायें।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में है,

वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव से अलग,

यानी तटस्थ रहना चाहते हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें,

फिर मैं दोहराता हूं इस प्रस्ताव से जो सदस्य तटस्थ,

न्यूट्रल यानि एस्ट्रेन्ज्ड रहना चाहते हैं, वो खड़े हो सकते हैं।

बिल के प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े हैं। Against the motion Zero, estranged Zero। ये टोटल 62 subject to correction, ये रिजल्ट मैंने डिक्लेयर किया है। अगर कहीं कोई गलती होगी तो सुधार ली जाएगी। अब प्रस्ताव पास हुआ, विधेयक पास हुआ।

v/;{k egkn; % अब विधेयक पर खंडवार विचार में अब दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 10) पर खंडवार विचार होगा।

अब प्रश्न है कि खंड–2 जिसमें धारा (2) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

खंड–2 जिसमें धारा (2) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खंड–3 जिसमें धारा 10(1) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

खंड–3 जिसमें धारा 10(1) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खंड–4 जिसमें धारा (16) के पश्चात नई धारा 16(क) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बने–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

खंड–4 जिसमें धारा (16) के पश्चात नई धारा 16(क) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खंड–5 जिसमें धारा (24) का संशोधन है, विधेयक का अंग बने–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

खंड–5 जिसमें धारा 24 का संशोधन है विधेयक का अंग बन गया।

अब माननीय मंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 के खंड–6 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

mi&e[;e=h ¼ अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये संशोधन प्रस्तुत करूं, उससे पहले एक बात सदन के सामने लाना चाहता हूं कि सरकार बहुत खुले दिल से कानून लेकर आई है और ये जो मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं, ये उसी का एक उदाहरण है। एक माननीय सदस्य ने सदन में चर्चा के दौरान इंगित किया कि अगर इसको और बेहतर ऐसा कर दिया जाए तो और अच्छा होगा। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की थी इन एमेंडमेंड को या कानून

को बेहतर बनाने के लिए लेकिन एक माननीय सदस्य के ध्यान दिलाने पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उसको स्वीकार किया और स्वयं मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें ये संशोधन भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर माननीय सदस्य वो चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों अगर वास्तव में साफ मंशा के साथ बिल में कोई सुझाव देना चाहते हैं या बिल की किसी ऐसी चीज की तरफ किसी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं, जहां उसकी वजह से कोई कमी होने की सम्भावना है। क्योंकि एक–एक सदस्य बहुत दूरदर्शी हो सकता है उसका विचार बहुत दूरदर्शी हो सकता है। ये एक संशोधन जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये खुद इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितने खुले दिल से चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों सदस्यों की एक–एक बात को ध्यान से सुनकर अन्तिम दम तक इन बिलों को बेहतरीन बनाने के लिए सुझाव स्वीकार करने को तैयार है। तो ये इसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती इस पर शक करने की, इस पर अंगुली उठाने की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 खंड–6 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:

In Clause 6 of the Bill, new section 27(a) is sought to be inserted the words except section 16(a) appearing in the second line after the words provisions of the act and before the words shall on conviction be deleted.

v/;{k egkn; % अब ये संशोधन सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

अब प्रश्न है कि यथासंशोधित खंड–6 जिसमें धारा 27 के बाद नई धाराएं 27(क) यथासंशोधित धारा 27(ख) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बने–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खंड–6 जिसमें धारा 27 के बाद नई धाराएं 27(क) यथासंशोधित धारा 27(ख) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बन गए।

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक के अंग बन गए।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–10) यथासंशोधन के साथ पारित किया जाये।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–10) को यथासंशोधित पारित किया जाये।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

LokLF; e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस पर डिविजन ऑफ वोट किया जाये।

v/;{k egkn; % सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। जब मैं कहूं तब अपने स्थान पर खड़े हो जायें और जब तक बैठने के लिए न कहूं तब तक न बैठें। अब माननीय उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए।)

v/;{k egkn; % कृपया बैठ जायें। अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहे।)

v/;{k egkn; % अब जो सदस्य इस प्रस्ताव से अलग रहना चाहते हैं, तटस्थ रहना चाहते हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहे।)

v/;{k egkn; % इस प्रस्ताव के पक्ष में 61 सदस्य हैं, जब कि विरोध में जीरो। तटस्थ भी जीरो। प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पास हुआ। अब निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं. 15) पर खण्डवार विचार होगा।

अब प्रश्न है कि खण्ड 2 जिसमें धारा 8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–2 जिसमें धारा–8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 3 जिसमें धारा 16 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–3 जिसमें धारा (16) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें :

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

v/;{k egksn; % अब विधेयक को पारित करना है।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 27 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)' को पारित किया जाये।

mi e[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 27 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित 'निःशुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)' को पारित किया जाये।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पास हुआ।

उसी प्रकार माननीय सदस्य वहीं बैठे रहे, अपने स्थान पर। मैं जब कहूं, तब वापस बैठेंगे। अब यह मत विभाजन का प्रस्ताव आपके सामने है–

जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं,

वे अपने स्थान पर खड़े हो जाये,

तब तक खड़े रहें, जब तक गिनती न हो जाये,

माननीय सदस्य बैठ जाये।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में हैं,

वे अपने स्थान पर खड़े हो जाये,

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव से अलग रहना चाहते हैं,

तटस्थ रहना चाहते हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाये

प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पास हुआ।

इस प्रस्ताव के पक्ष में 61 सदस्य हैं, जबकि विरोध में शून्य सदस्य हैं और शून्य सदस्य प्रस्ताव के तटस्थ रहे हैं। अतः प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पास हुआ।

vuiijd ekx ¼2015&16½ dk çLrrhdj.k ,o ikj.k

v/;{k egkn; % अब माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री वर्ष 2015—16 के लिए पेश first batch of Supplementary Demands पेश करेंगे।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त वर्ष 2015—16 के लिए first batch of Supplementary Demands इस सदन के समक्ष रखता हूं।*□

v/;{k egkn; % अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर विचार करेगा। डिमांड नंबर—2, जिसमें रेवेन्यू में एक लाख रुपये है, सदन के सामने है—

---

*पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर.—15488 पर उपलब्ध।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 2 पास हुई।

v/;{k egkn; % डिमांड नंबर–4, जिसमें रेवेन्यू में 3 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 4 पास हुई।

v/;{k egkn; % डिमांड नंबर–6, जिसमें रेवेन्यू में 3 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 6 पास हुई।

v/;{k egkn; % डिमांड नंबर 8, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 8 पास हुई।

v/;{k egkn; % डिमांड नंबर 10, जिसमें रेवेन्यू में 2 अरब 49 करोड़ 61 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 10 पास हुई।

v/;{k egkn; % डिमांड नंबर 11, जिसमें रेवेन्यू में 22 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 11 पास हुई।

v/;{k egkn; % डिमांड नंबर 14, कंटीजेंसी फंड का ये डिमांड है, जिसमें कैपिटल में 10 करोड़ रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

डिमांड नंबर 14 पास हुई।

v/;{k egkn; % हाउस ने रेवेन्यू में 2 अरब, 49 करोड़ 92 लाख रुपये और कैपिटल में 10 करोड़ रुपये की डिमांड को मंजूरी दे दी है। अब Appropriation Bill No. 3, 2015 माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री Appropriation Bill No. 3, 2015 को हाउस में इंट्रोड्यूज करने की परमीशन मांगेंगे।

fofu;kstu fo/ks;d] 2015 dk iqj%LFkkiu ,oa ikj.k

mi&eq[;ea=h % **Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce the Appropriation No. 3 Bill 2015 to authorize payments and appropriation of certain sums from and out of** consolidated funds to the NCT of Delhi for the financial year 2015-16. *

---

*पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर.–15489 पर उपलब्ध।

v/;{k egkn; % अब माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

v/;{k egkn; % अब माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूज करेंगे।

mi&eq[;ea=h % **Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation No. 3 Bill 2015 to the House.**

v/;{k egkn; % अब बिल पर खण्डवार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड–2, खण्ड–3 व schedule Bill का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खण्ड–2, खण्ड–3 एवं Schedule Bill का अंग बन गये

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि खण्ड–1 Preamble and Bill का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Preamble and Title Bill का अंग बन गये।

अब उप–मुख्यमंत्री (वित्तमंत्री) प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation No. 3 Bill 2015 को पास किया जाए।

mi&eq[;ea=h ¼ Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation No. Bill 2015

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहे

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Appropriation No. 3 Bill 2015 पास हुआ। आज सदन जब से आरंभ हुआ है, बहुत शांतिपूर्वक चला। अच्छा सहयोग मिला। बहुत बिजनिस पूरा हुआ है। मैं सब सदस्यों को बधाई देता हूं, विशेषकर, विजेन्द्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं। हालांकि बाद में वो वॉकआउट कर गये।

अब सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

¼lnu dh dk;Zokgh fnukad 2 fnlEcj] 2015 dks vijkg.u 2-00 cts rd ds fy, LFkfxr dh xbZ½

विषय सूची

l=&2 Hkkx ¼1½ exyokj] 01 fnlEcj] 2015@10 ekxZ'kh"k] 1937 ¼'kd½ vad&22

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	3-20
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	21-25
4.	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम—54)	25-41
5.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	46-71
6.	ध्यानाकर्षण	
	(1) मीटर लगाने के संबंध में ध्यानाकर्षण एवं ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	
	(2) दालों की बढ़ती कीमत के संबंध में ध्यानाकर्षण एवं खाद्य मंत्री का वक्तव्य	
7.	शिक्षा संबंधी विधेयकों पर चर्चा	72-99
8.	मुख्यमंत्री का वक्तव्य	99-112
9.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	112-115
10.	शिक्षा संबंधी विधेयकों का पारण	115-138
11.	अनुपूरक मांगें (2015—16) का प्रस्तुतीकरण एवं पारण	138-141
12.	विनियोजन विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन एवं पारण	141-143